भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के लिये

(राजस्व प्राप्तियाँ)

राजस्थान सरकार

विषय सूची

	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
प्रस्तावना		v
विहंगावलोकन		vii
अध्याय-I : सामान्य		
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृति	1.1	1
बजट अनुमानों और वास्तविक आंकड़ों में अन्तर	1.2	4
संग्रहण की लागत	1.3	5
राजस्व की बकाया का विश्लेषण	1.4	5
कर निर्धारणों में बकाया	1.5	7
कर का अपवंचन	1.6	8
राजस्व का अपलेखन एवं परित्याग	1.7	8
प्रतिदाय	1.8	8
जवाबदेयता लागू करने एवं सरकार के हित की रक्षा में वरिष्ठ कार्मिकों की असफलता	1.9	9
विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें	1.10	10
प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर विभागों के उत्तर	1.11	11
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही-संक्षिप्त स्थिति	1.12	11
पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की अनुपालना	1.13	11
अधिनियमों/नियमों में संशोधन	1.14	12
लेखापरीक्षा के परिणाम	1.15	12
अध्याय-II : बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर		
लेखापरीक्षा के परिणाम	2.1	14
समीक्षाः बिक्री कर से मूल्य परिवर्धित कर में परिवर्तन	2.2	15
अन्य लेखापरीक्षा टिप्पणियां	2.3	29
अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों की पालना नहीं करना	2.4	29
कर की गलत छूट देना	2.4.1	30
कर की गलत दर लगाने के कारण कर का कम आरोपण	2.4.2	30
गणना में त्रुटि के कारण अवनिर्धारण	2.4.3	31

	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
प्रवेश कर का अनारोपण	2.4.4	32
वस्तुओं के हस्तांतरण पर कर की अनियमित छूट देना	2.4.5	33
अन्तर्राज्यीय विक्रय पर कर का कम आरोपण	2.4.6	34
सरकार की अधिसूचनाओं/योजनाओं की पालना नहीं करना	2.5	34
शर्त के उल्लंघन पर लाभ वापस नहीं लेना	2.5.1	35
अधिक छूट देना	2.5.2	36
अधिक अर्थसहाय्य प्रदान करना	2.5.3	36
अध्याय-III : मोटर वाहनों पर कर		
लेखापरीक्षा के परिणाम	3.1	38
समीक्षाः परिवहन विभाग द्वारा कर का आरोपण एवं संग्रहण	3.2	39
अन्य लेखापरीक्षा टिप्पणियां	3.3	50
विशेष पथकर एवं शास्ति की अवसूली	3.3.1	50
प्रदूषण नियंत्रण	3.3.2	51
अध्याय-IV : मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क तथा भू-राजस्व		
लेखापरीक्षा के परिणाम	4.1	53
मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क		
लेखापरीक्षा टिप्पणियां	4.2	54
मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की अवसूली	4.3	54
अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों की पालना नहीं करना	4.4	55
पट्टा विलेखों के पंजीयन पर मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का कम आरोपण	4.4.1	55
सम्पत्ति के अवमूल्यांकन के कारण मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का कम आरोपण	4.4.2	57
डवलपर इकरारनामों का अपंजीयन	4.4.3	58
अध्याय-V : राज्य आबकारी शुल्क		
लेखापरीक्षा के परिणाम	5.1	59
लेखापरीक्षा टिप्पणियां	5.2	60
आबकारी नीति के प्रावधानों की पालना नहीं करना	5.3	60
आबकारी शुल्क का कम आरोपण	5.3.1	60
अनुज्ञा शुल्क का कम आरोपण	5.3.2	62
अपेय बीयर पर आबकारी शुल्क का अनारोपण	5.3.3	62
अधिक क्षति पर आबकारी शुल्क की अवसूली	5.3.4	63

	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
अध्याय-VI: कर-इतर प्राप्तियाँ		
लेखापरीक्षा के परिणाम	6.1	64
अ. जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग		
समीक्षाः जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग की प्राप्तियां	6.2	65
ब. खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभाग		
लेखापरीक्षा टिप्पणियां	6.3	74
अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों की अवहेलना	6.4	75
अधिशुल्क की मांग कम कायम करना	6.4.1	75
हैन्डलिंग तथा प्रोसेसिंग हानि की अनियमित छूट	6.4.2	76
खनिज जिप्सम पर अधिशुल्क की कम वसूली	6.4.3	76
अधिक अधिशुल्क तथा उस पर ब्याज की अवसूली	6.4.4	77
गलत दर लगाने के कारण अधिशुल्क की कम वसूली	6.4.5	77
दोषी पट्टाधारियों से अधिशुल्क की कम वसूली	6.4.6	78
अधिशुल्क की अवसूली	6.4.7	78
अनधिकृत उत्खनित खनिज की कीमत की अवसूली	6.4.8	78
ठेकेदारों द्वारा खनिजों का अनधिकृत उत्खनन	6.4.9	81
बिना *रवन्ना* के भेजे गए खनिज की लागत की अवसूली	6.4.10	81
ब्याज की मांग कायम न करना	6.4.11	82
पट्टेधारी को अदेय लाभ देना	6.4.12	84
संरक्षण नियमों की पालना नहीं करने के कारण राजस्व की हानि	6.4.13	84
सरकारी आदेशों की पालना नहीं करना	6.5	85
अनुज्ञप्ति शुल्क की मांग कायम व वसूल न करना	6.5.1	85
प्रीमियम प्रभारों की अवसूली	6.5.2	86
एमनेस्टी योजना के अधीन ब्याज का अनियमित अधित्याग	6.5.3	86
मांग व संग्रहण पंजिका में मांग का इन्द्राज नहीं करने के कारण राजस्व की अवसूली	6.5.4	87
नियमों में कमियां	6.5.5	88
स. नगरीय विकास विभाग		
लेखापरीक्षा टिप्पणियां	6.6	88
नियमों के प्रावधानों की अवहेलना	6.7	89
लीज राशि सरकारी खाते में जमा नहीं करना/कम जमा करना	6.7.1	89

	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
लीज राशि एवं ब्याज की वसूली/मांग कायम न करना	6.7.2	90
सम्पत्ति के अवमूल्यांकन के कारण रा.आ.मं. द्वारा लीज राशि का कम आरोपण	6.7.3	91
कम दर लगाने के कारण राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम पर लीज राशि का कम आरोपण	6.7.4	91
रियायती आरक्षित दरों पर लीज राशि की गणना करने के कारण संस्थाओं से लीज राशि का कम आरोपण	6.7.5	91
न.सु.न्या., अजमेर द्वारा लीज राशि पर वसूले गये ब्याज के राजकीय हिस्से को जमा नहीं कराना	6.7.6	92
रा.आ.मं./न.सु.न्या. द्वारा लीज धारकों के व्यक्तिगत खातों का रख-रखाव नहीं करना	6.7.7	92
द. गृह (पुलिस) विभाग		
मांग कायम न करना	6.8	93

प्रस्तावना

31 मार्च 2009 को समाप्त हुए वर्ष का यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों की लेखापरीक्षा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत की जाती है। यह प्रतिवेदन प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के परिणाम प्रस्तुत करता है, जिसमें बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर, मोटर वाहनों पर कर, भू-राजस्व, मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क, राज्य आबकारी शुल्क सहित राज्य की अन्य कर एवं कर-इतर प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लेखित मामले उनमें से हैं जो वर्ष 2008-09 के दौरान अभिलेखों की मापक लेखापरीक्षा के समय ध्यान में आए तथा उनमें से भी हैं जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में आए थे, किन्तु विगत प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किये जा सके।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में कर, ब्याज, शास्ति इत्यादि के अनारोपण/कम आरोपण से संबंधित तीन समीक्षाओं सहित 48 अनुच्छेद सम्मिलित हैं, जिनमें 392.71 करोड़ रुपये अन्तर्निहित हैं। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों में से कुछ का उल्लेख नीचे दिया गया है:

I. सामान्य

वर्ष 2007-08 में 30,780.62 करोड़ रुपये के विरूद्ध वर्ष 2008-09 के दौरान राजस्थान सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां 33,468.85 करोड़ रुपये थी। कर राजस्व 14,943.75 करोड़ रुपये तथा कर-इतर राजस्व 3,888.46 करोड़ रुपये को समाविष्ट करते हुए सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व की राशि 18,832.21 करोड़ रुपये थी। भारत सरकार से प्राप्तियां 14,636.64 करोड़ रुपये (संघ के विभाज्य करों में से राज्य का भाग: 8,998.47 करोड़ रुपये तथा सहायतार्थ अनुदान : 5,638.17 करोड़ रुपये) थीं। इस प्रकार, राज्य सरकार कुल राजस्व प्राप्तियों का 56 प्रतिशत एकत्रित कर सकी। वर्ष 2008-09 के दौरान कर एवं कर-इतर राजस्व के मुख्य स्रोत, बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर (8,442.02 करोड़ रुपये), राज्य आबकारी (2,169.90 करोड़ रुपये), मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क (1,356.63 करोड़ रुपये), वाहनों पर कर (1,213.56 करोड़ रुपये) तथा अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग (1,275.59 करोड़ रुपये) थे।

(अनुच्छेद 1.1)

वर्ष 2008-09 के अन्त में राजस्व के कुछ प्रधान शीर्षों के अंतर्गत कुल 4,751.83 करोड़ रुपये राजस्व की बकाया अवसूल रही। ये बकाया मुख्यतः बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर, राज्य आबकारी, वाहनों पर कर, मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क, भू-राजस्व, अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग, विविध सामान्य सेवाऐं-भूमि की बिक्री, वृहद एवं मध्यम सिंचाई, कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर तथा पुलिस से सम्बन्धित थीं।

(अनुच्छेद 1.4)

विभागों/सरकार ने वर्ष 2003-04 से 2007-08 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बन्धित 748.48 करोड़ रुपये की लेखापरीक्षा टिप्पणियां स्वीकार की, जिनमें से सितम्बर 2009 तक 143.38 करोड़ रुपये वसूल कर लिए गये।

(अनुच्छेद 1.13)

वर्ष 2008-09 के दौरान बिक्री कर, मोटर वाहनों पर कर, भू-राजस्व, विद्युत शुल्क, मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क, राज्य आबकारी तथा अन्य कर-इतर प्राप्तियों के अभिलेखों की मापक जांच से 23,583 प्रकरणों में 808.41 करोड़ रुपये के राजस्व के अवनिर्धारण/कम आरोपण/हानि का पता चला। सम्बन्धित विभागों ने 14,681 प्रकरणों में अन्तर्निहित 123.95 करोड़ रुपये के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की, जिनमें से 50.63 करोड़ रुपये के 6,372 प्रकरण वर्ष 2008-09 में तथा शेष पूर्व के वर्षों के दौरान लेखापरीक्षा में ध्यान में लाये गये थे। लेखापरीक्षा द्वारा बताये जाने पर विभागों ने वर्ष 2008-09 के दौरान 4,095 प्रकरणों में 16.33 करोड़ रुपये की वसूली की।

(अनुच्छेद 1.15)

II. बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर

"बिक्री कर से मूल्य परिवर्धित कर में परिवर्तन" की समीक्षा से निम्नलिखित प्रकट हुआः

- विभाग, उन व्यवहारियों का कर निर्धारण उनकी लेखा पुस्तकों के आधार पर करने में विफल रहा, जिन्होंने विवरणियाँ विलम्ब से प्रस्तुत की।

(अनुच्छेद 2.2.9.3(iii))

- विभाग, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (रा.मू.प.क.) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार टैक्स ऑडिट लागू करने में विफल रहा।

(अनुच्छेद 2.2.10.1)

- क्रय के समय अदा किये गए मूल्य परिवर्धित कर (मू.प.क.) का आगत कर के रूप में क्रेडिट अनुमत्य करने से पूर्व उनका सत्यापन करने सम्बन्धी प्रावधान/निर्देश के विपरीत 810 प्रकरणों में 121.94 करोड़ रुपये का आगत कर का क्रेडिट बिना पूर्व सत्यापन के अनुमत्य किया गया।

(अनुच्छेद 2.2.11.3)

राजस्थान बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत दो व्यवहारियों को कर की गलत छूट देने के परिणामस्वरूप 2.76 करोड़ रुपये के कर एवं ब्याज की वसूली नहीं हुई।

(अनुच्छेद 2.4.1)

कर की गलत दर लगाने के परिणामस्वरूप 16 मामलों में 71.54 लाख रुपये के कर का कम आरोपण हुआ।

(अनुच्छेद 2.4.2)

राज्य के बाहर से क्रय करने पर प्रवेश कर एवं ब्याज के कुल 49.81 लाख रुपये कम आरोपित हुये।

(अनुच्छेद 2.4.4)

एक व्यवहारी को वस्तुओं के हस्तान्तरण पर 9.40 करोड़ रुपये के कर एवं ब्याज की अनियमित छूट दी गई।

(अनुच्छेद 2.4.5)

दो प्रकरणों में केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत कर की रियायती दर की त्रुटिपूर्ण छूट प्रदान करने के परिणामस्वरूप 5.24 करोड़ रुपये के कर एवं ब्याज का कम आरोपण हुआ।

(अनुच्छेद 2.4.6)

नौ औद्योगिक इकाईयों द्वारा शर्त के उल्लंघन पर कर मुक्ति लाभ वापस नहीं लेने के परिणामस्वरूप 8.77 करोड़ रुपये के कर की वसूली नहीं हुई।

(अनुच्छेद 2.5.1)

III. मोटर वाहनों पर कर

"**परिवहन विभाग द्वारा कर का आरोपण एवं वसूली**" पर समीक्षा से निम्नलिखित प्रकट हुआः

- सांख्यिकीय प्रतिदर्श द्वारा लेखापरीक्षा के लिए चयनित प्रकरणों में 2,924 वाहन स्वामियों से कर एवं शास्ति के 9.40 करोड़ रुपये की अवसूली/कम वसूली ध्यान में आयी।

(अनुच्छेद 3.2.10)

- परिवहन वाहनों के यांत्रिक उपयुक्तता प्रमाण-पत्र प्राप्त किये बिना संचालित होने के परिणामस्वरूप 27.77 करोड़ रुपये की फीस की अवसूली रही।

(अनुच्छेद 3.2.14)

- सांख्यिकीय प्रतिदर्श के परिणाम को वाहनों की कुल संख्या पर लागू करने (एक्सट्रापोलेशन) से प्रदर्शित होता है कि कर/फीस/शास्ति की अवसूली/कम वसूली से राजस्व की कुल हानि 477.63 करोड़ रुपये हो सकती है।

(अनुच्छेद 3.2.16)

पंजीयन प्रमाण-पत्रों के समर्पण अवधि के दौरान संचालित पाये गये राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के 295 मंजिली वाहनों पर विशेष पथकर एवं शास्ति की राशि 10.46 करोड़ रुपये का आरापेण नहीं किया गया।

(अनुच्छेद 3.3.1)

IV. मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क तथा भू-राजस्व

अचल सम्पत्तियों के पट्टा विलेखों के अपंजीयन के परिणामस्वरूप 8.40 करोड़ रुपये के मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की अवसूली रही।

(अनुच्छेद 4.3)

पट्टा विलेखों के पंजीयन पर कुल 93.14 लाख रुपये के मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का कम आरोपण हुआ।

(अनुच्छेद 4.4.1)

डवलपर इकरारनामों के अपंजीयन के परिणामस्वरूप 77.62 लाख रुपये के राजस्व की अवसूली रही।

(अनुच्छेद *4.4.3*)

V. राज्य आबकारी शुल्क

अद्धों एवं पव्वों में आपूर्तित भारत निर्मित विदेशी मदिरा की बिक्री पर 43.34 करोड़ रुपये के आबकारी शुल्क का कम आरोपण हुआ।

(अनुच्छेद 5.3.1)

बासठ कम्पोजिट दूकानों पर अनुज्ञा शुल्क के 1.65 करोड़ रुपये का कम आरोपण हुआ।

(अनुच्छेद 5.3.2)

VI. कर-इतर प्राप्तियाँ

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग

"जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग की प्राप्तियाँ" पर समीक्षा से निम्नलिखित प्रकट हुआः

- विभाग द्वारा संधारित बकाया के विवरण में नगर निगमों/नगर पालिकाओं पर 85.76 करोड़ रुपये की बकाया मांग को सम्मिलित नहीं किया गया।

(अनुच्छेद 6.2.7.2)

- जल मीटरों के कार्य न करने के परिणामस्वरूप जल प्रभारों का गलत निर्धारण हुआ ।

(अनुच्छेद 6.2.7.4)

- बकाया मांग पर 55.15 करोड़ रुपये ब्याज के आरोपित नहीं किये गये।

(अनुच्छेद 6.2.9.1)

- नगर निगम जोधपुर पर जल प्रभारों को आरोपित नहीं करने के परिणामस्वरूप 2.35 करोड़ रुपये की वसूली नहीं हुई।

(अनुच्छेद 6.2.9.2)

- जल के असामान्य रिसाव के कारण 234.43 करोड़ रुपये की राजस्व हानि हुई।

(अनुच्छेद 6.2.9.3)

- मुद्रांक कर के 87.58 लाख रुपये की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 6.2.9.5)

खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभाग

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अधिशुल्क का आरोपण नहीं करने के परिणामस्वरूप 13.56 करोड़ रुपये की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 6.4.1)

हैन्डलिंग तथा प्रोसेसिंग हानि की अनियमित छूट के परिणामस्वरूप 3.24 करोड़ रुपये के अधिशुल्क की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 6.4.2)

अनधिकृत उत्खनन पर खनिज लागत के 13.48 करोड़ रुपये प्रभारित नहीं किये गये।

(अनुच्छेद 6.4.8)

ठेकेदारों द्वारा खनिजों के अनधिकृत उत्खनन पर खनिज लागत के 4.80 करोड़ रुपये प्रभारित नहीं किये गये।

(अनुच्छेद 6.4.9)

बिना रवन्ना के भेजे गये खनिज की लागत की अवसूली के परिणामस्वरूप 1.49 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।

(अनुच्छेद 6.4.*10*)

अनुज्ञप्ति शुल्क की मांग कायम न करने के परिणामस्वरूप 9.85 करोड़ रुपये की वसूली नहीं हुई।

(अनुच्छेद 6.*5.1*)

गृह (पुलिस) विभाग

पुलिस लागत की मांग कायम न करने के परिणामस्वरूप 84.98 लाख रुपये की हानि हुई।

(अनुच्छेद 6.8)

अध्याय-I: सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृति

1.1.1 राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2008-09 के दौरान वसूल किया गया कर एवं कर-इतर राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त विभाजित होने वाले संघीय करों में राज्य का भाग और सहायतार्थ अनुदान तथा गत चार वर्षों के तद्नुरूपी आंकड़े नीचे दर्शाए गये हैं :

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं	विवरण	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
I.	राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व					
	• कर राजस्व	8,414.82	9,880.23	11,608.24	13,274.73	14,943.75
	• कर-इतर राजस्व	2,146.15	2,737.67	3,430.61	4,053.93	3,888.46
	योग	**10,560.97**	**12,617.90**	**15,038.85**	**17,328.66**	**18,832.21**
II.	भारत सरकार से प्राप्तियाँ					
	• विभाजित होने वाले संघीय करों में राज्य का भाग	4,305.61	5,300.08	6,760.37	8,527.60	8,998.47
	• सहायतार्थ अनुदान	2,897.01	2,921.21	3,792.96	4,924.36	5,638.17
	योग	**7,202.62**	**8,221.29**	**10,553.33**	**13,451.96**	**14,636.64**
III.	राज्य की कुल प्राप्तियाँ (I + II)	**17,763.59**	**20,839.19**	**25,592.18**	**30,780.62**	**33,468.85**[1]
IV	III से I का प्रतिशत	**59**	**61**	**59**	**56**	**56**

उपर्युक्त तालिका इंगित करती है कि वर्ष 2008-09 के दौरान राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व कुल राजस्व प्राप्तियों (33,468.85 करोड़ रुपये) का 56 प्रतिशत रहा। वर्ष 2008-09 के दौरान प्राप्तियों का शेष 44 प्रतिशत भारत सरकार से था।

[1] ब्यौरे के लिए, कृपया राजस्थान सरकार के वर्ष 2008-09 के वित्त लेखे की 'विवरणी संख्या- 11 - लघु शीर्षवार राजस्व के विस्तृत लेखे' देखें। वित्त लेखों में 'क- कर राजस्व' के अन्तर्गत प्रदर्शित मद 0020-निगम कर, '0021-निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0022 - कृषि आय पर कर, 0032 - सम्पदा पर कर, 0037-सीमा शुल्क, 0038-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं 0044- सेवा कर - शुद्ध प्राप्तियों में से राज्य को दिया गया भाग के आंकड़ों को उपरोक्त विवरण में 'राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व' में से घटाया गया है एवं 'विभाजित होने वाले संघीय करों में राज्य का भाग' में जोड़ा गया है।

1.1.2 निम्नलिखित तालिका वर्ष 2004-05 से 2008-09 की अवधि के दौरान एकत्रित कर राजस्व का विवरण प्रदर्शित करती है:

(करोड़ रुपयों मे)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2008-09 में 2007-08 पर प्रतिशत वृद्धि(+)/ कमी (-)
1.	• बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	4,500.78	5,245.41	6,272.15	7,345..84	8,442.02	(+) 15
	• केन्द्रीय बिक्री कर	296.75	348.23	448.56	404.90	462.48	(+) 14
2.	राज्य आबकारी शुल्क	1,276.07	1,521.80	1,591.09	1,805.12	2,169.90	(+) 20
3.	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क .	817.83	1,031.79	1,293.68	1,544.35	1,356.63	(-) 12
4.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	442.76	471.35	515.88	584.23	654.05	(+)12
5.	वाहनों पर कर	817.21	908.18	1,023.61	1,164.40	1,213.56	(+) 4
6.	माल एवं यात्रियों पर कर	144.01	236.71	247.60	160.61	189.87	(+) 18
7.	आय एवं व्यय पर अन्य कर, व्यवसाय, व्यापार, पेशा एवं रोजगार पर कर	1.85	0.25	0.06	0.04	0.04	शून्य
8.	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	47.56	31.70	46.04	58.91	64.52	(+) 10
9.	भू-राजस्व	68.86	84.30	116.71	155.29	162.52	(+) 5
10.	अन्य कर	1.14	0.51	52.86	51.04	228.16	(+) 347
योग		**8,414.82**	**9,880.23**	**11,608.24**	**13,274.73**	**14,943.75**	**(+) 13**

सम्बन्धित विभागों ने 2007-08 पर 2008-09 के दौरान प्राप्तियों में वृद्धि/कमी के निम्नलिखित कारण बतायेः

बिक्री, व्यापार इत्यादि पर करः समुचित अनुश्रवण, कर अपवंचन पर रोकथाम तथा वसूली प्रयासों के कारण वृद्धि (15 प्रतिशत) हुई।

राज्य आबकारी शुल्कः नयी आबकारी नीति लागू करने एवं मदिरा की बिक्री में वृद्धि के कारण वृद्धि (20 प्रतिशत) हुई।

मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्कः दस्तावेजों के पंजीयन की संख्या में गिरावट तथा महिला स्वामियों को पंजीयन शुल्क में छूट के कारण कमी (12 प्रतिशत) हुई।

विद्युत पर कर एवं शुल्कः विद्युत की अधिक बिक्री के कारण वृद्धि (12 प्रतिशत) हुई।

माल एवं यात्रियों पर करः समुचित अनुश्रवण, कर अपवंचन पर रोकथाम तथा वसूली प्रयासों के कारण वृद्धि (18 प्रतिशत) हुई।

वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्कः विलासिता कर से राजस्व में बढ़ोतरी एवं पर्यटकों के प्रवाह में बढ़ोतरी के कारण वृद्धि (10 प्रतिशत) हुई।

अन्य करः रॉक फॉस्फेट युक्त भूमि के लिए जिला स्तरीय कमेटी द्वारा अनुमोदित दरों में वृद्धि तथा बकाया की वसूली के कारण वृद्धि (347 प्रतिशत) हुई।

केन्द्रीय बिक्री कर में वृद्धि (14 प्रतिशत) के लिए वाणिज्यिक कर विभाग ने अनुरोध करने (जून 2009) के उपरान्त भी कारणों से अवगत नहीं कराया (अक्टूबर 2009)।

1.1.3 निम्नलिखित तालिका वर्ष 2004-05 से 2008-09 की अवधि के दौरान राज्य द्वारा वसूल किये गये मुख्य कर-इतर राजस्व का विवरण प्रदर्शित करती हैः

(करोड़ रुपयों मे)

क्र. सं	राजस्व शीर्ष	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2008-09 में 2007-08 पर प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
1.	ब्याज प्राप्तियाँ	754.94	990.21	1,072.72	1,112.43	1,195.96	(+) 8
2.	वानिकी एवं वन्य जीवन	39.41	40.07	45.24	58.30	57.74	(-) 1
3.	अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	645.35	814.08	1,196.52	1,226.61	1,275.59	(+) 4
4.	विविध सामान्य सेवाएं	90.47	305.87	528.28	919.72	580.33	(-) 37
5.	वृहद एवं मध्यम सिंचाई	56.50	46.79	60.56	57.92	54.16	(-) 6
6.	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	29.84	16.70	30.62	39.11	36.87	(-) 6
7.	सहकारिता	8.71	14.79	22.23	27.01	18.13	(-) 33
8.	सार्वजनिक निर्माण	17.85	27.86	47.47	53.41	93.43	(+) 75
9.	पुलिस	54.04	75.86	42.61	94.81	71.43	(-) 25
10.	अन्य प्रशासनिक सेवायें	91.79	54.02	54.84	54.71	49.57	(-) 9
11.	अन्य कर-इतर प्राप्तियाँ	357.25	351.42	329.52	409.90	455.25	(+) 11
	योग	**2,146.15**	**2,737.67**	**3,430.61**	**4,053.93**	**3,888.46**	**(-) 4**

सम्बन्धित विभागों ने 2007-08 पर 2008-09 के दौरान प्राप्तियों में वृद्धि/कमी के निम्नलिखित कारण बतायेः

विविध सामान्य सेवाएंः कमी (37 प्रतिशत) मुख्यतः भारत सरकार द्वारा समेकित ऋण के पुनर्भुगतान की मुक्ति, नये सरकारी स्टाक के जारी करने पर प्रीमियम, मूल्यह्रास आरक्षित निधि को राशि का हस्तान्तरण तथा भारतीय रिजर्व बैंक के शेष के साथ शेषों का मिलान कर समाशोधित करने के कारण हुई।

सहकारिताः कमी (33 प्रतिशत) मुख्यतः राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम में सहायतार्थ अनुदान की कम प्राप्ति के कारण हुई।

सार्वजनिक निर्माणः राजस्थान विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से बकाया किराये की प्राप्ति के कारण वृद्धि (75 प्रतिशत) हुई।

पुलिसः अन्य सरकारों को पुलिस बल उपलब्ध कराने पर कम प्राप्तियों के कारण कमी (25 प्रतिशत) हुई।

अन्य विभागों ने अनुरोध करने (जून 2009) के उपरान्त भी प्राप्तियों में अन्तर के कारणों को सूचित नहीं किया (अक्टूबर 2009)।

1.2 बजट अनुमानों और वास्तविक आंकड़ों में अन्तर

वर्ष 2008-09 के लिए कर एवं कर-इतर राजस्व के मुख्य शीर्षों से संबंधित बजट अनुमानों और वास्तविक राजस्व प्राप्तियों के अन्तर नीचे दर्शाए गए हैः

(करोड़ रुपयों मे)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक	अन्तर वृद्धि (+)/ कमी (-)	अन्तर का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
कर राजस्व					
1.	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	8,500.00	8,904.50	(+) 404.50	(+) 5
2.	राज्य आबकारी शुल्क	1,910.00	2,169.90	(+) 259.90	(+) 14
3.	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	1,725.00	1,356.63	(-) 368.37	(-) 21
4.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	635.34	654.05	(+) 18.71	(+) 3
5.	वाहनों पर कर	1,153.00	1,213.56	(+) 60.56	(+) 5
6.	भू-राजस्व	212.06	162.52	(-) 49.54	(-) 23
7.	कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर	66.88	228.16	(+) 161.28	(+) 241
	योग	**14,202.28**	**14,689.32**	**(+)487.04**	**(+) 3**
कर-इतर राजस्व					
1.	अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	1,400.00	1,275.59	(-) 124.41	(-) 9
2.	ब्याज प्राप्तियां	1,006.87	1,195.96	(+)189.09	(+) 19
3.	विविध सामान्य सेवाएं	453.10	580.33	(+) 127.23	(+) 28
4.	वानिकी एवं वन्य जीवन	53.79	57.74	(+) 3.95	(+) 7
5.	पुलिस	78.02	71.43	(-) 6.59	(-) 8
	योग	**2,991.78**	**3,181.05**	(+)**189.27**	(+) **6**

सम्बन्धित विभागों ने वर्ष 2008-09 के लिये राजस्व के बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों में अन्तर के निम्नलिखित कारण बतायेः

राज्य आबकारी शुल्कः शुल्क ढांचे में परिवर्तन के कारण वृद्धि (14 प्रतिशत) हुई।

मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्कः दस्तावेजों के पंजीयन की संख्या में गिरावट तथा महिलाओं को पंजीयन शुल्क में छूट के कारण कमी (21 प्रतिशत) हुई।

कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर करः रॉक फॉस्फेट युक्त भूमि के लिए जिला स्तरीय कमेटी द्वारा अनुमोदित दरों में वृद्धि तथा बकाया की वसूली के कारण वृद्धि (241 प्रतिशत) हुई।

ब्याज प्राप्तियांः वृद्धि (19 प्रतिशत) मुख्यतः उपशीर्ष "नकद शेषों के निवेश पर प्राप्त ब्याज" के अन्तर्गत प्राप्तियों के पूर्व निर्धारण के अभाव में टोकन प्रावधान एवं अतिरिक्त ऋण देने के कारण हुई।

विविध सामान्य सेवाएंः वृद्धि (28 प्रतिशत) के कारणों को विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।

अन्य विभागों ने अनुरोध करने (जून 2009) के उपरान्त भी अन्तर के कारणों को सूचित नहीं किया (अक्टूबर 2009)।

1.3 संग्रहण की लागत

वर्ष 2007-08 के लिए सकल संग्रहण पर संग्रहण-व्यय के सुसंगत अखिल भारतीय औसत प्रतिशत के साथ वर्ष 2006-07, 2007-08 और 2008-09 के दौरान प्रमुख राजस्व प्राप्तियों में सकल संग्रहण, संग्रहण पर किया गया व्यय और ऐसे व्यय का सकल संग्रहण पर प्रतिशत निम्न प्रकार है:

(करोड़ रुपयों मे)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	वर्ष	संग्रहण	राजस्व संग्रहण पर व्यय	संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत	वर्ष 2007-08 के लिये अखिल भारतीय औसत प्रतिशत
1.	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	2006-07	6,720.71	60.05	0.9	0.83
		2007-08	7,750.74	53.76	0.7	
		2008-09	8,904.50	70.21	0.8	
2.	राज्य आबकारी शुल्क	2006-07	1,591.09	42.52	2.7	3.27
		2007-08	1,805.12	48.51	2.7	
		2008-09	2,169.90	64.46	3.0	
3.	वाहनों पर कर	2006-07	1,023.61	15.56	1.5	2.58
		2007-08	1,164.64	17.44	1.5	
		2008-09	1,213.56	29.25	2.4	
4.	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	2006-07	1,293.68	19.21	1.5	2.09
		2007-08	1,544.35	22.80	1.5	
		2008-09	1,356.63	29.09	2.1	

1.4 राजस्व की बकाया का विश्लेषण

31 मार्च 2009 को राजस्व के कुछ प्रमुख शीर्षों के संबंध में राजस्व की बकाया राशि 4,751.83 करोड़ रुपये थी जिसमें से 1,022.06 करोड़ रुपये पांच वर्षों से अधिक

समय से बकाया थे, जैसा नीचे दर्शाया गया है:

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2009 को बकाया राशि	पांच वर्षों से अधिक की बकाया राशि	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	3,683.13	680.64	3,683.13 करोड़ रुपयों में से 302.12 करोड़ रुपयों की मांग पर न्यायिक प्राधिकारियों का स्थगन था, 171.60 करोड़ रुपयों की मांग भू-राजस्व अधिनियम तथा राजस्व वसूली अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित थी, 36.34 करोड़ रुपये की मांग अपलिखित होने की संभावना थी तथा 304.28 करोड़ रुपये की मांग उन व्यापारियों के विरूद्ध बकाया थी, जिनका पता नहीं चल सका। 20.94 करोड़ रुपये की वसूली सरकारी विभागों के विरूद्ध बकाया थी। 2,847.85 करोड़ रुपये की बकाया, वसूली के विभिन्न स्तरों पर थी।
2.	राज्य आबकारी शुल्क	222.17	194.28	222.17 करोड़ रुपयों में से 88.92 करोड़ रुपयों की वसूली उच्च न्यायालय/न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित कर दी गई, 43.45 करोड़ रुपये की वसूली अपलिखित होने की संभावना थी तथा 89.80 करोड़ रुपयों की माँग, भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत वसूली प्रमाण-पत्रों से आच्छादित थी।
3.	वाहनों पर कर	42.97	16.29	42.97 करोड़ रुपयों में से 1.90 करोड़ रुपयों की मांगें न्यायालय/सरकार द्वारा स्थगित कर दी गई। 39.89 करोड़ रुपये की मांगें वसूली प्रमाण-पत्रों के द्वारा आच्छादित थी। 82 लाख रुपयों की मांग भू-राजस्व अधिनियम तथा लोक ऋण वसूली अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित थी। 36 लाख रुपयों की बकाया, वसूली के विभिन्न स्तरों पर थी।
4	यात्री एवं माल पर कर	1.90	1.90	जिस स्तर पर वसूली बकाया है, उसकी सूचना परिवहन विभाग द्वारा नहीं दी गई।
5.	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	117.65	29.81	117.65 करोड़ रुपयों में से 66.34 करोड़ रुपयों की मांगें वसूली प्रमाण-पत्रों से आच्छादित थीं। 51.31 करोड़ रुपयों की मांगें उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित कर दी गई।
6.	भू-राजस्व	83.74	12.97	83.74 करोड़ रुपयों में से 3.28 करोड़ रुपयों की मांगें सरकार द्वारा स्थगित कर दी गई तथा 22.39 करोड़ रुपयों की मांगें उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित कर दी गई थी। 58.07 करोड़ रुपयों की बकाया, वसूली के विभिन्न स्तरों पर थी।
7	अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	103.17	37.92	103.17 करोड़ रुपयों में से 60.32 करोड़ रुपयों की मांगें उच्च न्यायालय/ अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित कर दी गई तथा 1.43 करोड़ रुपयों की वसूली सरकार द्वारा स्थगित कर दी गई। 28.29 करोड़ रुपयों की मांगें भू-राजस्व अधिनियम तथा लोक ऋण वसूली अधिनियम के अन्तर्गत वसूली प्रमाण-पत्रों से आच्छादित थीं। 2.23 करोड़ रुपयों की बकाया अपलिखित होने की संभावना थी। 10.90 करोड़ की मांगे, वसूली के विभिन्न स्तरों पर थीं।

1	2	3	4	5
8	विविध सामान्य सेवाएं- भूमि की बिक्री	120.63	30.08	जिस स्तर पर वसूली बकाया है, उसकी सूचना उपनिवेशन विभाग द्वारा नहीं दी गई।
9	वृहद एवं मध्यम सिंचाई[2]	79.99	16.56	79.99 करोड़ रुपयों में से राजस्व मण्डल से सम्बन्धित 4.66 करोड़ रुपयों की मांगें कृषकों के विरूद्ध बकाया थी। 75.33 करोड़ रुपयों की वसूली जिस स्तर पर बकाया थी, उसकी सूचना मुख्य अभियन्ता, इ.गा.न.प., बीकानेर; आयुक्त, सिं.क्षे.वि., चम्बल, कोटा; मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, जयपुर एवं मुख्य अभियन्ता, माही बजाज सागर, बांसवाड़ा द्वारा नहीं दी गई ।
10	पुलिस	17.51	1.61	17.51 करोड़ रुपयों में से 1.46 करोड़ रुपये, 12.93 करोड़ रुपये एवं 3.12 करोड़ रुपये क्रमशः रेलवे, अन्य राज्यों एवं केन्द्रीय सरकार से वसूली हेतु बकाया थे।
11	कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर	278.97	शून्य	278.97 करोड़ रुपयों में से 101.47 करोड़ रुपये उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित कर दिये गये। 177.50 करोड़ रुपयों की मांग भू-राजस्व अधिनियम तथा लोक ऋण वसूली अधिनियम के अन्तर्गत वसूली प्रमाण-पत्रों से आच्छादित थी।
	योग	**4,751.83**	**1,022.06**	

1.5 कर निर्धारणों में बकाया

वर्ष 2004-05 से 2008-09 के दौरान कर निर्धारण के लम्बित प्रकरणों का विवरण, जैसा कि विभागों द्वारा प्रेषित किया गया, नीचे दर्शाया गया है:

वर्ष	प्रारंभिक शेष	निर्धारण योग्य नये प्रकरण	योग	वर्ष के दौरान निपटाये गये प्रकरण	वर्ष के अन्त में बकाया प्रकरण
बिक्री कर					
2004-05	81,346	2,12,397	2,93,743	2,28,913	64,830
2005-06	64,830	1,90,787	2,55,617	2,54,740	877
2006-07	877	2,43,771	2,44,648	2,43,618	1,030
2007-08	1,030	2,57,923	2,58,953	2,57,609	1,344
2008-09	1,344	2,54,289	2,55,633	2,55,262	371
मनोरंजन कर					
2004-05	2,060	2,514	4,574	2,606	1,968
2005-06	1,968	2,996	4,964	3,619	1,345
2006-07	1,345	2,193	3,538	2,546	992
2007-07	992	1,772	2,764	1,642	1,122
2008-09	1,122	1,206	2,328	1,451	877

[2] यह सूचना राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर (4.66 करोड़ रुपये); मुख्य अभियंता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना (इ.गा.न.प.), बीकानेर (7.72 करोड़ रुपये); आयुक्त, सिंचित क्षेत्र विकास (सिं.क्षे.वि.) चम्बल, कोटा (13.63 करोड़ रुपये); मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, जयपुर (31.38 करोड़ रुपये) एवं मुख्य अभियन्ता, माही बजाज सागर, बांसवाड़ा (22.60 करोड़ रुपये) से संबंधित है।

1.6 कर का अपवंचन

वर्ष 2008-09 में विभागों द्वारा पता लगाये गये कर अपवंचन के प्रकरण, अन्तिम रूप दिये गये प्रकरण तथा अतिरिक्त कर की मांग कायमी का विवरण, जैसा कि विभागों द्वारा सूचित किया गया, नीचे दर्शाया गया है:

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	1 अप्रैल 2008 को प्रारम्भिक शेष	पता लगाये गये प्रकरण	योग	निर्धारण/अन्वेषण पूर्ण किये गये तथा शास्ति आदि सहित अतिरिक्त मांग कायमी के प्रकरणों की संख्या		31 मार्च 2009 को बकाया प्रकरणों की संख्या
					प्रकरणों की संख्या	मांग की राशि (करोड़ रुपयों में)	
1.	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	110	11,734	11,844	11,716	82.02	128
2.	अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	7,556	1,612	9,168	1,531	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया	7,637
3.	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	4,664	7,364	12,028	7,101	51.21	4,927

इस प्रकार, 31 मार्च 2009 को राजस्व शीर्ष "अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग" के अन्तर्गत अपवंचन के 83 प्रतिशत प्रकरण बकाया थे। इन प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

1.7 राजस्व का अपलेखन एवं परित्याग

वर्ष 2008-09 के दौरान, जैसा कि विभागों द्वारा सूचित किया गया, 801 प्रकरणों में 6.07 करोड़ रुपये की मांगें अपलिखित/परित्याग/माफ की गई। विवरण नीचे दर्शाया गया है:

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्रकरणों की संख्या	राशि (करोड़ रुपयों में)	कारण
1.	वाणिज्यिक कर	440	1.58	विभाग द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए।
2.	पंजीयन एवं मुद्रांक	361	4.49	विभाग द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए।
	योग	**801**	**6.07**	

1.8 प्रतिदाय

वर्ष 2008-09 के प्रारम्भ में बकाया प्रतिदाय के प्रकरण, वर्ष के दौरान प्राप्त दावों, वर्ष के दौरान अनुमत्य प्रतिदाय तथा वर्ष 2008-09 के अन्त में बकाया प्रकरणों की संख्या,

जैसा कि विभागों द्वारा सूचित की गई, नीचे दर्शायी गई है:

विभाग का नाम	प्रकरणों की संख्या राशि (करोड़ रुपयों में)			
	प्रारंभिक शेष	प्राप्त दावे	अनुमत्य प्रतिदाय	अन्तिम शेष
वाणिज्यिक कर	609 15.30	7,337 175.90	7,359 164.46	587 26.74
पंजीयन एवं मुद्रांक	526 0.86	1,446 2.99	1,375 2.50	597 1.35
भू-राजस्व	7 0.10	38 0.39	34 0.43	11 0.06
उपनिवेशन	21 0.05	23 0.07	33 0.09	11 0.03
अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	13 0.10	43 0.11	14 0.14	42 0.07
योग	**1,176** **16.41**	**8,887** **179.46**	**8,815** **167.62**	**1,248** **28.25**

1.9 जवाबदेयता लागू करने एवं सरकार के हित की रक्षा में वरिष्ठ कार्मिकों की असफलता

कर, शुल्क, फीस आदि का अवनिर्धारण, कम निर्धारण/वसूली पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ और प्रारंभिक लेखों के रख-रखाव में त्रुटियां, जिनका मौके पर निस्तारण नहीं हुआ है, निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से विभागाध्यक्षों को सूचित किए जाते हैं। महत्वपूर्ण अनियमितताऐं महालेखाकार (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) कार्यालय द्वारा सरकार/ विभागों को भी सूचित की जाती हैं, जिनके उत्तर एक माह में भेजे जाने होते हैं।

31 दिसम्बर 2008 तक जारी किये गये राजस्व प्राप्तियों से संबंधित निरीक्षण प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ, जो 30 जून 2009 को विभागों से निपटारे हेतु बकाया थीं, गत दो वर्षों के आंकडों सहित नीचे दर्शायी गयी हैं:

क्र. सं.	विवरण	30 जून को		
		2007	2008	2009
1.	निपटारे हेतु बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	2,313	2,335	2,502
2.	बकाया लेखापरीक्षा टिप्पणियों की संख्या	6,428	6,435	6,918
3.	निहित राजस्व राशि (करोड़ रुपयों में)	1,527.75	1,554.58	1,391.66

30 जून 2009 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षा टिप्पणियों का विभागानुसार विवरण नीचे दर्शाया गया है:

क्र. सं.	विभाग	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा टिप्पणियों की संख्या	राशि (करोड़ रुपयों में)	पूर्वतम वर्ष जिससे निरीक्षण प्रतिवेदन संबंधित है	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या जिनकी प्रथम अनुपालना प्राप्त नहीं हुई
1.	वाणिज्यिक कर	408	1,396	474.35	2000-01	67
2.	भू-राजस्व	292	427	144.03	1994-95	21
3.	पंजीयन एवं मुद्रांक	741	1,863	66.17	2000-01	82
4.	परिवहन	481	1,582	71.38	1998-99	शून्य
5.	वन	141	274	2.22	1999-00	शून्य
6.	खान एवं भू-विज्ञान	188	812	419.42	2000-01	2
7.	राज्य आबकारी शुल्क	163	410	198.39	1998-99	शून्य
8.	भूमि एवं भवन कर	8	10	0.52	1999-00	शून्य
9.	विद्युत निरीक्षणालय	49	84	1.70	1999-00	शून्य
10.	उपनिवेशन	31	60	13.48	1999-00	शून्य
	योग	**2,502**	**6,918**	**1,391.66**		**172**

चूंकि बकाया राशि, नहीं वसूले गये राजस्व को प्रदर्शित करती है तथा लेखापरीक्षा टिप्पणियों के लम्बित रहने की अवधि 8 से 14 वर्षों के मध्य रही, सरकार को निरीक्षण प्रतिवेदनों में बताये गये मामलों पर त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

1.10 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

विवादित विषयों पर उच्चतम प्रबन्धन के साथ विचार-विमर्श एवं लेखापरीक्षा टिप्पणियों के निस्तारण के लिए विभिन्न विभागों में लेखापरीक्षा समितियों का गठन किया गया है। सरकार, सम्बन्धित विभाग तथा महालेखाकार (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) कार्यालय इन समितियों में प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक विभाग को तिमाही आधार पर लेखापरीक्षा समिति की बैठकें आयोजित करनी थी। वर्ष 2008 के दौरान लेखापरीक्षा समितियों की विभाग-वार आयोजित बैठकों की स्थिति निम्नानुसार थी:

क्र. सं.	विभाग का नाम	2008 के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या				
		मार्च 2008 को समाप्त पहली तिमाही	जून 2008 को समाप्त दूसरी तिमाही	सितम्बर 2008 को समाप्त तीसरी तिमाही	दिसम्बर 2008 को समाप्त चौथी तिमाही	योग
1.	वाणिज्यिक कर	1	शून्य	शून्य	1	2
2.	राज्य आबकारी	1	शून्य	1	1	3
3.	परिवहन	1	1	1	शून्य	3
4.	पंजीयन एवं मुद्रांक	शून्य	शून्य	शून्य	1	1
5.	भू-राजस्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	खान एवं भू विज्ञान	शून्य	शून्य	1	शून्य	1
	योग	**3**	**1**	**3**	**3**	**10**

सरकार द्वारा लेखापरीक्षा समितियों को पुनर्जीवित करने के तुरन्त उपाय करने की आवश्यकता है, जो अप्रभावी तथा निष्क्रिय हो गई हैं।

1.11 प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर विभागों के उत्तर

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिये प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेदों के उत्तर उनकी प्राप्ति से तीन सप्ताह के अन्दर भिजवाने हेतु वित्त विभाग ने अगस्त 1969 में सभी विभागों को निर्देश जारी किये थे। प्रारूप अनुच्छेद संबंधित विभागों के सचिवों को अर्द्धशासकीय पत्रों के माध्यम से लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकृष्ट करने तथा यह अनुरोध करते हुए भेजे जाते हैं कि वे अपने उत्तर तीन सप्ताह में भिजवा दें। सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं होने के तथ्य को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रत्येक अनुच्छेदों के अन्त में आवश्यक रूप से दर्शाया जाता है।

31 मार्च 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित प्रारूप अनुच्छेद संबंधित विभागों के सचिवों को जुलाई 2009 एवं दिसम्बर 2009 के मध्य प्रेषित किये गये थे। जारी किये गये 102 मामलों (इस प्रतिवेदन के 48 अनुच्छेदों में सम्मिलित) में से 58 मामलों में विभाग ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया।

1.12 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही-संक्षिप्त स्थिति

वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, सभी विभागों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखे जाने के तीन माह के अन्दर उसमें सम्मिलित अनुच्छेदों के संबंध में अपने व्याख्यात्मक ज्ञापन लेखापरीक्षा द्वारा जांचोपरान्त राजस्थान विधानसभा सचिवालय को प्रेषित करने होते हैं।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल किये गये तथा 31 अक्टूबर 2009 को चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेदों की स्थिति **परिशिष्ट 'ए'** में दर्शायी गई है। वर्ष 2002-03 से 2007-08 की अवधि से सम्बन्धित 143 अनुच्छेद जन लेखा समिति में चर्चा हेतु शेष थे।

राजस्थान राज्य विधानसभा की जन लेखा समिति के लिये वर्ष 1997 में बनाये गये नियमों एवं कार्यविधि के अनुसार लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर जन लेखा समिति द्वारा की गई सिफारिशों के विधानसभा में प्रस्तुत करने के छः माह के अन्दर उन पर क्रियान्विति विषयक टिप्पणी को प्रेषित करने हेतु संबंधित विभाग आवश्यक कार्यवाही करेगें। बकाया क्रियान्विति विषयक टिप्पणियों की स्थिति **परिशिष्ट 'बी'** में दर्शायी गयी है।

1.13 पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की अनुपालना

वर्ष 2003-04 से 2007-08 तक से सम्बन्धित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में सरकार/विभागों ने 748.48 करोड़ रुपयों की लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ स्वीकार कीं,

जिनमें से 143.38 करोड़ रुपयों की वसूली सितम्बर 2009 तक नीचे दर्शाये अनुसार कर ली गई:

(करोड़ रुपयों में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सकल धन राशि	स्वीकार की गई धन राशि	की गई वसूली
2003-04	381.48	234.77	49.50
2004-05	276.63	15.95	5.85
2005-06	352.81	113.52	18.56
2006-07	315.25	253.31	2.61
2007-08	666.55	130.93	66.86
योग	**1,992.72**	**748.48**	**143.38**

इस प्रकार, गत पांच वर्षों में स्वीकार की गई राशि के केवल 19 प्रतिशत की वसूली हुई।

1.14 अधिनियमों/नियमों में संशोधन

लेखा-परीक्षा द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उठाये गये एक बिन्दू का समाधान करते हुए राज्य सरकार ने 2008-09 के दौरान सम्बन्धित अधिनियम में संशोधन किया है। उक्त परिवर्तन निम्न तालिका में संक्षिप्त रूप से दर्शाया गया है:

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुच्छेद का संदर्भ	लेखापरीक्षा द्वारा उठाया गया विषय	अधिनियमों/नियमों में संशोधन आदि
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2006-07 (राजस्व प्राप्तियां) का अनुच्छेद 5.2	राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत बीयर पर मूल्यानुसार 140 प्रतिशत आबकारी शुल्क लागू किया जाना था। तथापि, बीयर पर आबकारी शुल्क उस मूल्य पर लगाया गया जो या तो वसूल किये गये विक्रय मूल्य से कम था या उसमें अन्तर लागत जैसे तत्व शामिल नहीं थे।	सरकार ने अधिसूचना दिनांक 31.5.2008 द्वारा बीयर पर मूल्यानुसार 140 प्रतिशत आबकारी शुल्क के विद्यमान अभिप्राय को मद्य निर्माणशालाओं के मूल्य के मूल्यानुसार 140 प्रतिशत (जिसमें निर्यात शुल्क, वृद्धि कारक उपरिव्यय तथा केन्द्रीय बिक्री कर सम्मिलित है लेकिन अन्य कोई राशि सम्मिलित नहीं है) अभिप्राय द्वारा पूर्वगामी प्रभाव से संशोधित कर दिया।

1.15 लेखापरीक्षा के परिणाम

बिक्री कर, मोटर वाहन कर, भू-राजस्व, विद्युत-कर, मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क, राज्य आबकारी शुल्क एवं अन्य कर-इतर प्राप्तियाँ के अभिलेखों की वर्ष 2008-09 के दौरान की गई मापक जांच में 23,583 प्रकरणों में 808.41 करोड़ रुपयों की राशि के अवनिर्धारण, कम आरोपण तथा राजस्व हानि का पता चला। संबंधित विभागों द्वारा अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों में निहित राशि 123.95 करोड़ रुपये के 14,681 प्रकरण

स्वीकार किये गये, जिनमें से निहित राशि 50.63 करोड़ रुपये के 6,372 प्रकरण वर्ष 2008-09 की लेखापरीक्षा के दौरान और शेष पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में लाये गये थे। वर्ष 2008-09 के दौरान लेखापरीक्षा के इंगित करने पर 4,095 प्रकरणों में 16.33 करोड़ रुपये की राशि विभागों ने वसूल कर ली।

इस प्रतिवेदन में कर, शुल्क, ब्याज एवं शास्ति इत्यादि के अनारोपण/कम आरोपण से संबंधित तीन समीक्षाओं सहित 48 अनुच्छेद, जिनमें 392.71 करोड़ रुपये निहित हैं, सम्मिलित किए गए हैं। सरकार/विभागों ने 207.67 करोड़ रुपयों की लेखापरीक्षा टिप्पणियां स्वीकार की हैं जिनमें से 11.71 करोड़ रुपये अक्टूबर 2009 तक वसूल हो चुके थे। इन पर आगामी अध्याय II से VI में चर्चा की गयी है।

अध्याय-II: बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर

2.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2008-09 के दौरान वाणिज्यिक कर विभाग के कार्यालयों में अभिलेखों की मापक जांच से 1,044 प्रकरणों में 74 करोड़ रुपयों के अवनिर्धारण आदि प्रकट हुये जो निम्नलिखित श्रेणियों में आते है:

क्र. सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि (करोड़ रुपयों में)
1.	**बिक्री कर से मूल्य परिवर्धित कर में परिवर्तन (एक समीक्षा)**	1	-
2.	कर की गलत दर लगाने के कारण कर का कम आरोपण	254	19.88
3.	अनियमित छूट प्रदान करना	108	13.64
4.	कटौती की अनियमित या गलत स्वीकृति के कारण अवनिर्धारण	100	2.27
5.	कर योग्य पण्यावर्त का निर्धारण नहीं करना	157	1.58
6.	क्रय कर का अनारोपण	35	0.16
7.	शास्ति/ब्याज का अनारोपण	29	0.11
8.	अन्य अनियमिततायें	360	36.36
योग		**1,044**	**74.00**

वर्ष 2008-09 के दौरान, विभाग ने 38.90 करोड़ रुपयों के 437 प्रकरणों में अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिसमें से 61.87 लाख रुपये के 66 प्रकरण वर्ष 2008-09 की लेखापरीक्षा के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में लाये गये थे। विभाग ने वर्ष 2008-09 के दौरान 56 प्रकरणों में 88.51 लाख रुपये वसूल किये जिनमें से 7.83 लाख रुपये के पांच प्रकरण वर्ष 2008-09 तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित थे।

प्रारूप अनुच्छेद जारी होने के पश्चात्, 5.92 लाख रुपये विभाग ने उस आक्षेप के सम्बन्ध में वसूल कर लिये, जो 2008-09 में ध्यान में लाया गया था।

कुछ निदर्शी प्रकरण एवं एक समीक्षा **"बिक्री कर से मूल्य परिवर्धित कर में परिवर्तन"** जिनमें 28.19 करोड़ रुपये सन्निहित हैं, अनुवर्ती अनुच्छेदों में उल्लिखित हैं।

2.2 समीक्षाः बिक्री कर से मूल्य परिवर्धित कर में परिवर्तन

मुख्य बिन्दु

विभाग उन व्यवहारियों का कर निर्धारण उनकी लेखा पुस्तकों के आधार पर करने में विफल रहा, जिन्होंने विवरणियाँ विलम्ब से प्रस्तुत कीं।

(अनुच्छेद 2.2.9.3(iii))

विभाग राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (रा.मू.प.क.) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार टैक्स ऑडिट लागू करने में विफल रहा।

(अनुच्छेद 2.2.10.1)

क्रय के समय अदा किये गए मूल्य परिवर्धित कर (मू.प.क.) का आगत कर के रूप में क्रेडिट अनुमत्य करने से पूर्व उनका सत्यापन करने सम्बन्धी प्रावधान/निर्देश के विपरीत 810 प्रकरणों में 121.94 करोड़ रुपये के आगत कर का क्रेडिट बिना पूर्व सत्यापन के अनुमत्य किया गया।

(अनुच्छेद 2.2.11.3)

2.2.1 प्रस्तावना

राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा दिनांक 23.1.2002 को लिए गए निर्णय के आधार पर भारत सरकार द्वारा सभी राज्यों में राज्य स्तरीय मूल्य परिवर्धित कर (वैट) लागू करने का निर्णय लिया गया। अधिकार प्राप्त समिति द्वारा दिनांक 17.1.2005 को राज्य स्तरीय मूल्य परिवर्धित कर पर एक श्वेत पत्र लाया गया। मू.प.क. की मुख्य विशेषताएं निम्नांकित हैः

- पुनः बिक्री हेतु या उत्पादन में प्रयुक्त करने के लिए खरीद पर चुकाये गये कर के क्रेडिट के कारण कर पर कर के प्रभाव (cascading effect) को दूर कर दिया जावेगा;
- अन्य करों को समाप्त कर दिया जायेगा तथा सम्पूर्ण कर दायित्व को तर्कसंगत बनाया जायेगा;
- कुल करों में वृद्धि होगी एवं राजस्व वृद्धि उच्चतर होगी; तथा
- इसमें व्यवहारियों द्वारा स्वतः कर निर्धारण किया जायेगा तथा पूर्व में क्रय पर अदा किये गए कर के इनपुट पर सेट ऑफ दिया जायेगा।

राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 (रा.बि.क.) को निरस्त (repealed) कर राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (रा.मू.प.क.) पारित कर दिनांक 1.4.2006 से प्रभावी किया गया। विद्यमान रा.मू.प.क. तथा रा.बि.क. में

कुछ अन्तर निम्नानुसार हैः

(i) मू.प.क एक बहु बिन्दु प्रणाली है जबकि बिक्री कर एकल बिन्दु प्रणाली थी। मू.प.क. प्रणाली में व्यवसायियों पर ज्यादा विश्वास किया गया है कि वे स्वेच्छा से कर अदा करेंगे। इस प्रकार मू.प.क. प्रणाली स्वतः कर निर्धारण पर आधारित है जबकि रा.बि.क. में विवरणियों के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत करने आवश्यक थे;

(ii) बिक्री कर पद्धति से भिन्न, इस प्रणाली में व्यवहारियों का कोई विधिक कर निर्धारण नहीं होता है। इसके बजाय, रा.मू.प.क. अधिनियम में प्रत्येक वर्ष विभाग द्वारा टैक्स ऑडिट किये जाने हेतु चयनित व्यवहारियों की पहचान करने तथा इसके बाद उनका कर निर्धारण पूर्ण करने बाबत प्रावधान है;

(iii) इस अधिनियम में छः अनुसूचियां हैं। अनुसूची- I एवं II में कर मुक्त माल एवं व्यक्तियों को वर्गीकृत किया गया है, अनुसूची - III, IV एवं V में क्रमशः 1 प्रतिशत, 4 प्रतिशत व 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य माल रखे गए हैं। अनुसूची- VI में विशिष्ट उच्चतर दरों से कर योग्य माल को रखा गया है। निर्माणकर्ताओं के अलावा, ऐसे व्यवहारी, जिनका वार्षिक पण्यावर्त 50 लाख रुपये तक हो, प्रशमन कर योजना को चुन सकते हैं। इसके अलावा, अधिनियम में कर के बजाय एकमुश्त राशि के भुगतान का भी प्रावधान किया गया है;

(iv) मू.प.क. अधिनियम में कुछ प्रतिशत तक की जांच का प्रावधान है जबकि रा.बि.क. अधिनियम में शत प्रतिशत जांच का प्रावधान था; तथा

(v) रा.बि.क. से भिन्न, रा.मू.प.क. में व्यवसायियों पर प्रशासकीय नियंत्रण को कम किया गया है।

2.2.2 संगठनात्मक ढांचा

मूल्य परिवर्धित कर की प्राप्तियों को वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा शासित किया जाता है। आयुक्त, वाणिज्यिक कर को छः अतिरिक्त आयुक्त, 29 उपायुक्त (उ.आ.), 48 सहायक आयुक्त (स.आ.), 101 वाणिज्यिक कर अधिकारी (वा.क.अ.) तथा 323 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी (स.वा.क.अ.) सहायता करते हैं। रा.बि.क. तथा रा.मू.प.क. के अन्तर्गत वाणिज्यिक कर विभाग का क्षेत्रीय स्तर पर संगठन निम्नांकित रहा हैः

कर प्रशासन की इकाईयां	रा.बि.क. के अन्तर्गत (वर्ष 2005-06 तक)		रा.मू.प.क. के अन्तर्गत (वर्ष 2006-07 एवं आगे)	
	संख्या	अधिकारी का नाम	संख्या	अधिकारी का नाम
संभाग	12	उपायुक्त	14	उपायुक्त
वृत्त	106	सहायक आयुक्त/ वा.क.अ.	124	सहायक आयुक्त/ वा.क.अ.
घट	171	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी	190	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी

2.2.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की गयी थी कि क्या

- रा.बि.क. अधिनियम से रा.मू.प.क. अधिनियम में परिवर्तन तथा इसे लागू करने सम्बन्धी योजना समयानुसार एवं दक्षतापूर्वक लागू की गयी थी;
- मू.प.क. में सुगम परिवर्तन हेतु संगठनात्मक ढांचा पर्याप्त एवं प्रभावी था;
- मू.प.क. अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत विरचित नियम राज्य के राजस्व को सुरक्षित रखने में पर्याप्त एवं उचित रूप से लागू किये गए थे;
- विभाग में आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान थी एवं वह राजस्व रिसाव रोकने में पर्याप्त एवं प्रभावी थी;
- लागू होने के तीन वर्ष के पश्चात् मू.प.क. प्रणाली प्रभावी रूप से कार्यशील थी।

2.2.4 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यपद्धति

समीक्षा का कार्य 14 में से 4 संभागों[1] के चयनित वृत्तों में वर्ष 2006-07 से 2008-09 की अवधि के लिए जून एवं जुलाई 2009 के दौरान सम्पादित किया गया। संभागों का चयन सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर किया गया था।

2.2.5 आभार

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक सूचनाएं एवं अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए वाणिज्यिक कर विभाग (वा.क.वि.) तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सहयोग के प्रति आभार प्रकट करता है। आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर के कार्यालय में दिनांक 12.6.2009 को एक प्रारम्भिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें समीक्षा के उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया था। समीक्षा प्रतिवेदन का प्रारूप विभाग तथा राज्य सरकार को अगस्त 2009 में प्रेषित किया गया था। आयुक्त, वाणिज्यिक कर के साथ समापन सम्मेलन का आयोजन दिनांक 13.10.2009 को किया गया जिसमें लेखापरीक्षा परिणामों एवं सिफारिशों पर चर्चा की गई। समापन सम्मेलन एवं अन्य अवसरों पर विभाग से प्राप्त उत्तरों को सम्बन्धित अनुच्छेदों में उपयुक्त स्थानों पर शामिल कर लिया गया है।

लेखापरीक्षा के निष्कर्ष

2.2.6 मू.प.क.-पूर्व तथा मू.प.क.-पश्चात् कर संग्रहण

मू.प.क.-पूर्व बिक्री कर संग्रहण (2003-04 से 2005-06) तथा मू.प.क.-पश्चात् (2006-07 से 2008-09) कर संग्रहण तथा प्रत्येक वर्ष की वृद्धि दर की तुलनात्मक

[1] जयपुर के संभाग I (वृत्त "ई"), संभाग- II (विशेष वृत्त- II), संभाग - III (विशेष वृत्त - I) तथा अजमेर संभाग (वृत्त अजमेर)।

स्थिति नीचे दी गयी हैं:

(करोड़ रुपयों में)

मू.प.क.-पूर्व			मू.प.क.-पश्चात्		
वर्ष	वास्तविक संग्रहण	वृद्धि का प्रतिशत	वर्ष	वास्तविक संग्रहण	वृद्धि का प्रतिशत
2003-04	3,985.43	15.93	2006-07	6,720.71	20.15
2004-05	4,797.53	20.38	2007-08	7,750.73	15.33
2005-06	5,593.64	16.59	2008-09	8,904.50	14.88

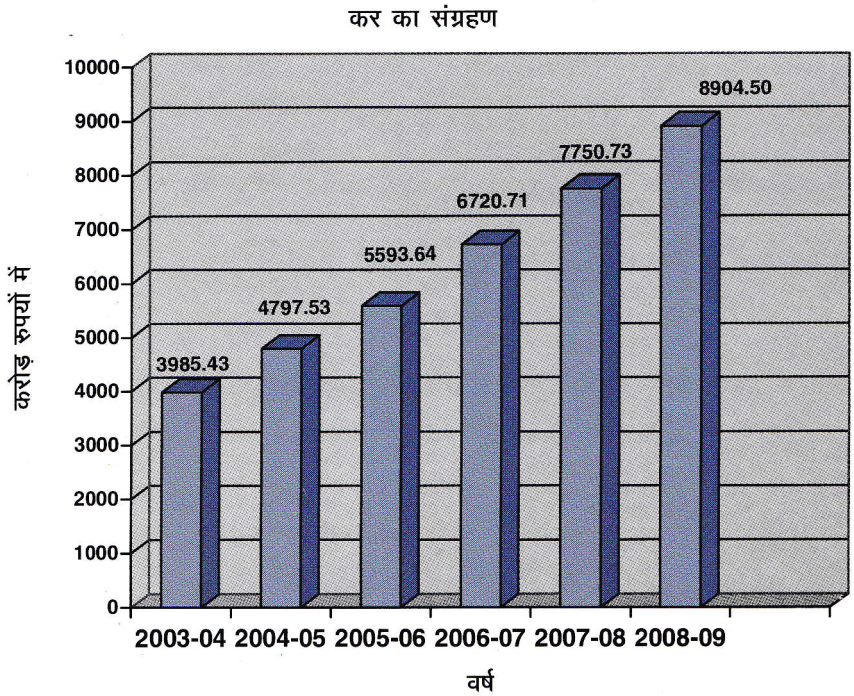

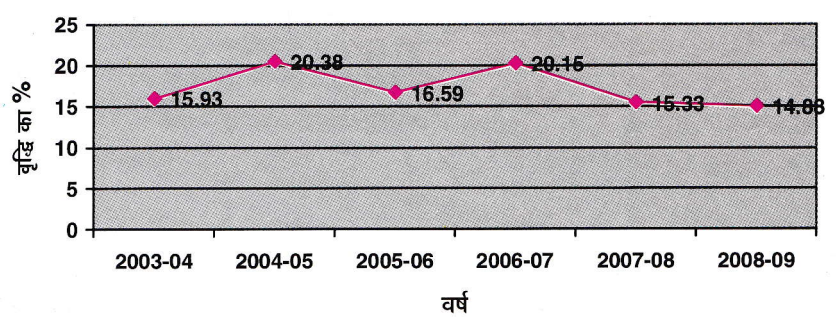

वर्ष 2003-04 से 2005-06 के दौरान औसत वृद्धि दर 17.63 प्रतिशत रही जबकि 2006-07 से 2008-09 के लिए औसत वृद्धि दर 16.79 प्रतिशत थी। इस प्रकार से, यद्यपि सम्पूर्ण रूप में कर संग्रहण बढ़ा है, किन्तु मू.प.क. पश्चात् की अवधि की औसत वृद्धि दर में 0.84 प्रतिशत की मामूली गिरावट दर्ज की गयी है।

2.2.6.1 राजस्व संग्रहण के लक्ष्य एवं प्राप्तियां

रा.मू.प.क. के अन्तर्गत वर्ष 2006-07 से 2008-09 के लिए सरकार द्वारा राजस्व संग्रहण के निर्धारित लक्ष्य तथा वास्तविक संग्रहण निम्नानुसार थे:

(करोड़ रुपयों में)

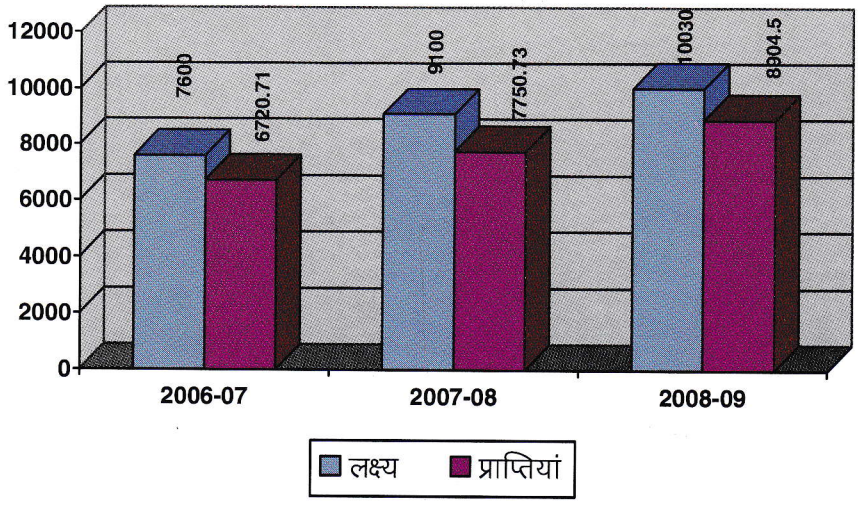

उपरोक्त ग्राफ से ज्ञात होता है कि प्रत्येक वर्ष निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में राजस्व संग्रहण में कमी रही।

2.2.7 परिवर्तन की प्रक्रिया एवं तैयारी

2.2.7.1 लेखापरीक्षा द्वारा आयोजना, नियम बनाने की प्रक्रिया, प्रचार, मू.प.क. पर प्रशिक्षण आदि से सम्बन्धित सूचनाएं एवं अभिलेख संवीक्षा हेतु मांगे गए थे। तथापि, ऐसे अभिलेख विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराये गए (सितम्बर 2009)। परिणामस्वरूप, रा.बि.क. से रा.मू.प.क. में सुगम एवं प्रभावी परिवर्तन हेतु विभागीय तैयारी के बारे में लेखापरीक्षा द्वारा सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

2.2.7.2 कराधान विभाग तथा जांच चौकियों का कम्प्यूटरीकरण तथा उनका परस्पर जुड़ाव

विभाग की कर सम्बन्धी गतिविधियों के कम्प्यूटरीकरण तथा पुनर्गठन करने के उद्देश्य से विभाग में "राजविस्टा" नाम से एक सूचना प्रौद्योगिकी परियोजना का क्रियान्वयन किया गया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ई-भुगतान, ई-रिटर्न, ई-प्रतिदाय, मू.प.क. के घोषणापत्र आन लाईन प्राप्त करने आदि की सुविधाएँ उपलब्ध कराई गयीं।

"राजविस्टा" कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के अन्तर्गत कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा उपयोग किये जाने हेतु विवरणियों की संवीक्षा करने का एक मोड्यूल हालांकि दिनांक 2.9.2007 को स्थापित किया गया था, मापक जांच के दौरान लेखापरीक्षा में देखा गया कि चारो वृत्तों में से किसी भी वृत्त द्वारा विवरणियों की संवीक्षा हेतु इसका उपयोग नहीं किया जा रहा था। इस प्रकार, इस उद्देश्य के लिए विकसित किया गया मोड्युल लगभग दो वर्षो से अकार्यरत है।

विभाग ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया (नवम्बर 2009)।

2.2.7.3 मू.प.क. को लागू करने की तिथि

श्वेत पत्र के अनुच्छेद 1.7 के अनुसार 1 अप्रैल 2005 से मू.प.क. लागू करने के सभी राज्यों के आश्वासन के विपरीत, राजस्थान में मू.प.क. को एक वर्ष विलम्ब के साथ 1 अप्रैल 2006 से लागू किया गया था। यद्यपि सम्बन्धित अधिनियम 2003 में पारित किया जा चुका था, इसके अन्तर्गत नियमों का विरचन 31 मार्च 2006 को किया गया।

2.2.7.4 नियमपुस्तिका बनाना तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना

यह दृष्टिगत हुआ कि आन्तरिक जांच दलों (आ.जां.द.) को राजस्व लेखा परीक्षा में कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। विभाग द्वारा आ.जां.द. को मू.प.क. पर प्रशिक्षण दिये जाने की समुचित व्यवस्था कराई जानी चाहिए। आ.जां.द. के उचित मार्गदर्शन के लिए भी कोई नियमपुस्तिका नहीं है। जब भी कोई गम्भीर अनियमितता ध्यान में आती है, निर्देश जारी किये जाते हैं।

विभाग द्वारा सूचित किया गया (सितम्बर 2009) कि नियमपुस्तिका बनाने के प्रयास किये जा रहे थे।

2.2.7.5 निरस्त अधिनियम के अन्तर्गत बिक्री कर/केन्द्रीय बिक्री कर के कर निर्धारण सम्पूरित करना

वर्ष 2006-07 से 2008-09 के दौरान रा.बि.क. से रा.मू.प.क. में परिवर्तन को गति नहीं मिल पाई एवं इसमें विलम्ब का कारण, अन्य कारणों के साथ-साथ, निरस्त अधिनियम के अन्तर्गत भारी संख्या में कर निर्धारण सम्पूरित करना भी था। यह देखा गया कि निरस्त अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 2005-06 एवं पूर्व के वर्षो से सम्बन्धित व्यवहारियों के कर निर्धारण एवं इसी प्रकार के.बि.क. अधिनियम, प्रवेश कर अधिनियम से सम्बन्धित कर निर्धारण निम्नानुसार सम्पूरित किए गए:

वृत्त	रा.बि.क. के अन्तर्गत कर निर्धारण	के.बि.क. के अन्तर्गत कर निर्धारण	प्रवेश कर के अन्तर्गत कर निर्धारण	कुल कर निर्धारण
2006-07				
विशेष -I, जयपुर	330	280	20	630
विशेष -II, जयपुर	432	273	42	747
ई वृत्त जयपुर	4,890	1,510	21	6,421
अजमेर वृत्त	5,315	865	15	6,195
योग	**10,967**	**2,928**	**98**	**13,993**
2007-08				
विशेष -I, जयपुर	293	214	37	544
विशेष -II, जयपुर	352	163	27	542
ई वृत्त जयपुर	384	46	0	430
अजमेर वृत्त	5,287	933	19	6,239
योग	**6,316**	**1,356**	**83**	**7,755**

बारम्बार समय विस्तार के बाद, सरकार ने 2008 में निर्णय लिया कि वर्ष 2006-07 के कर निर्धारणों, जो रा.मू.प.क. अधिनियम के अन्तर्गत प्रथम वर्ष के हैं, को दिनांक 31.3.2009 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। इसने रा.बि.क. से रा.मू.प.क. में सुगम परिवर्तन को प्रभावित किया।

2.2.8 व्यवहारियों का पंजीयन एवं डाटाबेस

2.2.8.1 रा.मू.प.क. के अन्तर्गत, निरस्त अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत व्यवहारियों को 11 अंकों का नया टेक्सपेयर्स आईडैन्टिफिकेशन नम्बर (टिन) दिया गया था, तथा पंजीकृत व्यवहारियों का डाटाबेस टिन आधार पर रखा जा रहा था। मू.प.क. के लागू होने पर, पूर्व में जारी टिन के साथ डाटाबेस को मू.प.क. में अपनाया गया था। यह डाटाबेस राजविस्टा के अन्तर्गत रखा गया था। मू.प.क. अधिनियम के अन्तर्गत नये पंजीकृत व्यवहारियों को भी टिन जारी किये गये। दिनांक 31.3.2006 को 2,58,614 पंजीकृत व्यवहारी थे। नीचे दी गयी सारणी से ज्ञात होता है कि 2008-09 के अन्त में यह संख्या बढ़कर 3,44,852 हो गयी थी:

अवधि	व्यवहारियों की संख्या	पूर्व वर्ष के सन्दर्भ में व्यवहारियों की संख्या में वृद्धि	पूर्व वर्ष के सन्दर्भ में व्यवहारियों की प्रतिशत वृद्धि
2005-06	2,58,614	42,152	19.47
2006-07	3,00,098	41,484	16.04
2007-08	3,16,404	16,306	5.43
2008-09	3,44,852	28,448	8.99

2.2.8.2 विभाग द्वारा प्रारम्भिक सीमा से कम के व्यवहारियों का सामयिक विश्लेषण ऐसे व्यवहारियों की लेखा पुस्तकों की संवीक्षा करते हुए किया गया था जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या धारा 3(2) में वर्णित सीमा, अर्थात व्यवहारी जिनका प्रशमन योजना के अन्तर्गत वार्षिक पण्यावर्त 50 लाख रुपये से ज्यादा नहीं हो, को पार किया गया था। इनका सत्यापन करने के निर्देश विभाग द्वारा 15.12.2008 को जारी किये गये थे।

इन निर्देशों की पालना में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा 5.01.2009 से 31.01.2009 के दौरान एक अभियान चलाया गया था। विभाग द्वारा सूचित किया गया कि अधिनियम की धारा 3(2) के अन्तर्गत 2408 पंजीकृत व्यवहारियों की जांच की गयी तथा उनमें से 157 व्यवहारियों को, जिनका पण्यावर्त 50 लाख रुपये से अधिक पाया गया, मू.प.क. अधिनियम की धारा 3(1) के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया। तथापि, लेखापरीक्षा को जोखिम भरे, संदिग्ध एवं निष्क्रिय व्यवहारियों का डाटा न तो उपलब्ध कराया गया, न ही सूचित किया गया कि क्या इनका डाटाबेस तैयार किया गया था। यह डाटा जोखिम भरे, संदिग्ध एवं निष्क्रिय व्यवहारियों की गतिविधियों के अनुश्रवण के लिए आवश्यक है।

विभाग ने बताया कि व्यवहारियों के पंजीयन सम्बन्धी अभियान की प्रगति को वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा नियमित रूप से अनुश्रवण किया जाता है। तथापि, जोखिम भरे, संदिग्ध एवं निष्क्रिय व्यवहारियों के बारे में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया था।

2.2.9 विवरणियां

2.2.9.1 विवरणियां प्रस्तुत करने के प्रपत्र में कमियाँ

विवरणी प्रपत्र (मू.प.क.-10) की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि माल के नाम के लिए, वर्गीकृत माल की अनुसूची संख्या तथा क्रम संख्या दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं किया गया था। माल के सही वर्गीकरण के अभाव में, व्यवहारी द्वारा सही दर से कर वसूले जाने का सत्यापन नहीं किया जा सकता है।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2009) की यह समस्या सभी राज्यों में है तथा इसका समाधान मू.प.क. सम्बन्धी एच.एस.एन. तैयार होने पर ही हो सकेगा।

2.2.9.2 विवरणियों का अनुश्रवण

विवरणियों की प्राप्ति पर बकाया कर निर्धारण पंजिका के माध्यम से निगरानी रखी जाती है। जब कोई विवरणी प्राप्त नहीं होती है तो व्यवहारी को नोटिस जारी किया जाता है।

2.2.9.3 विवरणियों की जांच एवं सत्यापन

(i) व्यवहारियों द्वारा विवरणियां प्रस्तुत नहीं किया जाना

लेखापरीक्षा जांच के दौरान यह पाया गया कि मापक जांच किये गए वृत्तों में 2006-07 से 2008-09 के तीन वर्षों के दौरान कई व्यवहारियों द्वारा निम्नांकित अनुसार विवरणियां प्रस्तुत नहीं की गयी थीं:

वृत्त	2006-07		2007-08		2008-09		टिप्पणियां
	यवहारिय की कुल संख्या	विवरणियां प्रस्तुत न करने वाले व्यवहारियों की संख्या	व्यवहारिर की कुल संख्या	विवरणियां प्रस्तुत न करने वाले व्यवहारियों की संख्या	व्यवहारिय की कुल संख्या	विवरणियां प्रस्तुत न करने वाले व्यवहारियों की संख्या	
विशेष-I, जयपुर	330	36	296	29	348	47	नोटिस जारी किये गए।
विशेष-II, जयपुर	280	शून्य	267	शून्य	264	30	30 व्यवहारियों को नोटिस जारी किये गए।
ई-जयपुर	4,890	शून्य	4,997	312	4,599	-	312 व्यवहारियों को नोटिस जारी किए गए।
अजमेर वृत्त	9,020	शून्य	9,731	शून्य	9,542	शून्य	-

विभाग द्वारा उत्तर (नवम्बर 2009) दिया गया कि बकाया विवरणियां प्रस्तुत की जा चुकी थीं तथा वर्ष 2006-07 के कर निर्धारण आदेश पारित हो चुके थे।

(ii) वर्ष 2006-07 के लिए वार्षिक विवरणी के प्रावधान का विद्यमान नहीं होना

रा.मू.प.क. अधिनियम या नियमों में वर्ष 2006-07 में व्यवहारी द्वारा वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने अथवा प्रारम्भिक तथा अन्तिम रहतिया का विवरण देने, वित्तीय वर्ष के दौरान किये गए संव्यवहारों के क्रम में घोषणापत्रों की प्राप्ति एवं उपयोग आदि के बारे में प्रावधान नहीं किया गया था, हालांकि उपरोक्त अधिनियम की धारा 73 द्वारा एक प्रावधान रखा गया था कि एक विशेष वित्तीय वर्ष में एक करोड़ रुपये से अधिक सकल पण्यावर्त होने पर ऐसे व्यवहारियों को अपने लेखे सनदी लेखाकार से अंकेक्षित करवाकर प्रस्तुत करने होंगे। वार्षिक विवरणियों की अनुपस्थिति में, किसी विशेष लेखा अवधि से सम्बन्धित प्रारंभिक तथा अन्तिम रहतिया से सम्बन्धित खरीद एवं बिक्री की सत्यता कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा कर निर्धारण सम्पूरित करते समय सुनिश्चित नहीं की जा सकती थी। इसके अलावा कर निर्धारण प्राधिकारी, व्यवहारियों के वार्षिक अंकेक्षित लेखों का मिलान वार्षिक पण्यावर्त से करने की स्थिति में नहीं थे। इस कारण, व्यवहारियों द्वारा प्रस्तुत अंकेक्षित लेखों का उपयोग कर निर्धारण के दौरान नहीं कर सकते थे। तथापि, वर्ष 2007-08 एवं उसके आगे के लिए वार्षिक विवरण का प्रावधान 2008 में विलम्ब से किया गया था।

(iii) कर निर्धारण के लिए अधिनियम के प्रावधानों की पालना नहीं किया जाना

रा.मू.प.क. अधिनियम की धारा 24(4) के प्रावधानों के अनुसार, जब भी कोई व्यवहारी नियत तिथि के पश्चात् विवरणियां प्रस्तुत करता है तो कर निर्धारण प्राधिकारी ऐसे व्यवहारी का कर निर्धारण उसकी लेखा पुस्तकों के आधार पर करेगा।

यह दृष्टिगत हुआ कि ऐसे व्यवहारी, जिनकी विवरणियां विलम्ब से प्रस्तुत की गयी थी, का कर निर्धारण उनकी लेखा पुस्तकों के आधार पर नहीं किया गया। इस ओर ध्यान दिलाने पर, सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त-II, जयपुर ने बताया कि समय कम होने के कारण अधिनियम की धारा 24(4) के अनुसार कर निर्धारण नहीं किये जा सके।

विभाग ने उत्तर (नवम्बर 2009) दिया कि व्यवहारियों के साथ न्यूनतम सम्पर्क रखने की नीति को ध्यान में रखते हुए, ऐसे प्रकरणों में सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर कर निर्धारण सम्पूरित किये गए थे।

तथापि, तथ्य यह है कि अधिनियम के प्रावधानों की पालना नहीं की गयी थी।

2.2.9.4 प्रलेखन की अपर्याप्तता

रा.मू.प.क. अधिनियम की धारा 73 के प्रावधान के अनुसार, प्रत्येक पंजीकृत व्यवहारी को, जिसका किसी वर्ष में पण्यावर्त 100 लाख रुपये से ज्यादा हो, उस वर्ष के लेखों को उस वर्ष की समाप्ति से निर्धारित अवधि में सनदी लेखाकार से अंकेक्षित कराना आवश्यक होगा तथा वह ऐसा अंकेक्षित प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करेगा। वर्ष 2006-07 के लिए अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि 31.3.2008 थी। अधिनियम की धारा 73 की उपधारा 2 के अनुसार, अगर कोई व्यवहारी उपर दर्शाए समय के भीतर ऐसे प्रतिवेदन की एक प्रति प्रस्तुत करने में विफल

रहता है तो कर निर्धारण प्राधिकारी, कुल पण्यावर्त का 1/10 प्रतिशत या एक लाख रुपये, जो भी कम हो, के बराबर शास्ति का आरोपण कर सकता है।

"ई " वृत्त, जयपुर में देखा गया (जुलाई 2009) कि दो व्यवहारियों द्वारा, जिनका वर्ष 2006-07 के दौरान पण्यावर्त 9.76 करोड़ रुपये एवं 1.13 करोड़ रुपये था, वर्ष के लिए ऐसे अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये गये।

इसे ध्यान में लाये जाने पर कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा उत्तर दिया गया (जुलाई 2009) कि अंकेक्षण प्रतिवेदन निर्धारित तिथि को या उसके पूर्व व्यवहारियों द्वारा प्रस्तुत की जा चुकी थी। तथापि, न तो प्रतिवेदन लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किये गए थे और न ही अभिलेख पर पाये गए थे।

2.2.10 टैक्स ऑडिट

2.2.10.1 टैक्स ऑडिट के लिए व्यवहारियों के चयन की प्रक्रिया

रा.मू.प.क. अधिनियम की धारा 27 के अनुसार, रा.मू.प.क. अधिनियम के प्रावधानों की पालना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, आयुक्त ऐसे पंजीकृत व्यवहारियों के व्यवसाय की लेखापरीक्षा करा सकता है जिनका चयन किसी सिद्धान्त या रेन्डम प्रणाली के आधार पर किया गया हो या उनके बारे में आयुक्त के पास विश्वास किये जाने का कारण हो कि उनके व्यवसाय की विस्तृत संवीक्षा होना आवश्यक है। लेखापरीक्षक द्वारा व्यवहारी की लेखापरीक्षा निर्धारित तरीके से की जायेगी।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि टैक्स ऑडिट के लिए कोई प्रक्रिया/प्रणाली निर्धारित नहीं की गयी थी। आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा तथ्य की पुष्टि करते हुए बताया (अक्टूबर 2009) कि परिपत्र दिनांक 7.6.2008 में वर्ष 2006-07 के लिए व्यवहारियों के चयन का प्रावधान है, जिनकी सूची सभी उपायुक्त (प्रशासन) द्वारा अतिरिक्त आयुक्त (कर) को दिनांक 20.6.2008 तक भेजी जानी थी। तथापि, लेखापरीक्षा में यह दृष्टिगत हुआ कि आयुक्त, वाणिज्यिक कर के निर्देशों की पालना नहीं की गयी थी। इस प्रकार, टैक्स ऑडिट, जो की मू.प.क. प्रशासन का एक महत्वपूर्ण भाग था, क्योंकि यह व्यवहारियों द्वारा कर योग्य पण्यावर्त को जान बूझकर छिपाने या कर वंचना आदि की रोकथाम के लिए प्रावधान करता है, राज्य में लागू नहीं किया गया था।

2.2.11 आगत कर क्रेडिट (आई.टी.सी.)

2.2.11.1 आई.टी.सी. के प्रावधान में कमी

रा.मू.प.क. नियम, 2006 का नियम 18(2) पूंजीगत माल पर आई.टी.सी. से सम्बन्ध रखता है। इस नियम में पूंजीगत माल पर आई.टी.सी. उपभोग की शर्त रूप में ऐसे माल के उपयोग हेतु न्यूनतम अवधि को निर्धारित नहीं किये जाने की कमी रही है।

2.2.11.2 विवरणी प्रपत्रों में कमी

खरीद तथा बिक्री के लिए क्रमशः प्रपत्र मू.प.क.-07 एवं मू.प.क.-09 निर्धारित किये गए हैं, जो कि विवरणी के साथ प्रस्तुत किये जाने होते हैं, इनमें माल का नाम दर्शाने वाला कालम नहीं है, इसके अभाव में विभाग खरीद/बिक्री किये माल के बारे में पता लगाने में असमर्थ रहता है।

विभाग ने उत्तर दिया (नवम्बर 2009) कि यद्यपि माल के नाम का कॉलम प्रपत्र में जोड़ा गया था, तथापि बाद में व्यापार संघों की मांग पर इसे विलोपित कर दिया गया।

2.2.11.3 सत्यापन किये बिना आई.टी.सी. की अनियमित अनुमति देना

रा.मू.प.क. अधिनियम की धारा 18(2) के अनुसार, आई.टी.सी. मूल मू.प.क. बीजक के आधार पर कर जमा कराने के उपरांत ऐसे बीजक जारी किये जाने की तिथि से तीन माह के भीतर अनुमत्य किया जायेगा। इस प्रकार से, मू.प.क. बीजक में संग्रहित कर के जमा का आई.टी.सी. दिए जाने से पूर्व सत्यापन किया जाना आवश्यक है। आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा भी कर निर्धारण प्राधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि जब क्रेडिट की अनुमति दी जा रही हो तो आई.टी.सी. को सत्यापित किया जावे।

सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त- II, जयपुर कार्यालय में पाया गया कि आई.टी.सी. के 125 प्रकरणों में 16.62 करोड़ रुपये के दावे को सत्यापन किये जाने हेतु रोका गया था तथा अन्य तीन वृत्तों में 1269 दावों में से 810 दावों में 121.94 करोड़ रुपये बिना पूर्व सत्यापन किये अनुमत्य किये गए थे। इसलिए, यह आवश्यक है कि आयुक्त वाणिज्यिक कर के निर्देशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित की जाये।

2.2.12 अन्य विभागों/स्त्रोतों यथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं आयकर विभाग आदि के अभिलेखों से आपसी सत्यापन के प्रावधानों का अभाव/कमियां

अधिकार प्राप्त समिति ने अपने श्वेत पत्र में कर चोरी को कम करने के विचार से एक विस्तृत आपसी जांच कम्प्यूटरीकृत प्रणाली को शामिल किया। यह प्रणाली राज्य कर तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं आयकर प्राधिकारियों के मध्य समन्वय से इन विभागों के कर विवरणियों की तुलना करने पर आधारित थी। विभाग में ऐसी कोई प्रणाली विद्यमान नहीं है। इस प्रकार, विभाग द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा आयकर विभागों की विवरणियों से आपसी सत्यापन का कार्य नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, विभाग द्वारा कर वंचकों के विरूद्ध कार्यवाही नहीं करने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

विभाग ने उत्तर दिया (नवम्बर 2009) कि विभाग में कम्प्यूटरीकृत सत्यापन प्रणाली विद्यमान नहीं थी। तथापि, सभी वृत्तों को 24.7.2009 को निर्देश जारी किये गए थे कि वे आयकर तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, विद्युत मण्डल तथा बैंकों आदि से सूचनाएं संग्रहित कर उनसे आपसी सत्यापन का कार्य करें।

2.2.13 स्रोत पर कर कटौती के शासित प्रावधान

रा.मू.प.क. अधिनियम की धारा 20(2) प्रावधान करती है कि संविदादाता, कार्य-ठेकेदार को किये जाने वाले प्रत्येक भुगतान के बीजक में कर के बदले अधिसूचित दर से एक राशि की कटौती करेगा। रा.मू.प.क. नियम, 2006 के नियम 40, में आगे प्रावधान है कि यदि ऐसी संविदा की कुल कीमत पांच लाख रुपये से ज्यादा हो तो संविदादाता ठेके की तिथि से एक माह के भीतर प्रपत्र मू.प.क.-40 में ठेके के विवरणों को अपने सम्बन्धित क्षेत्र के सहायक आयुक्त/वाणिज्यिक कर अधिकारी को तथा ठेकेदार से सम्बन्धित स.आ./वा.क.अ. को भी प्रस्तुत करेगा। जहाँ ऐसी राशि नहीं काटी गयी हो, तो संविदादाता अधिनियम के प्रावधानानुसार शास्ति का उत्तरदायी होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा तथापि देखा गया कि उपरोक्त प्रावधानों की पालना में विफल रहे संविदादाता, अपंजीकृत कार्य संविदादाता को शामिल करते हुए, की पहचान के लिए कोई कार्यप्रणाली विद्यमान नहीं थी। आगे, लेखापरीक्षा को इस सम्बन्ध में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गए। इसलिए, लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सकी की क्या ठेकेदारों से कर की सही कटौती की गयी थी।

2.2.14 अपील प्रकरणों को स्वीकार एवं निस्तारण करना

2.2.14.1 अपील प्रकरणों का धीमी गति से निस्तारण

रा.मू.प.क. अधिनियम तथा इसके अधीन विरचित नियमों के अन्तर्गत कोई व्यवहारी निधारित प्राधिकारी द्वारा पारित कर निर्धारण या ब्याज अथवा शास्ति के आरोपण हेतु पारित आदेश से अपकृत होकर उसके विरूद्ध उपायुक्त (अपील), जो कि इसके लिए अधिकृत है, को मांग पत्र के नोटिस की प्राप्ति के 60 दिवस के भीतर अपील कर सकता है। यद्यपि इस अधिनियम में अपील को स्वीकारने या अस्वीकारने के लिए समय सीमा का प्रावधान किया गया है, तथापि अन्तिम आदेश जारी करने की कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गयी है। परिणामस्वरूप, अपील प्राधिकारियों के पास नीचे दिए अनुसार बहुत बड़ी संख्या में प्रकरण बकाया हैं:

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान दायर अपीलों की संख्या	योग	वर्ष के दौरान निस्तारित अपीलों की संख्या	वर्ष के अन्त में बकाया
2005-06	11,112	3,396	14,508	7,245	7,263
2006-07	7,263	3,287	10,550	4,870	5,680
2007-08	5,680	3,278	8,958	4,934	4,024
2008-09	4,024	3,122	7,146	2,383	4,763

उपरोक्त सारणी से ज्ञात होता है कि मू.प.क. व्यवस्था में अपील प्रकरणों के निस्तारण की गति मन्द रही थी।

विभाग ने सूचित किया (अक्टूबर 2009) कि एक वर्ष से अधिक पुराने अपील प्रकरणों का मार्च 2010 तक निस्तारण कर दिया जायेगा।

2.15 निवारक उपाय

2.2.15.1 विभाग का प्रमुख उद्देश्य जहां घोषित कर राजस्व का संग्रहण करना है वहाँ राजस्व के रिसाव को रोकना भी है। अधिसूचित दरों पर कर संग्रह एवं जमा व्यवहारियों को स्वयं ही कराना होता है। राजस्व रिसाव को रोकने के लिए विभाग में निम्नलिखित नियंत्रण प्रणालियां काम में ली जा रही हैं:

I. माल के परिवहन के दौरान जांच करना : खरीद या बिक्री के संव्यवहारों को अभिलेखों में शामिल न करते हुए राजस्व के संभावित रिसाव को उड़न दस्ते, करवंचना शाखा या अन्य अधिकारियों द्वारा माल के परिवहन के दौरान जांच कर रोका जाता है।

II. करवंचना/राजस्व को टालने के प्रकरण में सर्वेक्षण करना : जब किसी व्यवहारी के विरूद्ध कोई शिकायत हो या विभाग द्वारा ऐसी कोई सूचना इकट्ठी की गयी हो कि कोई व्यवहारी करवंचना/टालने का प्रयास कर रहा है तो विभागीय अधिकारियों द्वारा राजस्व रिसाव रोकने के लिए उसके व्यवसाय स्थल/निवास/गोदाम पर जांच/सर्वेक्षण किया जाता है।

III. वाणिज्यिक कर विभाग में " वैट फ्राड टास्क फोर्स " के स्थान पर एक अतिरिक्त आयुक्त के अधीन करापवंचन शाखा कार्य करती है। इस शाखा द्वारा कर वंचकों के प्रति अनुसंधान/छापे की कार्यवाही की जाती है।

IV. अपराध के लिए न्यूनतम शास्ति का नहीं होना

रा.मू.प.क. अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न अपराधों के लिए शास्ति के दण्डात्मक प्रावधान रखे गए हैं, लेकिन यह कर प्राधिकारियों के स्वः निर्णय पर निर्भर है। मू.प.क. के सरल दायरे में प्रत्येक अपराध के लिए एक न्यूनतम शास्ति होनी चाहिए तथा इसका आरोपण कर प्राधिकारियों के स्वनिर्णय पर नहीं छोड़ना चाहिए।

2.2.16 आन्तरिक नियंत्रण

2.2.16.1 वाणिज्यिक कर विभाग के अधीन कार्यशील कार्यालयों में पूर्व कानून में वर्णित कई हस्त पंजिकायें संधारित की जाती थी। रा.मू.प.क. अधिनियम को अप्रैल 2006 से लागू किये जाने पर, यद्यपि पूर्व कानून में वर्णित पंजिकाओं सम्बन्धी पर्याप्तता का न तो विश्लेषण किया गया था और ना ही वा.क.वि. द्वारा रा.मू.प.क. कानून के अन्तर्गत ऐसी पंजिकाओं के सतत संधारण के निर्देश जारी किये गए थे। इसके अभाव में, इकाई कार्यालयों ने अपनी स्वयं की सुविधानुसार, पूर्व कानून के अन्तर्गत संधारित पंजिकाओं को जारी रखा। इस प्रकार, रा.मू.प.क. कानून के अन्तर्गत महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसेः पूंजीगत माल पर आगत कर का समायोजन, विवरणियों की जांच, अंकेक्षित लेखों का प्रस्तुतिकरण, स्वतः/मान लिए गए कर निर्धारण, कर के बदले एक मुश्त राशि के भुगतान का विकल्प आदि पर कोई नियंत्रण क्रियाविधि नहीं थी।

2.2.16.2 इकाई स्तर पर विभाग में की जाने वाली क्रियाओं की स्थिति पर अनुश्रवण के लिए, एक मासिक अर्धशासकीय पत्र नामक विवरणी निर्धारित की गयी है, जो इकाई द्वारा अपने संभागीय उपायुक्तों को प्रस्तुत की जाती है, वे आगे सूचनाओं को संकलित कर आयुक्त, वाणिज्यिक कर को प्रस्तुत करते हैं। अर्ध शासकीय पत्र में विभिन्न प्रकार की सूचनायें जैसे राजस्व लक्ष्य एवं प्राप्तियां, सम्पूरित एवं बकाया कर निर्धारण, शीर्ष करदाता, प्रतिदाय के बकाया प्रकरण, वसूली की स्थिति, पंजीकृत व्यवहारियों की संख्या, करापवंचन गतिविधियां, प्रशमन योजनाओं आदि को शामिल किया जाता है।

2.2.17 आन्तरिक लेखापरीक्षा

2.2.17.1 आन्तरिक लेखापरीक्षा किसी संगठन के आंतरिक नियंत्रण क्रियाविधि का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। वाणिज्यिक कर विभाग में वर्ष 2008-09 में कार्यरत 13 आन्तरिक जांच दलों (आ.जां.द.) के साथ आन्तरिक लेखापरीक्षा विद्यमान है। विभाग में 14 संभाग (13 प्रशासनिक + 1 करापवंचन) है, प्रत्येक संभाग में एक आ.जां.द. की पदस्थापना की हुई है। ये आ.जां.द. राजस्व लेखों/कर निर्धारणों की जांच के अलावा व्यय लेखों की लेखापरीक्षा, निविदाओं का निस्तारण तथा कर्मचारियों के वेतन निर्धारण कार्य भी करते हैं।

यह देखा गया था कि वर्ष 2007-08 के अन्त में 1760 आपत्तियां निस्तारण के लिए बकाया थी। इनके शीघ्र निस्तारण की आवश्यकता है।

2.2.17.2 आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग के प्रमुख हैं। ऐसा पाया गया कि आन्तरिक लेखापरीक्षा को संचालित करने वाले विभागीय वित्तीय सलाहकार द्वारा आ.जां.द. के कार्यकलापों के परिणामों पर कोई सावधिक विवरणी/प्रतिवेदन आदि उन्हें प्रस्तुत नहीं की जाती थी। यह दर्शाता है कि आयुक्त स्तर पर आन्तरिक लेखापरीक्षा का कोई अनुश्रवण नहीं होता है।

विभाग ने बताया (सितम्बर 2009) की आगे से आ.जां.द. के कार्यकलापों के परिणामों को आयुक्त को प्रस्तुत किया जायेगा।

2.2.18 निष्कर्ष

मू.प.क. राज्य के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है। मू.प.क. प्रणाली में, व्यवहारियों द्वारा स्वैच्छिक रूप से कर अदा करने तथा विवरणियां प्रस्तुत करने पर शतप्रतिशत विश्वास किया जाता है। करवंचकों द्वारा करवंचना की संभावनाएं अपरिमित हैं। ऐसे अनुचित आचरणों को रोकने हेतु एक निश्चित प्रतिशत में व्यवहारियों को प्रभावी टैक्स ऑडिट के दायरे मे लाना आवश्यक है, जिसे करने में वर्ष 2006-07 में विभाग विफल रहा है। इसके अतिरिक्त, विक्रेता व्यवहारियों के साथ पूर्व आपसी सत्यापन किये बिना ही आगत कर क्रेडिट (आई.टी.सी.) अनुमत्य किये जा रहे हैं। आई.टी.सी. मू.प.क. का एक महत्वपूर्ण पहलू है, सत्यापन के अभाव में झूठे आई.टी.सी. दावों को अनुमत्य करने से रोका नहीं जा सकता है। इस बारे में विभाग जागरूक नहीं दिखता है।

2.2.19 सिफारिशों का सार

सरकार निम्न कार्यवाही करने पर विचार करे:

- विवरणी (मू.प.क.-10) में माल के नाम के साथ इसका वर्गीकरण, अनुसूची संख्या एवं अनुसूची की क्रम संख्या भी अंकित की जाये;
- मू.प.क. को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए सरकार द्वारा टैक्स ऑडिट को अनिवार्य किया जाये;
- आई.टी.सी. के पूर्व आपसी सत्यापन को अनिवार्य किया जाये;
- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा आयकर प्राधिकारियों के अभिलेखों से आपसी सत्यापन किये जाने के लिए एक कम्प्यूटरीकृत क्रियाविधि लागू की जाये;
- अपील प्रकरणों का शीघ्र निपटान किया जाना चाहिए; तथा
- अपराधों के लिए न्यूनतम शास्ति का निर्धारण किया जाये ।

2.3 अन्य लेखापरीक्षा टिप्पणियां

वाणिज्यिक कर विभाग में बिक्री कर/प्रवेश कर के कर निर्धारण अभिलेखों की मापक-जांच में, अधिनियमों/नियमों की पालना नहीं करने के विभिन्न प्रकरण, कर/ ब्याज का अनारोपण/कम आरोपण, कर की गलत गणना करना, प्रवेश कर का अनारोपण, राजस्थान बिक्री कर (रा.बि.क.) अधिनियम/केन्द्रीय बिक्री कर (के.बि.क.) अधिनियम के अधीन कर की रियायती दर गलत लगाना एवं अन्य प्रकरण जिनका इस अध्याय के अनुवर्ती अनुच्छेदों में उल्लेख किया गया है, पाये गये। ये प्रकरण निदर्शी हैं एवं लेखापरीक्षा की मापक-जांच पर आधारित हैं। लेखापरीक्षा द्वारा निर्धारण प्राधिकारियों (नि.प्रा.) को इन कमियों को प्रत्येक वर्ष ध्यान में लाया जाता है लेकिन न केवल अनियमिततायें विद्यमान है बल्कि लेखापरीक्षा किये जाने तक इनका पता नहीं चलता है। सरकार को आन्तरिक लेखापरीक्षा सुदृढ़ करने सहित आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को सुधारने की आवश्यकता है।

2.4 अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों की पालना नहीं करना

रा.बि.क./के.बि.क./प्रवेश कर अधिनियमों एवं नियमों में निम्नानुसार प्रावधान हैं:

(क) निर्धारित दरों पर कर का आरोपण;

(ख) कर की सही गणना एवं आरोपण करना;

(ग) निर्धारित दरों पर प्रवेश कर का आरोपण; एवं

(घ) निर्धारित "सी" एवं "एफ" फार्मों के प्रस्तुत करने पर के.बि.क. अधिनियम के अन्तर्गत रियायती दरों पर कर का आरोपण।

कर नि.प्रा. द्वारा अनुच्छेद 2.4.1 से 2.4.6 में उल्लेखित प्रकरणों के कर निर्धारणों को अन्तिम रूप देते समय कुछ नियमों की पालना नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप 18.79 करोड़ रुपये का कर/ब्याज का अनारोपण/कम आरोपण/अवसूली हुई।

2.4.1 कर की गलत छूट देना

रा.बि.क. अधिनयिम, 1994 की धारा 2(38) (ii) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के उपबन्ध 29 (ए) के अन्तर्गत निर्माण संविदा के निष्पादन में शामिल वस्तुओं में सम्पत्ति का हस्तान्तरण बिक्री है तथा इसलिये बिक्री कर योग्य है। यदि संविदा का मुख्य उद्देश्य सेवा प्रदान करना है, फिर भी यह निर्माण संविदा कहलायेगी। आगे सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 16 अगस्त 2002 द्वारा वाणिज्य कर विभाग, राजस्थान की राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 7 मार्च 2001 के विरूद्ध दायर विशेष अनुमति याचिका, प्रकरण एस.टी.आर. सं. 709/99 में अजमेर कलर लैब बनाम सहायक वा.क.अ., प्रतिकरापवंचन-II अजमेर का निस्तारण करते हुए निर्णित किया कि फोटोग्राफिक प्रिन्ट्स बनाने का जॉब कार्य निर्माण संविदा की श्रेणी में आता है एवं इसलिये उस पर निर्धारित दरों से बिक्री कर लगना चाहिये।

दो वा.क.का.[2] के वर्ष 2002-03 एवं 2003-04 के कर निर्धारण अभिलेखों की मापक जांच में, फरवरी 2004 एवं जनवरी 2005 के मध्य यह दृष्टिगत हुआ कि दो व्यवहारियों ने 1999-2000, 2000-01 एवं 2001-02 वर्षों के दौरान 12.12 करोड़ रुपये का फोटोग्राफिक पेपर राज्य के बाहर से क्रय किया एवं इसको फोटो प्रिन्ट्स बनाने के जॉब कार्य में उपयोग किया। फोटोग्राफिक पेपर पर कर की दर 8 प्रतिशत एवं उस पर 15 प्रतिशत अधिभार निर्धारित है। इसके अतिरिक्त, रा.बि.क. अधिनियम, 1994 की धारा 58 के अन्तर्गत निर्धारित दरों से ब्याज भी आरोपणीय है। तथापि, नि.प्रा. ने कर निर्धारणों को जुलाई 2001 एवं फरवरी 2004 के मध्य अन्तिम रूप देते समय करदाता द्वारा मांगी गई कर की छूट स्वीकार कर ली। इसके परिणामस्वरूप 1.11 करोड़ रुपये के कर एवं अधिभार के अतिरिक्त, 1.65 करोड़ रुपये के ब्याज की गलत छूट दी गई।

इसे फरवरी 2004 एवं जनवरी 2005 के मध्य ध्यान में लाये जाने के पश्चात् विभाग ने सूचित (जनवरी 2009 एवं मार्च 2009) किया कि राज्य के बाहर से 6.96 करोड़ रुपये के कर योग्य क्रय के वास्तविक आधार पर पुनः कर निर्धारण करने पर 1.46 करोड़ रुपये (कर एवं अधिभार 65 लाख रुपये एवं ब्याज 81 लाख रुपये) की मांग कायम (दिसम्बर 2008 एवं मार्च 2009) कर दी गई थी। वसूली की प्रगति प्राप्त नहीं हुई है (अक्टूबर 2009)।

सरकार, जिसे मामला नवम्बर 2008 में सूचित किया गया था; ने अगस्त 2009 में विभाग के उत्तर की पुष्टि की।

2.4.2 कर की गलत दर लगाने के कारण कर का कम आरोपण

रा.बि.क. अधिनियम एवं के.बि.क. अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार ने अधिसूचनायें जारी करके भिन्न-भिन्न वस्तुओं के लिए भिन्न-भिन्न कर की दरें निर्धारित की। उन वस्तुओं पर, जिनके लिये कोई विशिष्ट दर निर्धारित नहीं की गई है, इन अधिसूचनाओं में निर्धारित सामान्य कर की दर से कर आरोपणीय था। आगे, ब्याज के भुगतान की चूक पर रा.बि.क. अधिनियम, 1994 की धारा 58 के अन्तर्गत ब्याज भी आरोपणीय था।

[2] डब्लू टी - I, जयपुर एवं "एफ" जयपुर।

चार वा.क.का. के कर निर्धारण अभिलेखों की मापक-जांच से प्रकट हुआ कि 16 मामलों में कर की गलत दर लगाने के कारण कर एवं ब्याज कुल 71.54 लाख रुपये का कम आरोपण हुआ, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	वृत का नाम/इकाईयों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष/कर निर्धारण का माह	वस्तु	पण्यावर्त	आरोपणीय कर एवं ब्याज	आरोपित कर एवं ब्याज	कर, अधिभार एवं ब्याज का कम आरोपण
1.	वृत "ए" जयपुर (1)	2005-06/ 27.3.2008	मॉर्निंग वाकर	70.46	10.99	1.41	9.58
2.	वृत-I जयपुर (11)	2004-06/ नवम्बर 2006 एवं मार्च 2008	विविध वस्तुएं	182.31	28.79	11.15	17.64
3.	विशेष वृत, भीलवाड़ा (2)	2005-06 19.3.2008	सीमेन्ट	106.93	37.45	9.62	27.83
		2005-06 30.3.2008	रेलवे स्लीपर्स	832.59	44.71	33.30	11.41
4.	विशेष वृत राजस्थान जयपुर (2)	2005-06 फरवरी 2008	ब्रांडेड बिजली के पंखे	101.65	14.23	9.15	5.08
कुल					**136.17**	**64.63**	**71.54**

इसे ध्यान में लाये जाने के पश्चात्, सरकार ने सूचित (अगस्त 2009) किया कि विशेष वृत, भीलवाड़ा के दोनो प्रकरणों के सम्बन्ध में 43.25 लाख रुपये (करः 28.64 लाख रुपये एवं ब्याजः 14.61 लाख रुपये) की मांग कायम कर दी है। विशेष वृत, राजस्थान, जयपुर के मामलों में 5.37 लाख रुपये की मांग कायम कर दी है जिसमें से 0.86 लाख रुपये वसूल कर लिये गये है। शेष राशि की वसूली की प्रगति एवं शेष प्रकरणों में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

2.4.3 गणना में त्रुटि के कारण अवनिर्धारण

रा.बि.क. अधिनियम, 1994 की धारा 29 एवं के.बि.क. अधिनियम, 1956 की धारा 8 के अन्तर्गत कर नि.प्रा. द्वारा विभिन्न वस्तुओं के कर योग्य पण्यावर्त पर कर की निर्धारित दरों पर कर निर्धारित किया जाता है। कर की कुल निर्धारित राशि में से व्यवहारी द्वारा जमा कराये गये अग्रिम कर की राशि घटाये जाने के पश्चात् शुद्ध वसूली योग्य राशि निकाली जाती है। इसके अतिरिक्त, रा.बि.क. अधिनियम, 1994 की धारा 58 के अन्तर्गत निर्धारित दरों से ब्याज भी आरोपणीय था।

वा.क.का., विशेष वृत, कोटा के 2007-08 के अभिलेखों की मापक जांच में दृष्टिगत (दिसम्बर 2008) हुआ कि एक व्यवहारी के 2005-06 के कर निर्धारण को अंतिम रूप (मार्च 2008) देते समय नि.प्रा. ने कर 1.83 लाख रुपये की गलत गणना की। 1.58 करोड़ रुपये की बिक्री पर सही राशि 18.99 लाख रुपये होती है। इसके परिणामस्वरूप 17.16 लाख रुपये के कर का कम आरोपण हुआ।

इसे ध्यान (दिसम्बर 2008) में लाये जाने पर नि.प्रा. ने 20.99 लाख रुपये (करः 17.16 लाख रुपये एवं ब्याजः 3.83 लाख रुपये) की मांग कायम (दिसम्बर 2008) कर दी। वसूली की प्रगति प्राप्त (अक्टूबर 2009) नहीं हुई है।

मामला मार्च 2009 में सरकार के ध्यान में लाया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009)।

2.4.4 प्रवेश कर का अनारोपण

वस्तुओं के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर राजस्थान कर अधिनियम, 1999 की धारा 3(1) के अन्तर्गत राज्य सरकार ने 22 मार्च 2002, 12 जुलाई 2004 एवं 24 मार्च 2005 को जारी अधिसूचनाओं द्वारा विनिर्दिष्ट किया कि प्रत्येक व्यवहारी जो स्थानीय क्षेत्र में उपभोग या उपयोग या बिक्री के लिये अन्य राज्य से वस्तुओं को क्रय करके लाता है तो तिलहन, लो सल्फर हाई स्टॉक्स (एल.एस.एच.एस.), पेट कोक पर एक प्रतिशत तथा फर्नेस आयल पर दो प्रतिशत प्रवेश कर का भुगतान करेगा। बाद में 12 जुलाई 2004 से फर्नेस आयल पर कर की दर संशोधित कर तीन प्रतिशत कर दी गई। आगे वस्तुओं के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर राजस्थान कर अधिनियम, 1999 की धारा 2 (आर) के अन्तर्गत क्रय मूल्य में सभी वैधानिक शुल्क शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त, रा.बि.क. अधिनियम, 1994 की धारा 58 के अन्तर्गत ब्याज भी आरोपणीय था।

2.4.4.1 वा.क.का., वृत्त "के" जयपुर के वर्ष 2007-08 के कर निर्धारण अभिलेखों की मापक जांच के दौरान यह दृष्टिगत (सितम्बर 2008) हुआ कि पशु आहार का उत्पादन करने वाली चार इकाईयों ने 2004-05 एवं 2005-06 के दौरान क्रमशः 11.49 करोड़ रुपये एवं 11.44 करोड़ रुपये का बिनौला राज्य के बाहर से क्रय किया जिस पर एक प्रतिशत की दर से प्रवेश कर आरोपणीय था। नि.प्रा. ने व्यवहारी के 2004-05 एवं 2005-06 वर्षों के कर निर्धारणों को अन्तिम रूप देते समय कर आरोपित नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप 22.93 लाख रुपये के प्रवेश कर का कम आरोपण हुआ। इसके अतिरिक्त 9.41 लाख रुपये के ब्याज की राशि भी आरोपणीय थी।

अक्टूबर 2008 में विभाग के ध्यान में लाये जाने के पश्चात, विभाग ने सूचित (मई 2009) किया कि सभी मामलों में 33.09 लाख रुपये की मांग कायम कर दी गई। वसूली की प्रगति प्राप्त नहीं हुई है (अक्टूबर 2009)।

मामला दिसम्बर 2008 में सरकार के ध्यान में लाया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009)।

2.4.4.2 वा.क.का., विशेष वृत-II जोधपुर के वर्ष 2007-08 के कर निर्धारण अभिलेखों की मापक जांच के दौरान यह दृष्टिगत (जनवरी 2009) हुआ कि एक औद्योगिक इकाई ने विभिन्न वस्तुएं यथा एल.एस.एच.एस., पेट कोक, फर्नेस आयल इत्यादि राज्य के

बाहर से वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 के दौरान क्रय की एवं सेनवेट के घटक पर भुगतान (2003-04: 2.72 करोड़ रुपये; 2004-05: 2.93 करोड़ रुपये) किये गये प्रवेश कर के लिये प्रतिदाय/समायोजन का दावा किया। नि.प्रा. ने अप्रैल 2007 एवं अप्रैल 2008 में कर निर्धारणों को अन्तिम रूप देते समय उसे स्वीकार कर लिया एवं दावे के अनुसार प्रतिदाय आदेश जारी कर समायोजन कर दिया। इसके परिणामस्वरूप 2003-04 के दौरान 6.63 लाख रुपये एवं 2004-05 के दौरान 10.84 लाख रुपये के प्रवेश कर एवं ब्याज का कम आरोपण हुआ।

मार्च 2009 में इसे ध्यान में लाये जाने के पश्चात् सरकार ने सूचित (सितम्बर 2009) किया कि 19.07 लाख रुपये की मांग कायम कर दी गई थी। वसूली की प्रगति प्राप्त नहीं हुई है (अक्टूबर 2009)।

2.4.5 वस्तुओं के हस्तांतरण पर कर की अनियमित छूट देना

के.बि.क. अधिनियम, 1956 की धारा 6ए के अन्तर्गत कर छूट का लाभ लेने के लिए यह सिद्ध करने का दायित्व कि वस्तुओं का स्थान परिवर्तन, उन वस्तुओं को उसके व्यापार या उसके प्रतिनिधि या मालिक, जैसा भी मामला हो, के किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरण के कारण हुआ है, न कि उनकी बिक्री के कारण, व्यवहारी का होगा। इस उद्देश्य के लिये वह नि.प्रा. को निर्धारित अवधि में व्यापार के अन्य स्थान वाले मालिक द्वारा पूर्ण रूप से भरे हुए एवं हस्ताक्षरित "एफ" प्रपत्र मे घोषणा माल के प्रेषण के साक्ष्य के साथ, प्रस्तुत करेगा। आगे इस अधिनियम की धारा 6(ए) (1) के 11 मई 2002 से संशोधन अनुसार यदि व्यवहारी इस घोषणा को प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो इस अधिनियम के अन्तर्गत वस्तुओं का आदान-प्रदान सभी उद्देश्यों के लिये बिक्री माना जायेगा। के.बि.क. नियम, 1957 के नियम 12(5) के अनुसार एक घोषणापत्र एक महीने की अवधि के दौरान हुये संव्यहारों को आवरित करता है। इसके अतिरिक्त, रा.बि.क. अधिनियम, 1994 की धारा 58 के अन्तर्गत निर्धारित दरों से ब्याज भी आरोपणीय था।

वा.क.का., वृत "ए", भीलवाड़ा के वर्ष 2007-08 के अभिलेखों की मापक जांच में दृष्टिगत (सितम्बर 2008) हुआ कि एक व्यवहारी ने 77.18 करोड़ रुपये मूल्य की वस्तु का स्टॉक "एफ" फार्म घोषणा द्वारा राज्य के बाहर के अपने डिपों को स्थानान्तरित किया। निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत किये गये "एफ" घोषणापत्रों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि 49.72 करोड़ रुपये के संव्यवहारों के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये 43 "एफ" फार्म एक महीने की अवधि के दौरान हुए संव्यवहारों की सीमा के विरूद्ध एक से अधिक माह के संव्यवहारों के लिये प्रस्तुत किये गये थे। तथापि नि.प्रा. ने व्यवहारी के सम्बन्धित वर्ष के कर निर्धारण को अंतिम रूप (मार्च 2008) देते समय इन फार्मों को स्वीकार कर लिया। इसके परिणामस्वरूप 6.96 करोड़ रुपये के कर की अनियमित छूट के अलावा 2.44 करोड़ रुपये का ब्याज भी आरोपणीय था।

विभाग के ध्यान में लाये जाने के पश्चात् विभाग ने सूचित (मई 2009) किया कि 9.95 करोड़ रुपये (करः 6.96 करोड़ रुपये एवं ब्याजः 2.99 करोड़ रुपये) की मांग कायम (मई 2009) कर दी गई है। वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (अक्टूबर 2009)।

मामला दिसम्बर 2008 में सरकार को प्रेषित किया गया; सरकार ने अगस्त 2009 में विभाग के उत्तर की पुष्टि की।

2.4.6 अन्तर्राज्यीय विक्रय पर कर का कम आरोपण

के.बि.क. अधिनियम, 1956 की धारा 8(5) में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में 21 जनवरी 2000 को अधिसूचना जारी करते हुए राज्य सरकार ने बिना "सी" प्रपत्र में घोषणा प्रस्तुत किये, सीमेन्ट के अन्तर्राज्यीय विक्रय पर कर की रियायती दर 6 प्रतिशत निर्धारित की। केन्द्र सरकार ने 11 मई 2002 को धारा 8(5) में संशोधन किया जिसमें विहित था कि अन्तर्राज्यीय विक्रय पर कर की रियायती दर का दावा करने के लिये "सी" प्रपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य था। इस प्रकार उपरोक्त संशोधन के पश्चात् "सी" प्रपत्र में घोषणापत्रों के बिना समर्थित सीमेन्ट के अन्तर्राज्यीय विक्रय पर राज्य दर से कर आरोपणीय था। दरें (i) 12.07.2004 से 01.12.2005 तक 19 प्रतिशत (ii) 02.12.2005 से 31.03.2006 तक 28 प्रतिशत एवं (iii) 01.04.2006 से 12.5 प्रतिशत थीं। तथापि, राज्य सरकार ने दिनांक 13 मई 2008 की अधिसचूना द्वारा "सी" प्रपत्रों के बिना अन्तर्राज्यीय विक्रय पर 26 सितम्बर 2005 से 31 मार्च 2007 की अवधि के लिये निर्धारित राज्य दर से अधिक अन्तर कर को अपलिखित कर दिया। इसके अतिरिक्त रा.बि.क. अधिनियम, 1994 की धारा 58 के अन्तर्गत निर्धारित दरों से ब्याज भी आरोपणीय था।

वा.क.का., विशेष वृत, पाली के 2007-08 वर्ष के अभिलेखों की मापक जांच में यह दृष्टिगत (जनवरी 2009) हुआ कि दो औद्योगिक इकाईयों (इनमें से एक बिक्री कर मुक्ति योजना, 1998 की लाभार्थी थी) ने अन्तर्राज्यीय विक्रय एवं व्यापार के दौरान 2005-06 (02.12.2005 से 31.3.2006) में 17.43 करोड़ रुपये तथा 2006-07 के दौरान 65.90 लाख रुपये की सीमेन्ट "सी" प्रपत्र घोषणपत्र प्रस्तुत किये बिना 6 प्रतिशत की दर से विक्रय किया। नि.प्रा. ने व्यवहारी के कर निर्धारणों को अन्तिम रूप देते समय 02.12.2005 से 31.03.2006 के दौरान 28 प्रतिशत एवं उसके पश्चात् 12.5 प्रतिशत की सही राज्य दर से कर का आरोपण नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप 387.80 लाख रुपये के कर का कम आरोपण हुआ जिसमें से छूट लाभ योजना के अन्तर्गत 10.19 लाख रुपये समायोजन योग्य थे तथा शेष 377.61 लाख रुपये तथा 135.87 लाख रुपये का ब्याज भुगतान योग्य था।

इसे ध्यान में लाये (मार्च 2009) के पश्चात् सरकार ने बताया (अक्टूबर 2009) कि लेखापरीक्षा द्वारा बताये गये अनुसार निर्धारित दर से अधिक अन्तर कर एवं उस पर ब्याज की मांग 31.03.2009 को कायम कर सरकार की अधिसचूना 13 मई 2008 के सन्दर्भ में अपलिखित कर दी। तथापि, तथ्य यही है कि उपरोक्त अधिसूचना सीमेन्ट पर लागू नहीं होती है क्योंकि बिना "सी" प्रपत्र के राज्य की निर्धारित दर लागू के.बि.क. की दर से अधिक थी।

2.5 सरकार की अधिसूचनाओं/योजनाओं की पालना नहीं करना

(क) सरकार ने "उद्योगों के लिये बिक्री कर मुक्ति योजना 1998" अधिसूचित की जिसके अन्तर्गत योजना में निर्धारित लाभ की अधिकतम मात्रा एवं अवधि की शर्त

पर औद्योगिक इकाईयों को उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं के विक्रय पर कर के भुगतान से मुक्ति प्रदान की गई थी।

(ख) सरकार ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2003 अधिसूचित की जिसके अन्तर्गत नये विनियोजन तथा विद्यमान इकाईयां व उद्यम जो कि योजना में निर्धारित कुछ शर्तों के अध्यधीन आधुनिकीकरण/विस्तार/विविधिकरण के लिये विनियोजन करती हैं, अर्थसहाय्य के लिये पात्र होगी।

अनुच्छेद 2.5.1 से 2.5.3 में वर्णित प्रकरणों में उपरोक्त अधिसूचनाओं/योजनाओं के कुछ प्रावधानों की पालना नहीं करने के परिणामस्वरूप 9.40 करोड़ रुपये की अधिक छूट/अर्थसहाय्यें प्रदान की गई।

2.5.1 शर्त के उल्लंघन पर लाभ वापस नहीं लेना

"उद्योगों के लिये बिक्री कर मुक्ति योजना 1998" के अन्तर्गत योजना में निर्धारित लाभ की अधिकतम मात्रा एवं अवधि की शर्त पर औद्योगिक इकाईयों को उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं के विक्रय पर कर के भुगतान से मुक्ति प्रदान की गई थी। योजना में आगे प्रावधान था कि योजना के लाभ के उपभोग के बाद लाभार्थी औद्योगिक इकाईयां अगले पांच वर्षों तक अपना उत्पादन जारी रखेंगी, जिसमें असफल होने पर निर्मित वस्तुओं के विक्रय पर, इकाईयां यह मानते हुए करारोपण योग्य थी, जैसे कोई कर मुक्ति थी ही नहीं।

पांच वा.क.का.[3] में जून 2008 एवं दिसम्बर 2008 के मध्य यह दृष्टिगत हुआ कि नौ औद्योगिक इकाईयों को जुलाई 1998 एवं मार्च 2002 के मध्य पात्रता प्रमाण पत्र जारी किये गये थे। इन इकाईयों द्वारा 1998-99 से 2005-06 के दौरान 8.77 करोड़ रुपये की कर मुक्ति का लाभ उपभोग किया। इन इकाइयों को, उस अवधि, जिसके दौरान योजना के अन्तर्गत कर भुगतान से मुक्ति का उपभोग किया था, के उपरान्त अंगले पांच वर्षों तक अपना उत्पादन जारी रखना आवश्यक था। इन इकाईयों ने उपभोग किये गये मुक्ति लाभ की तिथि से पांच वर्ष के अन्दर, 2002-03 एवं 2006-07 के मध्य अपना उत्पादन बन्द कर दिया। वे शून्य विवरणियां दाखिल कर रही थी जिसे कि विभाग द्वारा स्वीकार किया गया एवं कर निर्धारण किया गया। विभाग द्वारा चार प्रकरणों में पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिये गये एवं एक प्रकरण में इकाई को बैंक द्वारा अधिग्रहीत कर लिया गया। तथापि, नि.प्रा. ने उन इकाईयों द्वारा उपभोग किये गये कर मुक्ति लाभ के वापस लेने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की। लेखापरीक्षा ने पाया कि इस तथ्य के बावजूद कि ये इकाईयां शून्य विवरणियां दाखिल कर रही थी विभाग में पात्रता प्रमाण पत्र की शर्तों की पालना सुनिश्चित करने हेतु कार्यविधि के अभाव के कारण बिक्री कर छूट की राशि की वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप 8.77 करोड़ रुपये के कर की वसूली नहीं हुई क्योंकि कर की छूट की राशि के भुगतान की मांग कायम नहीं की गई थी।

[3] विशेष वृत्त, अलवर (1), "बी" बीकानेर (1), चूरू (3), जालोर (2) एवं सिरोही (2)।

प्रकरण जुलाई 2008 एवं जनवरी 2009 के मध्य विभाग के ध्यान में लाये गये तथा नवम्बर 2008 एवं मार्च 2009 के मध्य सरकार को सूचित किये गये; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2009)।

2.5.2 अधिक छूट देना

"उद्योगों के लिये बिक्री कर मुक्ति योजना 1998" के अन्तर्गत औद्योगिक इकाईयों" को इस योजना में विहित सीमा एवं अवधि के लिए उनके द्वारा राज्य में निर्मित वस्तुओं के विक्रय अथवा अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान किये गये विक्रय पर कर के भुगतान से छूट प्रदान की गई थी। छूट घटती वार्षिक प्रतिशतता जैसे कि प्रथम वर्ष के लिये 100 प्रतिशत एवं द्वितीय वर्ष के लिये 90 प्रतिशत के आधार पर स्वीकार्य थी। इसके अतिरिक्त रा.बि.क. अधिनियम, 1994 की धारा 58 के अन्तर्गत निर्धारित दरों पर ब्याज भी आरोपणीय था।

वा.क.का, विशेष वृत, भीलवाड़ा के 2006-07 वर्ष के अभिलेखों की मापक जांच के दौरान यह दृष्टिगत (नवम्बर 2007) हुआ कि एक औद्योगिक इकाई को योजना के अन्तर्गत 15.12.2003 से कर छूट लाभ स्वीकृत किया गया। तथापि, इसके लागू होने के प्रथम वर्ष होने के कारण 2004-05 के दौरान, 31 दिसम्बर 2004 तक 100 प्रतिशत छूट जबकि इसकी सही अवधि 14.12.2004 तक थी एवं 2005-06 के दौरान 31 दिसम्बर 2005 तक 90 प्रतिशत छूट जबकि इसकी सही अवधि 14.12.2005 तक थी, प्रदान कर दी। इस प्रकार प्रत्येक वर्ष में 17 दिनों की अधिक छूट प्रदान की। इसके परिणामस्वरूप 2004-05 एवं 2005-06 के दौरान 7.07 लाख रुपये एवं 12.60 लाख रुपये के कर की अधिक छूट प्रदान की। आगे, क्रमशः 2.41 लाख रुपये एवं 2.77 लाख रुपये का ब्याज भी आरोपणीय था।

प्रकरण को ध्यान (दिसम्बर 2007) में लाये जाने के पश्चात्, विभाग ने सूचित (जुलाई 2009) किया कि 28.74 लाख रुपये की मांग (मई 2009) कायम कर दी गई थी एवं राशि इकाई को उपलब्ध छूट की सीमा में से समायोजित कर ली जायेगी। आगामी प्रगति प्राप्त नहीं हुई है (अक्टूबर 2009)।

सरकार ने, जिसके ध्यान में मामला मार्च 2009 में लाया गया था; विभाग के उत्तर की पुष्टि (अगस्त 2009) की।

2.5.3 अधिक अर्थसहाय्य प्रदान करना

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2003 के अन्तर्गत नये विनियोजन तथा विद्यमान इकाईयां योजना में निर्धारित कुछ शर्तों के अध्यधीन आधुनिकीकरण/विस्तार/विविधिकरण के लिये विनियोजन करने पर अर्थसहाय्य के लिये पात्र होगी। आगे, योजना की धारा 7(iii) के अनुसार, विस्तार/आधुनिकीकरण/विविधिकरण के मामले में, इकाई ऐसे विस्तार/आधुनिकीकरण/विविधिकरण के विगत तुरन्त तीन वर्षो में चुकाये गये अधिकतम बिक्री कर से अधिक बिक्री कर के भुगतान की तिथि से योजना के अन्तर्गत अर्थसहाय्य के लिये पात्र होगी। इसके अतिरिक्त, रा.बि.क. अधिनियम, 1994 की धारा 58 के अन्तर्गत निर्धारित दरों से ब्याज भी आरोपणीय था।

वा.क.का. विशेष वृत, अजमेर के 2007-08 वर्ष के कर निर्धारण अभिलेखों की मापक जांच से यह दृष्टिगत (जनवरी 2009) हुआ कि एक निर्धारिती को 44.81 लाख रुपये का अर्थसहाय्य लाभ इकाई को जारी पात्रता प्रमाणपत्र की टिप्पणी 4 के अनुसार इकाई द्वारा विस्तार के पश्चात् वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की तिथि दिनांक 16 जुलाई 2004 से स्वीकृत किया गया जबकि योजना की धारा 7(iii) के अनुसार उपरोक्तानुसार अर्थसहाय्य लाभ विस्तार से पहले चुकाये गये अधिकतम कर से अधिक कर के भुगतान की तिथि दिनांक 01.12.2004 से वास्तव में स्वीकार्य था। इसके परिणामस्वरूप 24.09 लाख रुपये का अधिक अर्थसहाय्य स्वीकृत किया गया जिस पर 14.09 लाख रुपये का ब्याज भी देय होता है।

इसे ध्यान मे लाये जाने (फरवरी 2009) के बाद विभाग ने बताया (मार्च 2009) कि (क) पात्रता प्रमाणपत्र की टिप्पणी 4 एवं योजना की धारा 4(बी) के अनुसार अर्थसहाय्य वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से स्वीकार्य था, एवं (ख) सरकार के 10 अक्टूबर 2008 के स्पष्टीकरण के अनुसार, योजना के अन्तर्गत अर्थसहाय्य की गणना त्रैमासिक आधार पर की जायेगी।

तथापि, तथ्य यही है कि पात्रता प्रमाण की टिप्पणी 4, योजना की धारा 7(iii) के अनुरूप नहीं है।

चूक सरकार को मार्च 2009 में सूचित की गई; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009)।

अध्याय-III: मोटर वाहनों पर कर

3.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

परिवहन विभाग के कार्यालयों के अभिलेखों की वर्ष 2008-09 के दौरान की गई मापक जांच से 9,805 प्रकरणों में 81.01 करोड़ रुपयों के कर, शुल्क एवं शास्ति इत्यादि की कम वसूली का पता चला, जो निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:

क्र. सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि (करोड़ रुपयों में)
1.	**परिवहन विभाग द्वारा कर का आरोपण एवं संग्रहण (एक समीक्षा)**	1	37.29
2.	कर ,शास्ति, ब्याज एवं प्रशमन शुल्क का भुगतान न करना/कम करना	9,677	43.51
3.	मोटर वाहन कर/विशेष पथकर की संगणना न करना/कम करना	96	0.17
4.	अन्य अनियमिततायें	31	0.04
	योग	**9,805**	**81.01**

वर्ष 2008-09 के दौरान विभाग ने 30.33 करोड़ रुपये के 10,005 प्रकरणों में पथकर, विशेष पथ कर इत्यादि की संगणना न करना/कम करना को स्वीकार किया, जिनमें से 14.81 करोड़ रुपये के 4,889 प्रकरण वर्ष 2008-09 में लेखापरीक्षा के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में लाये गये थे। विभाग ने 989 प्रकरणों में 1.59 करोड़ रुपये वसूल किये, जिनमें से 1.48 करोड़ रुपये के 894 प्रकरण वर्ष 2008-09 में लेखापरीक्षा के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में लाये गये थे।

" **परिवहन विभाग द्वारा कर का आरोपण एवं संग्रहण** " पर समीक्षा तथा कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों को दर्शाने वाले 47.75 करोड़ रुपये राजस्व के कुछ निदर्शी प्रकरण अनुवर्ती अनुच्छेदों में दर्शाये गये हैं।

3.2 समीक्षाः परिवहन विभाग द्वारा कर का आरोपण एवं संग्रहण

मुख्य बिन्दु

सांख्यिकीय प्रतिदर्श द्वारा लेखापरीक्षा के लिए चयनित प्रकरणों में 2,924 वाहन स्वामियों से कर एवं शास्ति के 9.40 करोड़ रुपये की अवसूली/कम वसूली ध्यान में आयी।

(अनुच्छेद 3.2.10)

परिवहन वाहनों के यांत्रिक उपयुक्तता प्रमाण-पत्र प्राप्त किये बिना संचालित होने के परिणामस्वरूप 27.77 करोड़ रुपये की फीस की अवसूली रही।

(अनुच्छेद 3.2.14)

सांख्यिकीय प्रतिदर्श के परिणाम को वाहनों की कुल संख्या पर लागू करने (एक्सट्रापोलेशन) से प्रदर्शित होता है कि कर/फीस/शास्ति की अवसूली/कम वसूली से राजस्व की कुल हानि 477.63 करोड़ रुपये हो सकती है।

(अनुच्छेद 3.2.16)

3.2.1 प्रस्तावना

राजस्थान सरकार का परिवहन विभाग राज्य में संचालित मोटर वाहनों के पंजीयन तथा नियमितीकरण के कार्य को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है। विभाग; चालक, परिचालक तथा मोटर वाहन व्यवसायियों को लाइसेन्स भी जारी करता है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (मो.वा. अधिनियम) केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989, राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951 (रा.मो.वा.क. अधिनियम), राजस्थान मोटर वाहन नियम, 1951 तथा राजस्थान मोटर वाहन नियम, 1990 के प्रावधानों के अधीन कर, शास्ति तथा फीस का आरोपण एवं वसूली भी विभाग की जिम्मेदारी है।

परिवहन विभाग द्वारा कर का आरोपण एवं संग्रहण की दक्षता लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की गई थी कि क्या विभाग विभिन्न अधिनियमों के अधीन बनाये गये नियमों को प्रभावी रूप से लागू कर रहा था तथा क्या कर, फीस एवं अन्य प्रभारों की वसूली की प्रणाली प्रभावी थी। दक्षता लेखापरीक्षा में राजस्व की छीजत को रोकने के लिए विभाग की आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता का भी मूल्यांकन किया गया।

लेखापरीक्षा में परिवहन विभाग द्वारा कर का आरोपण एवं वसूली की प्रणाली की समीक्षा की गयी। इसमें प्रणाली तथा अनुपालना की कई कमियों का पता चला जो आगामी अनुच्छेदों में दर्शायी गयी हैं।

3.2.2 संगठनात्मक ढांचा

परिवहन आयुक्त एवं पदेन शासन सचिव, परिवहन विभाग में विभागाध्यक्ष होता है। मुख्यालय स्तर पर उसकी सहायता के लिए तीन अतिरिक्त परिवहन आयुक्त तथा सात उप परिवहन आयुक्त होते हैं। सम्पूर्ण राज्य 11 क्षेत्रों में विभाजित है जिसमें प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (प्रा.प.अ.) एवं पदेन सदस्य प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी कार्यालय प्रमुख होते हैं। 37 वाहन पंजीयन जिले हैं जिनमें जिला परिवहन अधिकारी (जि.प.अ.) एवं कराधान अधिकारी कार्यालय प्रमुख होते हैं।

3.2.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

दक्षता समीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि क्याः

- विभिन्न अधिनियमों के अधीन बनाये गये नियम प्रभावी रूप से लागू किये जा रहे थे;
- विभाग में कर, फीस एवं अन्य प्रभारों की वसूली के लिए प्रभावी प्रणाली विद्यमान थी; तथा
- राजस्व की छीजत को रोकने हेतु प्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान थी।

3.2.4 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

समीक्षा में वाहनों के पंजीयन, कर, फीस, शास्ति के आरोपण एवं वसूली के अलावा अनुज्ञापत्र एवं लाइसेन्स जारी करने में परिवहन विभाग की दक्षता की जांच की गई। लेखापरीक्षा की आपत्तियां परिवहन आयुक्त के कार्यालय तथा पांच प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों एवं सात जिला परिवहन कार्यालयों[1] (37 प्रा.प.अ./जि.प.अ. में से) के 2003-04 से 2007-08 की अवधि के अभिलेखों की नमूना जाँच पर आधारित थी। समीक्षा नवम्बर 2008 एवं जुलाई 2009 के मध्य की गई थी।

3.2.5 आभार

लेखापरीक्षा को आवश्यक सूचना उपलब्ध कराने में सहयोग के लिए भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग परिवहन विभाग का आभार व्यक्त करता है। परिवहन आयुक्त के साथ दिनांक 10 दिसम्बर 2008 को एक प्रारम्भिक सम्मेलन किया गया, जिसमें समीक्षा के उद्देश्य एवं प्रणाली को समझाया गया था। मुख्य लेखापरीक्षा आपत्तियों एवं सिफारिशों पर चर्चा करने के लिए दिनांक 29 सितम्बर 2009 को परिवहन आयुक्त के साथ एक समापन सम्मेलन किया गया। लेखापरीक्षा आपत्तियों के सम्बन्ध में आयुक्त के विचारों को दक्षता लेखापरीक्षा में सम्मिलित किया गया है।

[1] प्रा.प.अ., अलवर, चित्तौड़गढ़, जयपुर, कोटा एवं उदयपुर; जि.प.अ., बारां, ब्यावर, भीलवाड़ा, जैसलमेर, कोटपुतली, सिरोही एवं श्रीगंगानगर।

3.2.6 लेखापरीक्षा की प्रणाली

समीक्षा दो स्तरीय प्रतिदर्श चयन पर आधारित है। प्रथम स्तर पर इकाई द्वारा वसूले गये राजस्व के सन्दर्भ में "पुनःस्थापना सहित आकार के अनुरूप संभावना " (प्रोबेबीलिटी प्रोपोर्शनल टू साईज वीद् रिप्लेसमेन्ट) प्रणाली के आधार पर प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों/जिला परिवहन कार्यालयों का प्रतिदर्श चयन किया गया था (**परिशिष्ट "सी "**)। द्वितीय स्तर पर सिस्टेमेटिक रेन्डम सेम्पलिंग मैथड (एस.आर.एस.एम.) अपनाते हुए अभिलेखों का प्रतिदर्श चयन किया गया था (**परिशिष्ट "सी "**)। अभिलेखों के चयन के लिए सभी वाहनों को निम्नलिखित चार श्रेणियों में विभाजित किया गया थाः

श्रेणी - I: गैर परिवहन वाहन जिन पर एकबारीय कर लागू है
(दो पहिया वाहन, जीप, कार, ट्रेक्टर, ट्रेलर)

श्रेणी - II: यात्री परिवहन वाहन (बस, ऑटो रिक्शा, टेम्पो)

श्रेणी - III: माल परिवहन वाहन (ट्रक, टेम्पो एवं अन्य)

श्रेणी - IV: परिवहन वाहन (टैक्सी/मैक्सी कैब)

चयन के लिए प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों/जिला परिवहन कार्यालयो में अभिलेखों को क्रम संख्या दी गई थी। विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए नियमित अन्तराल से अभिलेखों को चुना गया था, जिसकी गणना सम्बन्धित श्रेणी के वाहनों की कुल संख्या में उस श्रेणी के प्रतिदर्श आकार से भाग देकर की गई थी तथा बाद में उस अन्तराल को रेन्डम संख्या तालिका में चयनित प्रथम संख्या में जोड़ा गया था। अपनायी गई प्रतिदर्श चयन प्रणाली का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "डी "** में दिया गया है। प्रतिदर्श चयन से प्राप्त लेखापरीक्षा परिणाम को सम्पूर्ण राज्य के वाहन संख्या पर लागू किया (एक्सट्रापोलेटेड) गया था (**परिशिष्ट "ई "**)। विभाग के वित्तीय सलाहकार तथा सहायक निदेशक (सांख्यिकी) के साथ दिनांक 30 जुलाई 2009 को एक बैठक हुई थी जिसमें दक्षता लेखापरीक्षा में प्रयोग में लायी गई प्रतिदर्श चयन तथा एक्सट्रापोलेशन की तकनीक को समझाया गया था।

3.2.7 राजस्व की प्रवृति

पिछले पांच वर्षों में राज्य की कर प्राप्तियां तथा परिवहन विभाग की प्राप्तियां निम्नानुसार थींः

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	राज्य का कर राजस्व	परिवहन विभाग का राजस्व	कर राजस्व का प्रतिशत
2003-04	7,246.18	727.21	10.04
2004-05	8,414.82	817.21	9.71
2005-06	9,880.23	908.18	9.19
2006-07	11,608.24	1,023.61	8.82
2007-08	13,274.73	1,164.39	8.77

यद्यपि, वास्तव में मोटर वाहन कर प्राप्तियों में प्रति वर्ष मामूली वृद्धि दर्ज हुई थी, राज्य में एकत्रित किये गये कुल राजस्व की तुलना में परिवहन विभाग के राजस्व के हिस्से की प्रतिशतता में प्रतिवर्ष गिरावट हुई थी। 2003-04 के दौरान मोटर वाहन कर प्राप्तियां राज्य के कुल राजस्व का 10 प्रतिशत थी। वर्ष 2007-08 में मोटर वाहन कर प्राप्तियां 8.77 प्रतिशत थी।

लेखापरीक्षा आपत्तियां

प्रणाली की कमियां

3.2.8 अस्थायी पंजीयन फीस का अनारोपण

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 43 के प्रावधानों के अनुसार अस्थायी पंजीयन उस अवधि के लिए वैध है जो एक माह से अधिक नहीं हो तथा उसका नवीनीकरण नहीं होगा। आगे, इसमें प्रावधान है कि इस प्रकार पंजीकृत ऐसे मोटर वाहन के मामले में, जो चेसिस है तथा उसके साथ बॉडी संलग्न नहीं है तथा वह उक्त एक माह की अवधि से ज्यादा किसी कार्यशाला में रखा जाता है, उक्त अवधि को उसके लिए फीस का भुगतान करने पर, उस अवधि या अवधियों के लिए बढ़ा दिया जायेगा, जैसा कि पंजीयन प्राधिकारी अनुमति दे। **लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग में सामयिक विवरणियों द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के उक्त प्रावधान की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए कोई व्यवस्था लागू नहीं थी।**

एक प्रादेशिक परिवहन कार्यालय तथा एक जिला परिवहन कार्यालय के वाहन पंजीयन अभिलेखों की मापक जांच में पाया गया कि परिवहन वाहनों के 14 अस्थायी पंजीयन प्रमाण-पत्र[2] (टी.आर.सी.) स्वीकृत किये गये थे जो एक माह के लिए वैध थे। अस्थायी पंजीयन प्रमाण-पत्र की अवधि समाप्त हो जाने के बाद न तो वाहन स्वामियों ने अस्थायी पंजीयन प्रमाण-पत्र की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन किया और न ही विभाग ने वाहन स्वामियों को नोटिस जारी करने की कार्यवाही प्रारम्भ की। वाहन स्वामियों ने स्थायी पंजीयन के लिए आवेदन किया जिसे स्वीकृत कर लिया गया। तथापि, स्थायी पंजीयन प्रमाण-पत्र देते समय पंजीयन प्राधिकारियों ने अस्थायी पंजीयन की अवधि समाप्त होने से लेकर स्थायी पंजीयन होने की तिथि तक के अन्तराल की अवधि के लिए अस्थायी पंजीयन फीस का आरोपण एवं वसूली नहीं की। इसके परिणामस्वरूप अस्थायी पंजीयन फीस की राशि 6,000 रुपये की अवसूली रही।

परिवहन आयुक्त ने यद्यपि लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार करते हुए कहा कि फीस आरोपण को सुनिश्चित करने के लिए प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों/जिला परिवहन अधिकारियों को परिपत्र जारी किया जायेगा।

सरकार को सामयिक विवरणियों द्वारा अस्थायी पंजीयन फीस की वसूली को सुनिश्चित करने की अनुश्रवण प्रणाली लागू करने पर विचार करना चाहिए।

[2] प्रा.प.अ., कोटा (2) तथा जि.प.अ., सिरोही (12)

3.2.9 वाहनों का पंजीयन

केन्द्रीय मोटर वाहन नियमों के नियम 47 के अनुसार वाहन की सुपुर्दगी प्राप्त करने की तिथि से सात दिनों में मोटर वाहन पंजीयन के लिए आवेदन पत्र देना होता है। आगे, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 41 के अधीन वाहन के विलम्ब से पंजीयन कराने पर 100 रुपये प्रशमन फीस आरोपणीय है। **लेखापरीक्षा ने पाया कि विलम्ब से पंजीयन के प्रकरण में शास्ति के आरोपण तथा पंजीयन प्रमाण-पत्र स्वीकृत करने से पहले प्रशमन फीस की वसूली सुनिश्चित करने के लिए सामयिक निरीक्षण प्रणाली विद्यमान नहीं थी।**

चार प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों तथा पांच जिला परिवहन कार्यालयों के अभिलेखों की मापक जांच में प्रकट हुआ कि 136 वाहन[3] निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद पंजीकृत हुए थे। पंजीयन प्राधिकारियों ने पंजीयन करते समय उन वाहन स्वामियों से प्रशमन फीस का आरोपण एवं वसूली नहीं की। इसके परिणामस्वरूप प्रशमन फीस के 13,600 रुपये का आरोपण नहीं हुआ। विभागीय अधिकारियों द्वारा सामयिक निरीक्षण की किसी भी व्यवस्था के अभाव में परिवहन आयुक्त प्रशमन फीस के अनारोपण से अनभिज्ञ थे।

अभिलेखों से यह भी ज्ञात हुआ कि 12 प्रकरणों[4] में सुपुर्दगी लेने की तिथि से तीन से 15 माह के अन्तराल के बाद वाहन पंजीकृत हुए।

विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया तथा सूचित किया कि प्रशमन फीस बढ़ा दी गई है।

विलम्ब से पंजीयन के प्रकरण में शास्ति आरोपण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार को सामयिक निरीक्षण प्रणाली विकसित करने पर विचार करना चाहिए।

3.2.10 कर/शास्ति का अनारोपण/कम आरोपण

राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों के अधीन सभी मोटर वाहनों पर निर्धारित दरों से मोटर वाहन कर तथा/या विशेष पथकर आरोपणीय है। आगे, धारा 6 में प्रावधान है कि जहां देय कर का भुगतान अनुमत्य अवधि में नहीं किया जाता है, कर के अतिरिक्त 1.5 प्रतिशत प्रति माह की दर से शास्ति देय है। **लेखापरीक्षा में पाया गया कि कर की वसूली सुनिश्चित करने के लिए पंजीकृत वाहनों के कर खाताबही के संधारण को अनुश्रवण करने के लिए विभाग में कोई प्रणाली विद्यमान नहीं थी। इसके अतिरिक्त वाहनों की संख्या, जिनसे कर बकाया था, को दर्शाने वाली विवरणी निर्धारित नहीं थी।**

---

[3] प्रा.प.अ., अलवर (23), चित्तौड़गढ़ (19), कोटा (8) तथा उदयपुर (6); जि.प.अ., बारां (16), ब्यावर (29), जैसलमेर (2), कोटपुतली (25) तथा सिरोही (8)

[4] प्रा.प.अ., अलवर (5) तथा चित्तौड़गढ़ (1); जि.प.अ., जैसलमेर (4) तथा सिरोही (2)

3.2.10.1 मोटर वाहन कर/विशेष पथकर का अनारोपण

पांच प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों तथा सात जिला परिवहन कार्यालयों के अभिलेखों की मापक जांच में प्रकट हुआ कि 2003-04 से 2007-08 की अवधि के दौरान 2,277 वाहनों[5] के सम्बन्ध में मोटर वाहन कर तथा विशेष पथ कर की 6.71 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान नहीं किया गया। आगे, निम्न विवरणानुसार शास्ति की राशि 2.30 करोड़ रुपये भी आरोपणीय थी:

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	वाहनों का प्रकार	वाहनों की संख्या	भुगतान नहीं किया गया कर	आरोपणीय शास्ति	वसूलनीय कुल राशि
1.	यात्री वाहन	1,018	3.93	1.31	5.24
2.	भार वाहन	826	1.72	0.65	2.37
3.	टैक्सी/मैक्सी कैब	433	1.06	0.34	1.40
योग		**2,277**	**6.71**	**2.30**	**9.01**

प्रकरणों को ध्यान में लाये जाने के बाद विभाग ने बताया (सितम्बर 2009) कि कर के अनारोपण की इतनी भारी राशि की सम्भावना बहुत कम थी। विभाग ने स्वीकार किया कि स्टॉफ की कमी के कारण कर खाते पूरे नहीं भरे जा रहे हैं, जिसके कारण ऐसा लगता है कि मोटर वाहन कर/विशेष पथकर एकत्रित नहीं किया गया। तथ्य यह है कि अभिलेखों के रख-रखाव में कमी के कारण मोटर वाहन कर/विशेष पथकर के अपवंचन से इन्कार नहीं किया जा सकता।

3.2.10.2 कर की कम वसूली

आगे यह पाया गया कि 600 प्रकरणों में वाहन स्वामियों से मोटर वाहन कर/विशेष पथकर के 30 लाख रुपये कम वसूल हुए। इसके अतिरिक्त कर के पूर्ण भुगतान में चूक करने पर निम्न विवरणानुसार 8 लाख रुपये की शास्ति भी आरोपणीय थी:

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	वाहन की श्रेणी	वाहनों की संख्या	कम भुगतान किया गया कर	आरोपणीय शास्ति	कुल राशि
1.	गैर परिवहन वाहन	22	0.44	0.14	0.58
2.	यात्री वाहन	42	2.90	0.85	3.75
3.	भार वाहन	442	19.45	5.13	24.58
4.	टेक्सी/मैक्सी कैब	94	7.67	1.54	9.21
योग		**600**	**30.46**	**7.66**	**38.12**

[5] प्रा.प.अ., अलवर (93), चित्तौड़गढ़ (119), जयपुर (294), कोटा(113), तथा उदयपुर (170); जि.प.अ., बारां (220), ब्यावर (119), भीलवाड़ा (168) जैसलमेर (151), कोटपूतली (174), सिरोही (383) तथा श्रीगंगानगर (273)।

प्रकरणों को ध्यान में लाये जाने के बाद विभाग ने कर की कम वसूली की सम्भावना को स्वीकार किया लेकिन लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाये गये प्रत्येक प्रकरण के सत्यापन हेतु और समय चाहा गया।

3.2.10.3 विलम्ब से कर जमा कराने पर शास्ति का अनारोपण

तीन प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों तथा छः जिला परिवहन कार्यालयों के अभिलेखों की मापक जांच में पाया गया कि 47 प्रकरणों[6] में वाहन स्वामियों ने कर विलम्ब से जमा कराया तथा इसे विभाग द्वारा स्वीकार कर लिया गया लेकिन विलम्ब के लिए शास्ति आरोपित नहीं की। इसके परिणामस्वरूप शास्ति के 71,000 रुपये की अवसूली रही।

समापन सम्मेलन के दौरान विभाग शास्ति आरोपण की कार्यवाही करने के लिए सहमत था।

निर्धारित दरों से मोटर वाहन कर/विशेष पथकर के संग्रहण एवं कर जमा नहीं कराने/कम जमा कराने के प्रकरणों में शास्ति के आरोपण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार को अनुश्रवण प्रणाली शुरू करने पर विचार करना चाहिए।

3.2.11 आन्तरिक लेखापरीक्षा

आन्तरिक लेखापरीक्षा आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली का एक अनिवार्य भाग है। गत पांच वर्षों की आन्तरिक लेखापरीक्षा की स्थिति निम्नानुसार थी:

वर्ष	बकाया इकाईयां	वर्ष में लेखापरीक्षा के लिए बकाया इकाईयां	लेखापरीक्षा के लिए बकाया कुल इकाईयां	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित इकाईयां	अलेखापरीक्षित इकाईयां	कमी प्रतिशत में
2003-04	11	77	88	74	14	18
2004-05	14	77	91	91	-	-
2005-06	-	77	77	77	-	-
2006-07	-	79	79	75	4	5
2007-08	4	79	83	67	16	20

वर्ष 2003-04, 2006-07 तथा 2007-08 में आन्तरिक लेखापरीक्षा में कमी 5 से 20 प्रतिशत के बीच रही।

यह ध्यान में आया कि विभाग ने वर्ष 2007-08 के अन्त में बकाया रहे 871 निरीक्षण प्रतिवेदनों के 9,852 अनुच्छेदों के निस्तारण के लिए गम्भीर प्रयास नहीं किये। बकाया अनुच्छेदों का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	1991-92 से 2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	योग
अनुच्छेद	6,257	881	1,021	928	765	**9,852**

[6] प्रा.प.अ., अलवर (2), जयपुर (15) तथा कोटा (2); जि.प.अ., बारां (3), ब्यावर (4), भीलवाड़ा (5), कोटपूतली (1), सिरोही (10) तथा श्रीगंगानगर (5)।

चूंकि आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये मामलों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, अतः आन्तरिक लेखापरीक्षा का उद्देश्य विफल रहा।

सरकार को आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह के कार्य को प्रभावशाली बनाना चाहिए जिससे कि राजस्व छीजत को रोकने एवं अधिनियमों के प्रावधानों की अनुपालना के लिये उचित उपाय किये जा सकें।

अनुपालना की कमियां

3.2.12 अनुज्ञा-पत्र जारी करना/नवीनीकरण करना

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 66 के अधीन, मोटर वाहन स्वामी किसी वाहन को प्रादेशिक या राज्य परिवहन प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत या प्रति हस्ताक्षरित अनुज्ञा-पत्र के बिना परिवहन वाहन[7] के रूप में उपयोग नहीं करेगा।

दो प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों तथा दो जिला परिवहन कार्यालयों के अभिलेखों की मापक जाँच में पाया गया कि 80 वाहन[8] (ऑटो रिक्शा) बिना अनुज्ञा-पत्र संचालित हो रहे थे। इसके परिणामस्वरूप अनुज्ञा फीस के 12,000 रुपये का अनारोपण रहा।

परिवहन आयुक्त ने बताया कि बिना अनुज्ञा-पत्र के वाहनों के संचालन के ज्यादातर मामले ऑटो रिक्शा तक सीमित है तथा इस सम्बन्ध में समुचित निर्देश जारी किये जायेंगे।

3.2.13 पंजीयन अवधि समाप्ति के पश्चात् संचालित वाहनों पर शास्ति का अनारोपण

राजस्थान मोटर वाहन नियम, 1990 के नियम 4.2 के प्रावधानों के अनुसार कोई परिवहन वाहन उसके प्रथम पंजीयन की तिथि से 15 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के बाद मोटर वाहन अधिनियम की धारा 39 के उद्देश्य से वैध पंजीकृत वाहन नहीं होगा जब तक कि वाहन पुनः पंजीकृत न हो जाये। आगे, उक्त अधिनियम की धारा 192 के अनुसार धारा 39 के प्रावधानों के विपरीत वाहन चलाना दण्डनीय होगा।

प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, अलवर के अभिलेखों की मापक जांच में पाया गया (अप्रैल 2009) कि पांच वाहनों का मोटर वाहन कर/विशेष पथकर वसूला गया/वाहन स्वामियों द्वारा जमा कराया गया, यद्यपि उन वाहनों का पंजीयन समाप्त हो गया था लेकिन विभाग अनियमितता का पता लगाने में असफल रहा। इसके परिणामस्वरूप शास्ति के 55,000 रुपये का अनारोपण रहा।

---

[7] "परिवहन वाहन" का अर्थ एक लोक सेवा वाहन, एक भार वाहन, एक शैक्षिक संस्थान की बस या एक निजी सेवा वाहन।

[8] प्रा.प.अ., अलवर (22) तथा चित्तौड़गढ़ (23); जि.प.अ., भीलवाड़ा (4) तथा सिरोही (31)।

प्रकरणों को ध्यान में लाये जाने के पश्चात् प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ने बताया कि मोटर वाहन निरीक्षक के लिए वाहन तथा उसके दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन करना व्यावहारिक रूप से सम्भव नहीं है। तथापि, तथ्य यह है कि परिवहन विभाग की नियम-पुस्तिका के अनुच्छेद 5.6.10 के प्रावधान के अनुसार मोटर वाहन निरीक्षक को निरीक्षण के समय वाहन तथा दस्तावेजों की भौतिक जांच करना आवश्यक है।

3.2.14 वाहनों की उपयुक्तता

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 56 में प्रावधान है कि एक परिवहन वाहन तब तक वैध पंजीकृत नहीं माना जायेगा जब तक कि उपयुक्तता प्रमाण-पत्र प्राप्त न कर ले। केन्द्रीय मोटर वाहन नियम के नियम 62 के अनुसार एक नये पंजीकृत वाहन के सम्बन्ध में अधिनियम के अधीन स्वीकृत उपयुक्तता प्रमाण-पत्र दो वर्ष के लिए वैध है तथा उसके बाद निर्धारित फीस के भुगतान पर प्रति वर्ष नवीनीकृत कराना आवश्यक होगा।

विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार परिवहन वाहनों के साथ उपयुक्तता प्रमाण-पत्र वाले वाहनों की तुलनात्मक स्थिति नीचे दी गई है:

वर्ष	यांत्रिक उपयुक्तता बकाया		उपयुक्तता प्रमाण-पत्र जारी		कमी		
	नये	नवीनीकरण (दो वर्ष पुराने)	नये	नवीनीकरण	नये	नवीनीकरण	योग
2003-04	35,417	3,41,259	27,378	1,24,275	8,039	2,16,984	**2,25,023**
2004-05	37,538	3,66,554	31,420	1,26,042	6,118	2,40,512	**2,46,630**
2005-06	38,368	4,01,971	36,451	1,27,403	1,917	2,74,568	**2,76,485**
2006-07	52,823	4,39,509	48,776	1,39,333	4,047	3,00,176	**3,04,223**
2007-08	47,636	4,77,877	40,847	1,48,698	6,789	3,29,179	**3,35,968**
कुल योग	**2,11,782**	**20,27,170**	**1,84,872**	**6,65,751**	**26,910**	**13,61,419**	**13,88,329**

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि 2003-04 से 2007-08 की अवधि के दौरान 22,38,952 परिवहन वाहन यांत्रिक निरीक्षण के लिए बकाया थे जिनके विरूद्ध केवल 8,50,623 उपयुक्तता प्रमाण-पत्र जारी किये गये। इस प्रकार 13,88,329 वाहन यांत्रिक उपयुक्तता प्रमाण-पत्र प्राप्त किये बिना संचालित रहे। इसके परिणामस्वरूप प्रति वाहन 200 रुपये की दर से गणना करने पर 27.77 करोड़ रुपये उपयुक्तता फीस की अवसूली रही।

आगे, दो प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों[9] के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि 400 वाहनों के सम्बन्ध में विभाग ने वाहनों की उपयुक्तता सुनिश्चित किये बिना मोटर वाहन कर/विशेष पथकर के भुगतान को स्वीकार किया। यांत्रिक उपयुक्तता प्रमाण-पत्र के

[9] प्रा.प.अ., अलवर तथा कोटा।

बिना संचालित वाहनों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं करना न केवल मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन है बल्कि बड़ी संख्या में जनता के लिए भी गम्भीर खतरा है।

परिवहन आयुक्त ने इंगित किया कि इतनी बड़ी संख्या में उपयुक्तता प्रमाण-पत्र नहीं होने की सम्भावना बहुत कम है। यहां विभाग द्वारा संधारित आंकड़ों में कमी हो सकती है, वैसे वाहन स्वामियों द्वारा अन्य प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों/जिला परिवहन कार्यालयों से भी उपयुक्तता प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जा सकता है।

3.2.15 व्यवसाय प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण नहीं कराना

केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 37 तथा 81 में प्रावधान है कि वाहनों के प्रत्येक व्यवसायी को व्यवसाय प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा जिसका निर्धारित फीस के भुगतान पर वार्षिक नवीनीकरण कराना होगा। 31 मार्च 2000 की अधिसूचना के अनुसार व्यवसाय प्रमाण-पत्र अधिकृत करने के अन्तर्गत एक वित्तीय वर्ष में उसके अधिकार में रखे गये वाहनों पर निर्माता/डीलर से निर्धारित दर से कर वसूलनीय है।

चार प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों तथा दो जिला परिवहन कार्यालयों के अभिलेखों की मापक जांच में पाया गया कि व्यवसाय प्रमाण-पत्र रखने वाले 178 डीलरों/वित्तपोषकों/बॉडी निर्माताओं[10] आदि ने उनके द्वारा बेचे गये/वित्त पोषित किये गये वाहनों के सम्बन्ध में निर्धारित कर जमा नहीं कराया। जिला परिवहन कार्यालय, सिरोही में यह भी पाया गया कि वित्तपोषित करने वाले छः डीलरों ने न तो व्यवसाय प्रमाण-पत्र प्राप्त किया न ही प्रभार्य कर जमा कराया। इसके परिणामस्वरूप कर की 12 लाख रुपये की अवसूली रही।

प्रकरणों को ध्यान में लाये जाने के पश्चात् विभाग स्थिति को सुधारने के लिए कार्यवाही करने हेतु सहमत था।

3.2.16 राज्य में राजस्व की अवसूली

सांख्यिकीय प्रतिदर्श के आधार पर की गई दक्षता लेखापरीक्षा में पायी गई आपत्तियों को राज्य में पंजीकृत वाहनों की सम्पूर्ण संख्या पर लागू (एक्सट्रापोलेटेड) करके राजस्व की सम्भावित छीजत का अनुमान लगाने के लिए लेखापरीक्षा द्वारा एक प्रयास किया गया। लेखापरीक्षा ने अनुमान लगाया कि अस्थायी पंजीयन फीस, प्रशमन फीस तथा अनुज्ञा फीस का अनारोपण तथा मोटर वाहन कर एवं शास्ति (कर का भुगतान विलम्ब से करने एवं पंजीयन के बिना वाहनों के संचालन पर शास्ति को सम्मिलित करते हुए) की अवसूली के मामलों की वास्तविक राशि को राज्य की सम्पूर्ण वाहन संख्या पर लागू

[10] प्रा.प.अ., अलवर (54), चित्तौड़गढ़ (16), कोटा (22) एवं उदयपुर (27); जि.प.अ.,भीलवाड़ा (37) एवं सिरोही (22)।

(एक्सट्रापोलेटेड) करने पर सम्भावित छीजत की राशि 477.63 करोड़ रुपये हो सकती है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

(लाख रुपयों में)

अनियमितता का प्रकार	गैर परिवहन वाहन		यात्री परिवहन वाहन		भार परिवहन वाहन		टैक्सी/मैक्सी/कैब		योग	
	राशि	अनुमान	राशि	अनुमान	राशि	अनुमान	राशि	अनुमान	राशि	अनुमान
अस्थायी पंजीयन फीस का अनारोपण	-	-	0.02	0.60	0.04	3.12	-	-	0.06	3.72
प्रशमन फीस का अनारोपण	0.13	134.15	0.01	0.21	-	-	-	-	0.14	134.36
अनुज्ञा फीस का अनारोपण	-	-	0.12	5.13	-	-	-	-	0.12	5.13
कर एवं शास्ति की अवसूली	-	-	524.20	22,425.29	237.18	17,608.20	140.13	4,576.81	901.51	44,610.30
कर एवं शास्ति की कम वसूली	0.58	591.37	3.75	160.31	24.58	1,825.04	9.21	300.68	38.12	2,877.40
विलम्ब से कर जमा कराने पर शास्ति का अनारोपण	0.04	42.51	-	-	0.65	48.11	0.02	0.59	0.71	91.21
पुनः पंजीयन कराये बिना संचालित वाहनों पर शास्ति का अनारोपण	-	-	-	-	0.55	40.83	-	-	0.55	40.83
योग	**0.75**	**768.03**	**528.10**	**22,591.54**	**263.00**	**19,525.30**	**149.36**	**4,878.08**	**941.21**	**47,762.95**

ऊपर बतायी गई विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत प्रतिदर्श चयन के आधार पर की गई अभिलेखों की मापक जांच 9.41 करोड़ रुपये के राजस्व की छीजत दर्शाती थी।

चयनित प्रतिदर्श (अनुच्छेद 3.2.6 में दर्शाए अनुसार) की मापक जांच के आधार पर राज्य के लिए मोटर वाहन कर/विशेष पथकर/प्रशमन फीस/अनुज्ञा फीस/शास्ति आदि की अवसूली/कम वसूली का निकटतम सम्भावित अनुमान 477.63 करोड़ रुपये निकलता था।

समापन सम्मेलन के दौरान विभाग ने स्वीकार किया कि उपर्युक्त के अनुसार अवसूली की राशि 300 से 400 करोड़ रुपये के लगभग हो सकती है।

3.2.17 निष्कर्ष

वाहनों पर कर के आरोपण एवं वसूली में विभाग की दक्षता को विशेष रूप से उन्नत करने पर विचार करने की आवश्यकता है। सांख्यिकीय प्रतिदर्श के लेखापरीक्षा परिणाम को राज्य के सभी वाहनों के सम्बन्ध में लागू (एक्सट्रापोलेशन) करने पर प्राप्त परिणाम

इंगित करता था कि अस्थायी पंजीयन फीस, प्रशमन फीस, अनुज्ञा फीस, मोटर वाहन कर, व्यवसाय प्रमाण-पत्र धारकों से कर तथा विलम्ब से कर जमा कराने एवं पुनः पंजीयन के बिना वाहनों के संचालन पर शास्ति के लगभग 400 करोड़ रुपये के राजस्व की वसूली करने में विभाग असफल रहा। समापन सम्मेलन के दौरान विभाग भी इस परिणाम से सहमत था। विभाग का वाहनों के यांत्रिक उपयुक्तता पर भी नियंत्रण नहीं था तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा दिये गये प्रतिवेदनों पर भी ध्यान नहीं दिया गया।

मामला विभाग के ध्यान में लाया गया तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2009); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (अक्टूबर 2009)।

3.2.18 सिफारिशों का सार

सरकार विचार करे कि:

- **अस्थायी पंजीयन फीस की वसूली सुनिश्चित करने के लिए सामयिक विवरणी के माध्यम से अनुश्रवण प्रणाली लागू करनी चाहिए;**
- **विलम्ब से पंजीकरण के प्रकरण में शास्ति के आरोपण को सुनिश्चित करने के लिए सामयिक निरीक्षण के माध्यम से प्रणाली विकसित करनी चाहिए;**
- **निर्धारित दरों से मोटर वाहन कर/विशेष पथकर के संग्रहण एवं कर जमा नहीं कराने/कम जमा कराने के प्रकरणों में शास्ति के आरोपण को सुनिश्चित करने के लिए अनुश्रवण प्रणाली शुरू करने पर विचार करना चाहिए; तथा**
- **आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह के कार्य को प्रभावशाली बनाना चाहिए जिससे कि राजस्व छीजत को रोकने एवं अधिनियमों के प्रावधानों की अनुपालना के लिये उचित उपाय किये जा सकें।**

3.3 अन्य लेखापरीक्षा टिप्पणियां

परिवहन विभाग में अभिलेखों की संवीक्षा में कई प्रकरणों में अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों की अनुपालना नहीं करना, फीस, कर एवं शास्ति का अनारोपण/कम आरोपण पाया गया, जैसा कि आगामी अनुच्छेदों में दर्शाया गया है। कुछ कमियां पूर्व के वर्षों में ध्यान में लायी गई थी लेकिन लेखापरीक्षा करने तक ये अनियमितताएं न केवल विद्यमान थी, अपितु पहचानी भी नहीं गयी थी। ये प्रकरण निदर्शी हैं तथा लेखापरीक्षा में की गई मापक जांच पर आधारित हैं। सरकार के लिए आन्तरिक लेखापरीक्षा को प्रभावी बनाने सहित आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को सशक्त करने की आवश्यकता है।

3.3.1 विशेष पथकर एवं शास्ति की अवसूली

नीचे दर्शाये गये प्रकरणों में प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों/जिला परिवहन अधिकारियों ने अधिनियमों/नियमों के कुछ प्रावधानों की अनुपालना नहीं की। इसके परिणामस्वरूप विशेष पथकर/शास्ति के 10.46 करोड़ रुपये अनारोपित रहे।

राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951 एवं उसकी अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत, वाहन उस अवधि के लिए कर के भुगतान हेतु दायी नहीं होते है जिस अवधि के लिए उनका पंजीयन प्रमाण-पत्र विभाग को समर्पित किया जाता है, तथापि, जहां पंजीयन प्रमाण-पत्र समर्पण की अवधि के दौरान कोई वाहन संचालित पाया जाता है तो ऐसे वाहन पर सम्पूर्ण समर्पण अवधि के कर सहित कर के पांच गुणा के बराबर शास्ति चुकानी होगी।

25 प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों/जिला परिवहन कार्यालयों[11] के पंजीयन प्रमाण-पत्रों के समर्पण से सम्बन्धित अभिलेखों का राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा 2006-07 एवं 2007-08 की अवधि के लिए संधारित विवरणियों/अभिलेखों के प्रति-परीक्षण में प्रकट हुआ कि पंजीयन प्रमाण-पत्रों की समर्पण अवधि में 295 मंजिली वाहन संचालित हुए लेकिन विशेष पथकर की राशि 1.74 करोड़ रुपये तथा उस कर के पांच गुणा के बराबर शास्ति 8.72 करोड़ रुपये का आरोपण नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप 10.46 करोड़ रुपये के राजस्व की अवसूली रही।

प्रकरणों को ध्यान में लाये जाने (मई 2009) के पश्चात् सरकार ने जून 2009 में बताया कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को आक्षेपित राशि जमा कराने के लिए निर्देशित किया गया है।

3.3.2 प्रदूषण नियंत्रण

केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 115(7) में प्रावधान है कि जिस तिथि को मोटर वाहन पहली बार पंजीकृत हुआ था, उससे एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद प्रत्येक ऐसे वाहन को राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए प्राधिकृत एजेन्सी द्वारा जारी एक वैध "प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र " (पी.यू.सी.सी.) प्राप्त करना होगा। प्रमाण-पत्र की वैधता छः माह या उससे कम अवधि होगी, जैसा राज्य सरकार समय-समय पर विनिर्देशित करे।

विभाग से प्राप्त की गई सूचना के अनुसार जिन वाहनों के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र बकाया था तथा जिनको उक्त प्रमाण-पत्र जारी किया गया था, उनका विवरण निम्नानुसार हैः

वर्ष	पिछले वर्ष के अन्त तक पंजीकृत हुए वाहनों की संख्या	जारी करने के लिए बकाया पी.यू.सी.सी. (वर्ष में दो बार)	जारी पी.यू.सी.सी.	प्रतिशतता
2003-04	34,86,679	69,73,358	3,96,609	5.69
2004-05	38,33,806	76,67,612	3,84,994	5.02
2005-06	42,60,729	85,21,458	4,05,648	4.76
2006-07	47,54,027	95,08,054	3,69,734	3.89
2007-08	53,36,213	1,06,72,426	4,17,229	3.91

[11] प्रा.प.अ., जोधपुर, सीकर, पाली, कोटा, जयपुर, बीकानेर, दौसा एवं चित्तौड़गढ़ , जि.प.अ., डूंगरपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, धौलपुर, नागौर, चूरू, कोटपूतली, बाड़मेर, टौंक, करौली, भरतपुर, बूंदी, झुन्झुनू, श्रीगंगानगर, बारां एवं ब्यावर।

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि वर्ष 2003-04 से 2007-08 के दौरान केवल 3.89 से 5.69 प्रतिशत प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र जारी किये गये थे तथा इसमें लगातार गिरावट हो रही थी।

आगे, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जयपुर के अभिलेखों की मापक जांच के दौरान यह ध्यान में आया कि वर्ष 2003-04 से 2007-08 के दौरान प्रदूषण नियंत्रण की आवश्यकता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सात उड़न दस्तों द्वारा केवल 0.19 प्रतिशत वाहनों की जांच की गई थी, जैसा नीचे दर्शाया गया है:

वर्ष	वाहनों की संख्या	बकाया पी.यू.सी.सी.	वर्ष के दौरान जांच किये गये वाहन	जांचे गये वाहनों की प्रतिशतता
2003-04	7,62,885	15,25,770	2,410	0.16
2004-05	8,37,412	16,74,824	3,663	0.22
2005-06	9,40,883	18,81,766	3,712	0.20
2006-07	10,72,287	21,44,574	3,288	0.15
2007-08	12,05,830	24,11,660	5,412	0.22
योग	**48,19,297**	**96,38,594**	**18,485**	**0.19**

अध्याय-IV: मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क तथा भू-राजस्व

4.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2008-09 के दौरान पंजीयन एवं मुद्रांक तथा भू-राजस्व विभागों के अभिलेखों की मापक जांच में 9,955 प्रकरणों में 55.38 करोड़ रुपयों के मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की कम वसूली तथा भू-राजस्व की हानि एवं अवनिर्धारण प्रकट हुआ, जो विस्तृत रूप से निम्न श्रेणियों में आते हैं:

क्र.सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि (करोड़ रुपयों में)
अ.	**मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क**		
1.	सम्पत्तियों का कम मूल्यांकन	7,532	9.69
2.	विलेखों का गलत वर्गीकरण	24	0.06
3.	अन्य अनियमितताएं	1,070	33.38
ब.	**भू-राजस्व**		
4.	सरकारी भूमि पर अतिचारियों के प्रकरणों का नियमितीकरण न होना	329	0.14
5.	खातेदारों से रुपान्तरण प्रभारों की अवसूली	182	0.43
6.	केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों/प्रतिष्ठानों से प्रीमियम और किराये की अवसूली	105	3.55
7.	सिंचित/असिंचित/निष्क्रान्त, सीलिंग आदि भूमि की कीमत की अवसूली	193	1.22
8.	अन्य अनियमितताएं	520	6.91
	योग	**9,955**	**55.38**

वर्ष 2008-09 के दौरान विभाग ने 3,434 प्रकरणों से सम्बन्धित 33.68 करोड़ रुपये के कम निर्धारणों एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिनमें से 19.47 करोड़ रुपये के 849 प्रकरण वर्ष 2008-09 के दौरान तथा शेष पूर्व के वर्षों में ध्यान में लाये गये थे। विभाग ने 2,103 प्रकरणों में 9.33 करोड़ रुपये वसूल किये, जिनमें से 19.81 लाख रुपये के 219 प्रकरण वर्ष 2008-09 से तथा शेष पूर्व वर्षों से संबंधित थे।

भू-राजस्व विभाग के दो ड्राफ्ट अनुच्छेद जारी करने के पश्चात् इन आक्षेपों के सम्बन्ध में सरकार ने 1.13 करोड़ रुपये की वसूली सूचित (जुलाई 2009) की।

कुछ निदर्शी लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर, जिनमें 10.47 करोड़ रुपये सन्निहित हैं, अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क

4.2 लेखापरीक्षा टिप्पणियां

विभिन्न पंजीयन कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा में ज्ञात हुआ कि अनेक मामलों में राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (रा.मु.अ.) तथा भारतीय पंजीयन अधिनियम, 1908 के प्रावधानों की पालना नहीं की गई, जिनका इस अध्याय के अनुवर्ती अनुच्छेदों में उल्लेख किया गया है। ये प्रकरण निदर्शी हैं तथा लेखापरीक्षा द्वारा की गई मापक जांच पर आधारित हैं। ऐसी त्रुटियां प्रतिवर्ष लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लायी जाती हैं, तथापि न केवल अनियमितताएं विद्यमान रहीं बल्कि लेखापरीक्षा होने तक इनका पता नहीं लगा। सरकार को आंतरिक नियन्त्रण प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है ताकि ऐसे प्रकरणों की पुनरावर्ती को रोका जा सके।

4.3 मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की अवसूली

लोक कार्यालयों के रूप में राजस्थान आवासन मण्डल एवं नगर सुधार न्यासों द्वारा अमुद्रांकित प्रलेखों को कलेक्टर (मुद्रांक) के ध्यान में नहीं लाये जाने के परिणामस्वरूप 8.40 करोड़ रुपये के राजस्व की अवसूली हुई।

पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा 17 (1)(डी) के अधीन अचल सम्पत्ति के वर्ष दर वर्ष, या एक वर्ष से अधिक की अवधि के या आरक्षित वार्षिक किराया के पट्टों का पंजीयन अनिवार्य है। साथ ही राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 की अनुसूची के आर्टिकल 33 (सी)(ii) के अधीन जहां पट्टा 20 वर्ष से अधिक अवधि का है, मुद्रांक कर, हस्तान्तरण विलेख की तरह बाजार मूल्य पर, जो कि पट्टे की विषय वस्तु है, प्रभार्य है। सरकार की अधिसूचना के अनुसार राजस्थान आवासन मण्डल (रा.आ.मं.) तथा नगर सुधार न्यासों (न.सु.न्या.) के द्वारा विक्रय/नीलामी/आवंटन के द्वारा आवंटित प्रकरणों में मुद्रांक कर बाजार मूल्य के स्थान पर प्रतिफल पर प्रभार्य होगा। सरकार ने राजस्थान आवासन मण्डल एवं नगर सुधार न्यासों को लोक कार्यालय घोषित (दिसम्बर 1997) किया है जिनके द्वारा अमुद्रांकित दस्तावेजों को कलेक्टर (मुद्रांक) के ध्यान में लाना आवश्यक है।

आठ कार्यालयों[1] के वर्ष 2003-04 से 2007-08 के अभिलेखों की अगस्त 2008 एवं मार्च 2009 के मध्य की गई संवीक्षा में ज्ञात हुआ कि इन संस्थानों द्वारा सम्पत्तियों के आवंटन के 40 प्रकरणों में पट्टा अवधि 20 वर्ष से अधिक होने के बावजूद अचल सम्पत्तियों के पट्टा विलेखों का पंजीयन नहीं कराया गया। यद्यपि राजस्थान आवासन मण्डल तथा नगर सुधार न्यासों को लोक कार्यालय घोषित किया जा चुका था फिर भी वे अपंजीयन के मामलों को कलेक्टर (मुद्रांक)के ध्यान में नहीं लाये। इसके परिणामस्वरूप 8.33 करोड़ रुपये के मुद्रांक कर एवं 6.67 लाख रुपये के पंजीयन शुल्क की कुल 8.40 करोड़ रुपये की अवसूली हुई।

[1] रा.आ.मं. सर्किल I एवं III जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर तथा न.सु.न्या. जोधपुर, उदयपुर तथा जिला कलक्टर, उदयपुर।

लेखापरीक्षा द्वारा अक्टूबर 2008 एवं मार्च 2009 के मध्य यह ध्यान में लाये जाने के पश्चात् विभाग ने जुलाई 2009 में बताया कि उप-पंजीयक कोटा-II के पट्टा विलेखों के आठ प्रकरणों में से तीन प्रकरणों में दस्तावेज उप-पंजीयक कोटा- II में पंजीकृत हो चुके हैं। कोटा से सम्बिन्धत शेष पांच प्रकरणों एवं जयपुर के चार प्रकरणों को अधिनिर्णय हेतु कलेक्टर (मुद्रांक) के यहां दर्ज कराया गया है। शेष प्रकरणों में उत्तर प्राप्त नहीं हुए (अक्टूबर 2009)।

सरकार ने, जिसे दिसम्बर 2008 एवं मार्च 2009 के मध्य मामले प्रतिवेदित किये गये थे, कोटा एवं जयपुर के सम्बन्ध में विभाग के उत्तर की पुष्टि (सितम्बर 2009) की। शेष प्रकरणों में उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्टूबर 2009)।

4.4 अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों की पालना नहीं करना

रा.मु.अ., 1998 एवं भारतीय पंजीयन अधिनियम, 1908 के प्रावधानों के अनुसारः

(i) 20 वर्ष से अधिक अवधि के पट्टा विलेखों के प्रकरणों में सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर हस्तान्तरण विलेख के समान;

(ii) सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर, तथा

(iii) डवलपर इकरारनामों पर सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर कर का आरोपण आवश्यक है।

पंजीयन प्राधिकारियों ने दस्तावेजों के पंजीयन के समय अनुच्छेद 4.4.1 से 4.4.3 में उल्लेखित प्रकरणों में उक्त प्रावधानों की पालना नहीं की। इसके परिणामस्वरूप 2.07 करोड़ रुपये के मुद्रांक कर का कम आरोपण/अपवंचना हुई।

4.4.1 पट्टा विलेखों के पंजीयन पर मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का कम आरोपण

4.4.1.1 राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 के अन्तर्गत, जहां पट्टा 20 वर्ष से अधिक अवधि का है वहां मुद्रांक कर, जैसा कि हस्तान्तरण विलेख पर लगता है, सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर आरोपणीय है। लीज की अवधि में केवल दस्तावेज में दी गई अवधि ही सम्मिलित नहीं होती बल्कि इस अवधि में पूर्व की समस्त अवधि जो उन्हीं पट्टादाता एवं पट्टागृहिता की हो और जिसमें कोई अन्तराल नहीं हो, भी सम्मिलित की जावेगी। साथ ही सरकार के परिपत्र संख्या 8/2004 में दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार 20 वर्ष से अधिक अवधि की गणना में नवीनीकरण की अवधि भी सम्मिलित की जावेगी। अधिसूचना दिनांक 21 मार्च 1998 के अनुसार मूल्य या प्रतिफल पर, अधिकतम 25,000 रुपये के अध्यधीन, एक प्रतिशत की दर से पंजीयन शुल्क भी प्रभारित होगा।

तीन उप पंजीयक कार्यालयों (उ.पं.का.) की अक्टूबर 2008 एवं दिसम्बर 2008 के मध्य की गई मापक जांच में पाया गया कि 20 वर्ष से अधिक की अवधि के लिये पट्टा विलेखों के छः मामले जून 2005 एवं दिसम्बर 2007 के मध्य पंजीकृत हुए, जिन पर मुद्रांक कर हस्तान्तरण विलेख के समान सम्पत्ति के बाजार मूल्य के स्थान पर औसत

किराये के आधार पर वसूल किया गया। इसके परिणामस्वरूप तालिका में दर्शाये विवरणानुसार कुल 56.61 लाख रुपये के मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का कम आरोपण हुआः

(लाख रुपयों में)

क्र.सं	उ.पं.का. के नाम / दस्तावेजों की संख्या	पट्टाधारक का नाम	बाजार मूल्य	आंकी गई कीमत	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क		मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का कम आरोपण
					आरोप्य	आरोपित	
1.	उदयपुर - I 2	(i) तक्षशिला विद्यापीठ संस्थान	155.80	3.00	10.38	0.09	10.29
		(ii) उदयपुर महिला समृद्धि अरबन कॉ-ऑपरेटिव बैंक लि.	156.78	2.65	10.44	0.08	10.36
टिप्पणीः- (i) 19 वर्ष के लिए पट्टा विलेख जिसमें 11 वर्ष की वृद्धि होनी थी। (ii) 31.3.07 को पट्टे की 13 वर्ष की अवधि समाप्त एवं 1.4.2007 से आगे के 12 वर्ष के लिये नवीन पट्टा प्रारम्भ।							
2.	कोटखावदा (जयपुर) 3	(1) आई.बी.पी. कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता	173.63	2.50	14.14	0.08	14.06
		(2) सुनील जैन पुत्र स्वर्गीय श्री फूल चन्द जैन	170.08	5.60	14.11	0.17	13.94
टिप्पणीः- (i) 19 वर्ष 11 माह का पट्टा विलेख जो स्वतः ही आगे की पांच वर्ष की अवधि के लिये नवीनीकृत हो जायेगा। (ii) 17.1.2024 से 10 वर्ष 11 माह का पट्टा विलेख परन्तु इसका कब्जा 15.6.2005 से दिया गया था। (iii) 19 वर्ष 11 माह का पट्टा विलेख तथा आगे उसी सम्पत्ति पर 10 वर्ष 11 माह के लिये एक अन्य लीज द्वारा नवीनीकरण किया गया।							
3.	जोधपुर- I 1	विजया बैंक, जोधपुर	120.79	4.72	8.10	0.14	7.96
टिप्पणीः- 1.11.06 से 30.10.2016 तक 10 वर्ष के लिये पट्टा विलेख, जिसमें आगे के 10 वर्ष के लिये निरन्तर रहने का विकल्प। साथ ही पट्टागृहिता उसी सम्पत्ति पर 22.11.1984 से किरायेदार था।							
योग			**777.08**	**18.47**	**57.17**	**0.56**	**56.61**

दिसम्बर 2008 एवं मार्च 2009 के मध्य यह ध्यान में लाये जाने के पश्चात् सरकार ने सितम्बर 2009 में बताया कि समस्त प्रकरणों को अधिनिर्णय हेतु कलेक्टर (मुद्रांक) के न्यायालय में दर्ज कराया गया है।

4.4.1.2 दो उप पंजीयक कार्यालयों[2] की मई तथा नवम्बर 2008 में की गई मापक जांच में यह ध्यान में आया कि 20 वर्ष से अधिक अवधि के दो प्रकरणों के पट्टा विलेखों के अप्रैल तथा दिसम्बर 2007 में पंजीयन पर मुद्रांक कर सम्पत्ति के बाजार

[2] पहाड़ी (भरतपुर), सांभर लेक (जयपुर)।

मूल्य पर हस्तान्तरण विलेख के समान वसूल नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क के कुल 25.12 लाख रुपये का कम आरोपण हुआ।

दिसम्बर 2008 एवं मार्च 2009 में ये अनियमितताएं ध्यान में लाये जाने के पश्चात् सरकार ने सितम्बर 2009 में बताया कि समस्त प्रकरणों को अधिनिर्णय हेतु कलेक्टर (मुद्रांक) के न्यायालय में दर्ज कराया गया है। उप पंजीयक पहाड़ी (भरतपुर) का 19.14 लाख रुपये का प्रकरण 6.1.2009 को विभाग के पक्ष में निर्णित हुआ जिसमें राशि वसूली के निर्देश दिये गये हैं।

4.4.1.3 राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 की अनुसूची के आर्टिकल 33 (सी)(i) के प्रावधानों के अधीन, जहां पट्टा 20 वर्ष से अधिक की अवधि का नहीं है तथा ऐसे पट्टे में जुर्माना या प्रीमियम या अग्रिम या विकास शुल्क अग्रिम या प्रतिभूति शुल्क अग्रिम के साथ किराये की व्यवस्था हो, तो हस्तान्तरण विलेख के समान ऐसे जुर्माने, प्रीमियम या अग्रिम तथा दो वर्ष के औसत किराये की राशि, जैसा कि पट्टे में बतलाया गया हो, के मूल्य या राशि के समान प्रतिफल पर मुद्रांक कर प्रभार्य है।

उप पंजीयक, नीमराना (जिला अलवर) के अभिलेखों की संवीक्षा में यह पाया गया (फरवरी 2009) कि एक पट्टा विलेख 5.50 लाख रुपये प्रति माह के प्रारंभिक किराये तथा 66 लाख रुपये की प्रतिभूति जमा पर प्रारम्भ में तीन वर्ष की अवधि के लिये पंजीकृत हुआ। प्रतिफल राशि 1.98 करोड़ रुपये पर 12.87 लाख रुपये का मुद्रांक कर प्रभार्य था जबकि उप पंजीयक, नीमराना ने दस्तावेज को राजस्थान मुद्रांक विधि (अनुकूलन) अधिनियम 1952 की अनुसूची के आर्टिकल 35(अ) (ii) के अधीन आरोपणीय मुद्रांक कर मानकर मात्र 1.46 लाख रुपये वसूल किये। इसके परिणामस्वरूप 11.41 लाख रुपये के मुद्रांक कर का कम आरोपण हुआ।

अप्रैल 2009 में यह ध्यान में लाये जाने के पश्चात् सरकार ने सितम्बर 2009 में बताया कि प्रकरण को अधिनिर्णय हेतु कलेक्टर (मुद्रांक) के न्यायालय में दर्ज कराया गया है।

4.4.2 सम्पत्ति के अवमूल्यांकन के कारण मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का कम आरोपण

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 के प्रावधानों के अधीन अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण विलेख पर मुद्रांक कर सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर प्रभार्य होगा। साथ ही राजस्थान मुद्रांक नियम, 2004 के नियम 58 के अनुसार सम्पत्ति के बाजार मूल्य का निर्धारण जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुशंषित दरों या महानिरीक्षक, मुद्रांक द्वारा अनुमोदित दरों में, जो भी अधिक हो, के आधार पर किया जावेगा। अधिसूचना दिनांक 21 मार्च 1998 में किये गये संशोधन के अनुसार मूल्य या प्रतिफल पर, अधिकतम 25,000 रुपये के अध्यधीन एक प्रतिशत की दर से पंजीयन शुल्क भी प्रभारित होगा।

चार उप पंजीयक कार्यालयों[3] के अभिलेखों की जून 2008 एवं नवम्बर 2008 के मध्य की गई संवीक्षा में ज्ञात हुआ कि 12 मामलों में 5.27 करोड़ रुपये की सम्पत्ति का अवमूल्यांकन हुआ। सम्पत्तियों की कीमत का निर्धारण जिला स्तरीय समिति द्वारा

[3] देवली (टोंक), कोटा-II, रामगढ़ (अलवर) एवं सोजत सिटी (पाली)।

अनुमोदित दरों से कम दरों पर किया गया। इसके परिणामस्वरूप कुल 36.26 लाख रुपये के मुद्रांक कर और पंजीयन शुल्क का कम आरोपण हुआ।

दिसम्बर 2008 एवं मार्च 2009 के मध्य यह अनियमितताएं ध्यान में लाये जाने के पश्चात् सरकार ने सितम्बर 2009 में बताया कि समस्त प्रकरणों को अधिनिर्णय हेतु कलेक्टर (मुद्रांक) के न्यायालय में दर्ज कराया गया है।

4.4.3 डवलपर इकरारनामों का अपंजीयन

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की अनुसूची के आर्टिकल 5 (बबबब) के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी प्रमोटर या किसी डवलपर, जिसे किसी भी नाम से जाना जावे, को किसी अचल सम्पत्ति के निर्माण या विकास के लिए अधिकार या शक्ति देने से सम्बन्धित इकरारनामों या इकरारनामों के ज्ञापन पर मुद्रांक कर सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर एक प्रतिशत की दर से एवं पंजीयन शुल्क निर्धारित दर से प्रभार्य है।

उप पंजीयक (जयपुर-I तथा जयपुर-V) के अभिलेखों की सितम्बर एवं अक्टूबर 2008 में की गई संवीक्षा से प्रकट हुआ कि विक्रेताओं और क्रेताओं के बीच निर्मित फ्लैटों को खरीदने हेतु जनवरी 2007 एवं दिसम्बर 2007 के मध्य 12 लेख्य पत्रों का निष्पादन हुआ। विलेखों के विवरणों से प्रकट हुआ कि बहुमंजिला फ्लैटों का निर्माण डवलपरों द्वारा कराया गया एवं भूमि के मालिकों एवं डवलपरों के मध्य बिक्री में हिस्सेदारी होनी थी। तथापि, इस बारे में न तो कोई पृथक इकरारनामा पंजीकृत हुआ न ही उप पंजीयकों द्वारा इस भिन्न मद पर कर आरोपित किया। इसके परिणामस्वरूप 77.62 लाख रुपये के राजस्व की अवसूली रही।

दिसम्बर 2008 में यह ध्यान में लाये जाने के पश्चात् सरकार ने सितम्बर 2009 में बताया कि प्रकरणों को अधिनिर्णय हेतु कलेक्टर (मुद्रांक) के न्यायालय में दर्ज कराया गया है।

अध्याय-V: राज्य आबकारी शुल्क

5.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

राज्य आबकारी कार्यालयों के अभिलेखों की वर्ष 2008-09 के दौरान की गई मापक जांच में 172 प्रकरणों में 60.28 करोड़ रुपये के आबकारी राजस्व की अवसूली/कम वसूली प्रकट हुई, जो निम्नलिखित श्रेणियों में आती हैः

क्र. सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि (करोड़ रुपयों में)
1.	आबकारी शुल्क एवं अनुज्ञा फीस की अवसूली/कम वसूली	68	55.70
2.	मदिरा की अधिक छीजत से आबकारी शुल्क की हानि	44	0.48
3.	अन्य अनियमिततायें	60	4.10
योग		**172**	**60.28**

वर्ष 2008-09 के दौरान विभाग ने 96 प्रकरणों में 3.58 करोड़ रुपये की कम वसूली तथा अन्य कमियां स्वीकार की, जिसमें से 1.91 करोड़ रुपये के 40 प्रकरण लेखापरीक्षा में वर्ष 2008-09 के दौरान तथा शेष पूर्व के वर्षों में ध्यान में लाये गये थे। विभाग ने 50 प्रकरणों में 1.36 करोड़ रुपये की वसूली की, जिसमें से 34.43 लाख रुपये के 10 प्रकरण लेखापरीक्षा में वर्ष 2008-09 के दौरान तथा शेष पूर्व के वर्षों में ध्यान में लाये गये थे।

प्रारूप पैरा जारी करने के पश्चात् वर्ष 2008-09 में ध्यान में लाये गये एक आक्षेप के सम्बन्ध में विभाग ने 8 लाख रुपये की वसूली सूचित की (जुलाई 2009)।

लेखापरीक्षा में ध्यान में आये 45.36 करोड़ रुपये के कुछ निदर्शी प्रकरणों की चर्चा अनुवर्ती अनुच्छेदों में की गई है।

5.2 लेखापरीक्षा टिप्पणियां

राज्य आबकारी विभाग में अभिलेखों की नमूना जाँच में आबकारी राजस्व की अवसूली/कम वसूली पायी गयी, जैसा कि इस अध्याय के आगामी अनुच्छेदों में दर्शाया गया है। इन त्रुटियों को पूर्व के वर्षों में सूचित किया गया था लेकिन ये अनियमितताएं न केवल विद्यमान थी, अपितु लेखापरीक्षा होने तक पहचानी भी नहीं गयी थी। ये प्रकरण उदाहरणस्वरूप हैं तथा लेखापरीक्षा में नमूना जाँच के आधार पर हैं। सरकार को ऐसे प्रकरणों को पुनः होने से रोकने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा को सशक्त बनाने सहित आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को सुधारने की आवश्यकता है।

5.3 आबकारी नीति के प्रावधानों की पालना नहीं करना

राजस्थान आबकारी अधिनियम तथा नियमों में निम्नानुसार प्रावधान हैः

(अ) निर्धारित दरों से आबकारी शुल्क लागू करना;

(ब) निर्धारित दरों से लाइसेन्स शुल्क लागू करना; तथा

(स) प्रासव की अधिक छीजत/अपेय बीयर पर आबकारी शुल्क लागू करना।

अनुच्छेद 5.3.1 से 5.3.4 में दर्शाये गये प्रकरणों में जिला आबकारी अधिकारियों ने कुछ नियमों की पालना नहीं की। इसके परिणामस्वरूप आबकारी शुल्क/लाइसेन्स शुल्क की राशि 45.36 करोड़ रुपये की अवसूली/कम वसूली हुई।

5.3.1 आबकारी शुल्क का कम आरोपण

भारत निर्मित विदेशी मदिरा के अद्धों एवं पव्वों के निर्माताओं द्वारा घोषित विक्रय मूल्य पर आरोपणीय आबकारी शुल्क का निर्धारण नहीं करने के परिणामस्वरूप 43.34 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।

वर्ष 2005-06 की आबकारी नीति के अनुसार भारत निर्मित विदेशी मदिरा (भा.नि.वि.म.) पर आबकारी शुल्क, निर्माताओं द्वारा घोषित प्रति कार्टून विक्रय मूल्य पर प्रभारित किया जाना था। राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2005 से प्रभावी आबकारी शुल्क की दरें, निर्माताओं द्वारा घोषित क्वार्ट बोतल[1] के विक्रय मूल्य पर अधिसूचित की। सरकार द्वारा उन दरों को वर्ष 2007-08 के लिए भी लागू रखा गया। सरकार ने अद्धों एवं पव्वों[2] के विक्रय मूल्य पर आरोपित किए जाने वाले आबकारी शुल्क को अधिसूचित नहीं किया।

बत्तीस जिला आबकारी कार्यालयों[3] के अभिलेखों की संवीक्षा, यथा - मदिरा पर चुकाए गए आबकारी शुल्क के विवरण के साथ निर्माताओं द्वारा मई 2008 एवं फरवरी 2009

[1] मदिरा की इकाई जो गैलन के चौथाई या दो अद्धों के बराबर है।

[2] पाउच/बोतल जिसमें मदिरा विक्रय होती है, अद्धाः 375 मिली लीटर, पव्वाः 180 मिली लीटर।

[3] जिला आबकारी कार्यालय, अजमेर, अलवर, बारां, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बून्दी, चित्तोडगढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, हुनमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुन्झूनू, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर, पाली, राजसमन्द, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही, श्रीगंगानगर, टौंक तथा उदयपुर।

के मध्य जारी किए गए विक्रय बिलों के सत्यापन में प्रकट हुआ कि अद्धों एवं पव्वों के 16,47,832 कार्टून, क्वार्ट बोतलों के घोषित मूल्य से उच्चतर मूल्य पर विक्रय किए गए। अद्धों एवं पव्वों पर देय आबकारी शुल्क की दरों को अधिसूचना में घोषित करने में सरकार की विफलता के कारण विभाग ने क्वार्ट बोतलों के घोषित मूल्य के आधार पर अद्धों एवं पव्वों पर आबकारी शुल्क प्रभारित किया, जिसके परिणामस्वरूप 43.34 करोड़ रुपये के आबकारी शुल्क का कम आरोपण हुआ। जिसकी संक्षिप्त स्थिति निम्नानुसार है:

भा.नि.वि.म. के अद्धों एवं पव्वों के कार्टूनों के घोषित मूल्य का वर्ग	अद्धों एवं पव्वों के कार्टूनों की संख्या	अन्तर्निहित कुर एल.पी.एल[4].	प्रति एल.पी.एल. आरोपणीय आबकारी शुल्क (रुपये)	प्रति एल.पी.एल प्रभारित आबकारी शुल्क (रुपये)	प्रति एल. पी. एल. आबकारी शुल्क का अन्तर (रुपये)	आबकारी शुल्क का कम आरोपण (करोड़ रुपयों में)
400 रुपये से अधिक लेकिन 600 रुपये तक	अद्धे- 4,08,205 पव्वे- 11,34,414	1,01,06,386.47	210	170	40	40.42
600 रुपये से अधिक लेकिन 900 रुपये तक	अद्धे - 22,482 पव्वे -70,615	6,09,338.70	250	210	40	2.44
900 रुपये से अधिक लेकिन 1500 रुपये तक	अद्धे - शून्य पव्वे - 4,880	31,622.40	280	250	30	0.09
1500 रुपये से अधिक लेकिन 3000 रुपये तक	अद्धे - 534 पव्वे - 5,625	40,054.50	350	280	70	0.28
3000 रुपये से अधिक	अद्धे - 454 पव्वे -623	7,101.54	500	350	150	0.11
योग	**16, 47,832** **(अद्धे - 4,31,675** **पव्वे - 12,16,157)**	**1,07,94,503.61**	-	-	-	**43.34**

इस प्रकरण को ध्यान में लाये जाने के पश्चात् विभाग ने जुलाई 2009 में बताया कि आबकारी शुल्क का आरोपण सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुरूप किया गया था। तथापि, तथ्य यह है कि आबकारी नीति में मदिरा के प्रति कार्टून घोषित विक्रय मूल्य पर आबकारी शुल्क वसूल किये जाने का प्रावधान था।

समान प्रकार की टिप्पणियां भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां), राजस्थान सरकार, वर्ष 2005-06, 2006-07 एवं 2007-08 के क्रमशः अनुच्छेद संख्या 6.2.16, 5.3 एवं 6.2 में भी सम्मिलित की गई थी।

प्रकरण जनवरी 2009 एवं मार्च 2009 के मध्य सरकार को सूचित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्टूबर 2009)।

[4] लन्दन प्रुफ लीटर

5.3.2 अनुज्ञा शुल्क का कम आरोपण

निर्धारित दर से अनुज्ञाशुल्क आरोपित नहीं करने के परिणामस्वरूप 1.65 करोड़ रुपये की कम वसूली हुई।

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत जारी देशी मदिरा की खुदरा बिक्री के अनुज्ञापत्र की निबन्धन एवं शर्तो के अनुसार नगरपालिका सीमा या उससे लगती हुई सीमा के पांच किलोमीटर के अन्दर अवस्थित कम्पोजिट दूकानों[5] के लिए देय वार्षिक अनुज्ञा शुल्क उन कम्पोजिट दूकानों के लिए देय अनुज्ञा शुल्क से अधिक था, जो ऐसी सीमा से दूर अवस्थित थी।

सात जिला आबकारी कार्यालयों[6] के अभिलेखों की जून 2008 एवं जनवरी 2009 के मध्य की गई संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 62 कम्पोजिट दूकानें या तो नगरीय क्षेत्र में या नगरपालिका सीमा के पांच किलोमीटर के अन्दर अवस्थित थी, जैसा कि शहरी विकास विभाग तथा भू-राजस्व विभाग से प्रमाणित किया गया। इन दूकानों के अनुज्ञाधारी अनुज्ञाशुल्क के 1.82 करोड़ रुपये भुगतान के लिए दायी थे लेकिन विभाग ने नगरपालिका सीमा के पांच किलोमीटर से दूर अवस्थित दूकानों के लिए लागू दर से अनुज्ञा शुल्क के 17.05 लाख रुपये आरोपित किये। इसके परिणामस्वरूप 1.65 करोड़ रुपये का कम आरोपण हुआ।

प्रकरणों को ध्यान में लाये जाने के पश्चात् विभाग ने बताया (जुलाई 2009) कि नगर से लगती सीमा का निर्धारण नगरीय भूमि (सीलिंग एवं रेगूलेशन) अधिनियम, 1976 के अधीन किया गया था, जिसे 11 जनवरी 1999 से विलोपित कर दिया गया था। तथ्य यह है कि लेखापरीक्षा द्वारा बताये गये प्रकरण शहरी क्षेत्र में तथा नगरपालिका सीमा के पांच किलोमीटर के अन्दर अवस्थित थे जो " नगर से लगती सीमा " से कोई सम्बद्धता नहीं रखता।

प्रकरण मार्च 2009 में सरकार को सूचित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्टूबर 2009)।

5.3.3 अपेय बीयर पर आबकारी शुल्क का अनारोपण

बंधाधीन गोदाम की स्थापना की शर्तों एवं निबन्धनों में उपबन्धित है कि अनुज्ञा अवधि के दौरान बंधाधीन गोदाम में मदिरा की हानि के लिए सरकार उत्तरदायी नहीं होगी। हानि के मामले में आबकारी आयुक्त द्वारा जांच की जायेगी। यदि यह पाया जाता है कि अनुज्ञाधारी द्वारा उचित सावधानी रखने से हानि को रोका जा सकता था तो उसे शुल्क चुकाना आवश्यक होगा एवं आयुक्त का निर्णय अन्तिम होगा तथा अनुज्ञाधारी पर बाध्यकारी होगा।

[5] देसी मदिरा की दुकानें जो भा.नि.वि.म. एवं बीयर के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञापत्र रखते हों।

[6] जिला आबकारी कार्यालय, अजमेर, जयपुर (शहर), जयपुर (ग्रामीण), झुन्झूनू, कोटा, सिरोही तथा उदयपुर।

जिला आबकारी अधिकारी, अलवर के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ (नवम्बर 2008) कि माउन्ट शिवालिक इन्डस्ट्रीज लिमिटेड के बंधाधीन गोदाम में अप्रैल 2005 तथा मार्च 2007 के मध्य भण्डार में रखे गये बीयर के 8,577 केस अपेय हो गये थे, जैसा कि रसायन परीक्षक तथा मुख्य लोक विश्लेषक, राजस्थान जयपुर द्वारा जनवरी 2006 तथा दिसम्बर 2007 के मध्य प्रमाणित किया गया था। तथापि न तो मद्यनिर्माणशाला द्वारा शुल्क का भुगतान किया गया और न ही विभाग द्वारा इसकी मांग की गई। इसके परिणामस्वरूप आबकारी शुल्क के 23.98 लाख रुपये का आरोपण नहीं हुआ।

इसे ध्यान में लाने के बाद विभाग ने बताया (अगस्त 2009) कि 22.48 लाख रुपये की राशि की वसूली की जा चुकी है तथा शेष राशि की वसूली के प्रयास किये जा रहे थे।

मामला सरकार को सूचित किया गया (जनवरी 2009); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्टूबर 2009)।

5.3.4 अधिक क्षति पर आबकारी शुल्क की अवसूली

मदिरा भण्डारण एवं क्षय नियम, 1959 के नियम 5अ के प्रावधानों के अनुसार भारत निर्मित विदेशी मदिरा के विनिर्माण के उद्देश्य से पुनः आसवन प्रक्रिया में अधिकतम 2.5 प्रतिशत प्रासव की क्षति निःशुल्क स्वीकार्य थी। केसर कस्तूरी ब्राँड के विनिर्माण के प्रकरण में पुनः आसवन प्रक्रिया में अतिरिक्त 2 प्रतिशत निःशुल्क स्वीकार्य क्षति अनुमत्य थी। जब क्षति अनुमत्य सीमा से अधिक हो, जिला आबकारी अधिकारी मदिरा निर्माता से एक लिखित स्पष्टीकरण प्राप्त करके इसे अपनी सिफारिशों के साथ आबकारी आयुक्त को आदेश हेतु अग्रेषित करेगा। ऐसी अधिक क्षति पर शुल्क की वसूली प्रासव पर आरोपणीय अधिकतम दर से किया जाना था।

जिला आबकारी कार्यालय (अभियोजन), जयपुर के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड ने भारत निर्मित विदेशी मदिरा तथा केसर कस्तूरी ब्राँड के विनिर्माण हेतु 72,996.837 लन्दन प्रुफ लीटर(एल.पी.एल.) प्रासव को पुनः आसवित किया तथा 4,735.256 एल.पी.एल. प्रासव की क्षति को स्वीकार किया जो कि अनुमत्य सीमा 2,176.108 एल.पी.एल. से 2,559.148 एल.पी.एल. अधिक थी। तथापि, जिला आबकारी अधिकारी ने अधिक क्षति के लिए न तो लिखित स्पष्टीकरण प्राप्त किया, न ही अधिक क्षति पर आबकारी शुल्क की मांग की, जिसके परिणामस्वरूप अधिक स्वीकार की गयी क्षति पर 500 रुपये प्रति एल.पी.एल. की दर से आबकारी शुल्क के 12.80 लाख रुपये की राशि की अवसूली रही।

इसे ध्यान में लाये जाने (मार्च 2009) के पश्चात् विभाग ने बताया (मई 2009) कि नियमों को संशोधित करने के लिए प्रकरण सरकार को भेजा गया है।

प्रकरण सरकार को सूचित किया गया (मार्च 2009); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्टूबर 2009)।

अध्याय-VI: कर-इतर प्राप्तियाँ

6.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

खान, भू-विज्ञान व पेट्रोलियम, नगरीय विकास, गृह (पुलिस) और जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभागों की वर्ष 2008-09 के दौरान की गई मापक जांच में 2607 प्रकरणों में 537.74 करोड़ रुपये की राशि के राजस्व की अवसूली/कम वसूली प्रकट हुई जो मुख्यतः निम्न श्रेणियों में आती है:

क्र. सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि (करोड़ रुपयों में)
अ.	**जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग**		
1.	"जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग की प्राप्तियां " (एक समीक्षा)	1	144.91
ब.	**खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभाग**		
1.	स्थिर भाटक एवं अधिशुल्क की अवसूली/कम वसूली	293	43.78
2.	अनधिकृत उत्खनन	859	266.33
3.	शास्ति/ब्याज का अनारोपण	631	6.62
4.	धरोहर राशि का जब्त न करना	108	0.66
5.	अन्य अनियमिततायें	713	12.85
स.	**नगरीय विकास विभाग**		
7.	लीज राशि का निर्धारण एवं संग्रहण	1	61.74
द.	**गृह (पुलिस) विभाग**		
8.	मांग कायम न करना	1	0.85
	योग	**2607**	**537.74**

वर्ष 2008-09 के दौरान, विभागों ने 709 प्रकरणों में 17.46 करोड़ रुपये की कम वसूली एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिसमें से 13.82 करोड़ रुपये के 528 प्रकरण वर्ष 2008-09 की लेखापरीक्षा के दौरान तथा शेष पूर्व के वर्षों में ध्यान में लाये गये। विभागों ने 897 प्रकरणों में 3.16 करोड़ रुपये की वसूली की, जिसमें से 21.47 लाख रुपये के 68 प्रकरण वर्ष 2008-09 के दौरान तथा शेष पूर्व के वर्षों में ध्यान में लाये गये थे।

"जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग की प्राप्तियां " पर एक समीक्षा, जिसमें 259.67 करोड़ रुपये सन्निहित हैं, अनुवर्ती अनुच्छेदों में दर्शाई गई है।

अ. जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग

6.2 समीक्षाः जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग की प्राप्तियां

मुख्य बिन्दु

विभाग द्वारा संधारित बकाया के विवरण में नगर निगमों/नगर पालिकाओं पर 85.76 करोड़ रुपये की बकाया मांग को सम्मिलित नहीं किया गया।

(अनुच्छेद 6.2.7.2)

जल मीटरों के कार्य न करने के परिणामस्वरूप जल प्रभारों का गलत निर्धारण हुआ ।

(अनुच्छेद 6.2.7.4)

बकाया मांग पर 55.15 करोड़ रुपये ब्याज के आरोपित नहीं किये गये।

(अनुच्छेद 6.2.9.1)

नगर निगम जोधपुर पर जल प्रभारों को आरोपित नहीं करने के परिणामस्वरूप 2.35 करोड़ रुपये की वसूली नहीं हुई।

(अनुच्छेद 6.2.9.2)

जल के असामान्य रिसाव के कारण 234.43 करोड़ रुपये की राजस्व हानि हुई।

(अनुच्छेद 6.2.9.3)

मुद्रांक कर के 87.58 लाख रुपये की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 6.2.9.5)

6.2.1 प्रस्तावना

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग (ज.स्वा.अ.वि.)की प्राप्तियों में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर उपभोक्ताओं द्वारा घरेलू, अघरेलू एवंऔद्योगिक उद्देश्य के लिये उपयोग किये गये जल के प्रभार मुख्य रूप से सम्मिलित हैं। इसके अलावा, विभाग द्वारा जल प्रदाय संयोजन प्रभार एवं शास्तियां आदि भी वसूली जाती है।

लेखापरीक्षा द्वारा जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग की प्राप्तियों की प्रणाली पर समीक्षा की गई। इसमें प्रणाली एवं अनुपालना से सम्बन्धित कई प्रकार की कमियां पाई गईं, जिनका विवरण अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिया गया है।

6.2.2 संगठनात्मक ढांचा

सरकार के स्तर पर नीति निर्धारण, निगरानी तथा ज.स्वा.अ.वि. की प्राप्तियों पर नियन्त्रण का कार्य राजस्थान सरकार के प्रमुख शासन सचिव द्वारा किया जाता है। विभाग का कार्य चार मुख्य अभियन्ताओं में विभाजित किया हुआ है। जल प्रभारों के

वसूली तथा संग्रहण से सम्बन्धित सभी मामलों में विभाग प्रमुख की शक्तियां मुख्य अभियन्ता (मु.अ.) मुख्यालय में निहित है, जिसे मण्डल स्तर पर 11 अतिरिक्त मुख्य अभियन्ताओं, वृत स्तर पर 38 अधीक्षण अभियन्ताओं, खण्ड स्तर पर 136 अधिशाषी अभियन्ताओं और उपखण्ड स्तर पर 400 सहायक अभियन्ताओं द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

6.2.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

समीक्षा निम्नलिखित पता लगाने के लिये की गई कि:

- सरकारी विज्ञप्तियों तथा निर्देशों के प्रावधानों की किस सीमा तक पालना की गई थी;
- राजस्व के बकाया रहने के कारण;
- आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली की प्रभावकारिता; एवम्
- सरकार को देय राशि क्या शीघ्रता से वसूल कर राजकीय लेखों में जमा की गई, विशेषकर जहां यह कार्य ठेकेदारी पद्धति पर आवंटित था।

6.2.4 आभार

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग लेखापरीक्षा के लिये आवश्यक सूचना एवं अभिलेखों के उपलब्ध कराने के लिये जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा दिये गये सहयोग के प्रति आभार प्रकट करता है। मुख्य अभियन्ता, मुख्यालय जयपुर के कार्यालय में दिनांक 6 नवम्बर 2008 को प्रारम्भिक सम्मेलन किया गया जिसमे समीक्षा के उद्देश्य एवं मानदण्ड से अवगत कराया गया। मई 2009 में सरकार को लेखापरीक्षा के निष्कर्षो से अवगत कराया गया, परन्तु उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्टूबर 2009)। मुख्य लेखा परीक्षा निष्कर्षो तथा सिफारिशों पर चर्चा हेतु दिनांक 14 सितम्बर 2009 को सचिव, ज.स्वा.अ.वि. के साथ समापन सम्मेलन हुआ। सरकार/विभाग के विचारों को सम्बन्धित अनुच्छेदों में सम्मिलित कर लिया गया है।

6.2.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

मु.अ. (मुख्यालय) के साथ-साथ 129 खण्डों में से 26 खण्डों[1] को जांच के लिये चयन किया गया तथा इन इकाईयों के वर्ष 2003-04 से 2007-08 तक के लेखों की नमूना जांच की गई। इकाईयों का चयन पी.पी.एस.डब्ल्यू. आर. (पुनः स्थापना सहित आकार के अनुरूप संभावना) प्रतिचयन विधि से किया गया।

6.2.6 राजस्व की प्रवृति

वर्ष 2007-08 को समाप्त पिछले पांच वर्षों में "लेखाशीर्ष-0215 जलापूर्ति एवं सफाई"

[1] पी.एण्ड डी. (दक्षिण) जयपुर, राजस्व (दक्षिण) जयपुर, राजस्व(उत्तर) जयपुर, राजस्व अजमेर, जिला अजमेर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, सलुम्बर, राजसमन्द, टोंक, बून्दी, राजस्व कोटा, झालावाड़, ब्यावर, बालोतरा, जिला (उत्तर) बाड़मेर, राजस्व बीकानेर, चूरू सिटी गंगानगर, सूरतगढ़, सिटी झुन्झुनु, जिला-III जोधपुर, राजस्व जोधपुर, नागौर, आर.आई.जी.ई.पी., नागौर तथा सोजत सिटी।

के अन्तर्गत राज्य की अनुमानित प्राप्तियां, राजस्व वसूली एवं राजस्व में कमी निम्नानुसार थीः

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	बजट अनुमान (ब.अ.)	संशोधित अनुमान	वास्तविक	ब.अ.से कमी	ब.अ. पर प्रतिशत कमी
2003-04	170.00	170.00	146.29	23.71	13.95
2004-05	180.00	180.00	164.13	15.87	8.82
2005-06	200.00	200.00	180.38	19.62	9.81
2006-07	220.00	200.35	182.49	37.51	17.05
2007-08	224.54	201.45	204.16	20.38	9.08

उपरोक्त सारणी दर्शाती है कि वर्ष 2003-04 से 2007-08 तक कमी 8.82 और 17.05 प्रतिशत के मध्य रही। विभाग ने राजस्व में कमी का कारण कम बरसात की वजह से जल स्तर का बहुत गहरे चले जाने से उपभोक्ताओं को पानी की कम आपूर्ति एवं अन्य विभागों और लोक उपभोक्ताओं से वसूली हेतु श्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद भी बकाया वसूली न होना बताया। वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में संशोधित अनुमानों में मूल अनुमानों को क्रमशः 19.65 करोड़ रुपये (220 करोड़ रुपये से 200.35 करोड़ रुपये) और 23.09 करोड़ रुपये (224.54 करोड़ रुपये से 201.45 करोड़ रुपये) से कम कर दिया गया। विभाग ने बताया कि राजस्व की कम वसूली की सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अनुमानों में कमी की गई और संशोधित अनुमान बजट अनुमान निर्णायक समिति द्वारा अनुमोदित किये गये थे।

लेखापरीक्षा के निष्कर्ष

6.2.7 प्रणाली की कमियां

6.2.7.1 बकाया की स्थिति

अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि 31 मार्च 2008 को नीचे दर्शाये अनुसार 77.16 करोड़ रुपये की राशि के जल प्रभार बकाया थेः

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	बकाया की राशि
2003-04 से पूर्व	29.15
2003-04	5.68
2004-05	6.77
2005-06	7.07
2006-07	10.82
2007-08	17.67
योग	**77.16**

उपरोक्त सारणी दर्शाती है कि 29.15 करोड़ रुपये पांच वर्षों से अधिक से बकाया थे। बकाया का संचय, वर्ष 2007-08 में 17.67 करोड़ रुपये और जुड़ते हुए, लगातार बढ़ोतरी को दर्शाता है। सरकार ने इन तथ्यों को स्वीकार किया (सितम्बर 2009)। सचिव, ज.स्वा.अ.वि. ने समापन सम्मेलन (14 सितम्बर 2009) में अवगत कराया कि

राजस्व वसूली विभाग का मुख्य कार्य नहीं है और आश्वस्त किया कि बकाया की वसूली हेतु प्रभावी निगरानी की जायेगी।

6.2.7.2 बकाया राजस्व की स्थिति में नगर निगमों/नगर पालिकाओं पर बकाया मांगों को सम्मिलित नहीं करना

दस खण्डों[2] में पाया गया कि सार्वजनिक नलों के द्वारा आपूर्ति किये गये जल के 85.76 करोड़ रुपये नगर पालिकाओं/नगर निगमों से बकाया थे परन्तु यह राशि बकाया राजस्व की स्थिति में सम्मिलित नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बकाया की सही स्थिति के निर्धारण के लिये विभाग में सामयिक निगरानी के लिये कोई प्रक्रिया नहीं थी।

बकाया राजस्व का वर्षवार एवं राशिवार विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	बकाया राशि
2003-04 से पूर्व	57.27
2003-04	6.60
2004-05	5.54
2005-06	4.98
2006-07	5.81
2007-08	5.56
योग	**85.76**

उपरोक्त राशि को सम्मिलित नहीं करने से विभाग द्वारा संधारित राजस्व के बकाया की स्थिति गलत स्थिति को दर्शाती है। सामयिक निगरानी प्रक्रिया के अभाव में वास्तविक बकाया राशि निर्धारित करने में विभाग असफल रहा, अतः इसकी वसूली का प्रश्न अनिश्चित रहता है।

सचिव, ज.स्वा.अ.वि. ने समापन सम्मेलन के दौरान बताया कि बकाया की सही स्थिति के निर्धारण के लिये प्रयास किये जायेगें।

विभाग में बकाया की सही स्थिति के निर्धारण हेतु सरकार सामयिक निगरानी प्रक्रिया लागू करने के लिये विचार करे।

6.2.7.3 संग्रहकर्ता एजेन्सी द्वारा देरी से जमा करवाने पर ब्याज का प्रावधान न होना

इन्टीग्रेटेड सिटीजन सर्विस सेन्टर (आई.सी.एस.सी./अब ई-मित्र) एवं ज.स्वा.अ.वि. के मध्य हुए समझौता ज्ञापन (एम. ओ. यू.) के अनुसार ई-मित्र, ज.स्वा.अ.वि. द्वारा जारी डिमान्ड नोट और बिलों के भुगतान प्राप्त करेगा तथा ज.स्वा.अ.वि. को देय राशि ई-मित्र के लेखों में दर्ज होने के एक दिन बाद हस्तान्तरित की जायेगी। अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस को राशि हस्तान्तरित की जायेगी। **एम.ओ.यू. में देरी से जमा पर ब्याज वसूली का कोई प्रावधान नहीं किया गया था।**

---

[2] राजस्व (उत्तर) जयपुर, राजस्व अजमेर, राजस्व जोधपुर, बालोतरा, ब्यावर, नागौर (आर.आई.जी.ई.पी.), नागौर, चूरू, राजस्व बीकानेर तथा श्रीगंगानगर।

जमा चालानों की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि चार खण्डों[3] में अप्रैल 2003 से मार्च 2008 तक ई-मित्र द्वारा उपभोक्ताओं से संग्रहित कुल राजस्व में से 243 प्रकरणों में 3.15 करोड़ रुपये भिन्न-भिन्न अवधियों में 55 दिन तक की देरी से जमा करवाये। प्रावधानों के अभाव में देरी से जमा पर ब्याज की वसूल नहीं हो सकी।

यद्यपि राजस्व को देरी से जमा कराना विभाग की जानकारी में था, किन्तु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके अतिरिक्त राजस्व खण्ड कोटा में ई-मित्र के अभिलेखों में पाया गया कि ई-मित्र द्वारा फरवरी 2008 और मार्च 2008 के दौरान उपभोक्ताओं से संग्रहित 17.17 लाख रुपये की राशि सरकारी खाते में (जनवरी 2009) जमा नहीं करवायी गई थी।

इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा आश्वस्त किया कि एम.ओ.यू. में आवश्यक संशोधन किया जायेगा।

संग्रहकर्ता एजेन्सी द्वारा राजस्व को देरी से जमा कराने पर ब्याज का प्रावधान करने के लिये सरकार विचार करे।

6.2.7.4 मीटर प्रबन्धन

लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम (लो.नि.वि.एवं ले.नि.) के नियम 269 के अनुसार विभागीय अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिये कि राजस्व में रिसाव या हानि न हो जल की आपूर्ति के लिये जल पठन के माप की जांच करेंगे। आगे, जल आपूर्ति नियम 1967 के परिशिष्ठ-II के अनुसार सहायक अभियन्ता वर्ष में कम से कम एक बार मीटरों की जांच करेंगे। **लेखापरीक्षा में पाया गया कि मीटर प्रबन्धन पर्याप्त नहीं था तथा वास्तविक उपभोग के आधार पर निर्धारण नहीं हो रहा था।**

विभागीय अभिलेखों एवं विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई सूचना में पाया गया कि 22 खण्डों[4] में 2003-04 से 2007-08 के दौरान कुल स्थापित मीटरों में से औसतन 57 प्रतिशत मीटर खराब थे। आगे यह पाया गया कि खराब मीटरों को बदला नहीं गया तथा उपभोक्ताओं को औसत आधार पर बिल जारी किये गये। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि विभाग द्वारा मीटर की जांच के लिये कोई अभिलेख संधारित नहीं किया जा रहा है।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा आश्वस्त किया कि खराब मीटरों को बदलने की कार्यवाही की जायेगी।

खराब मीटरों को बदलने के लिये सरकार प्रभावी कार्यवाही करने का विचार करे ।

6.2.7.5 उपभोक्ता प्रभारों का निर्धारण न होना

ग्यारहवें वित्त आयोग (ई.एफ.सी.) ने उपभोक्ता प्रभारों के सभी मामलों में आधार वर्ष (1999-2000) पर प्रतिवर्ष 25 प्रतिशत बढ़ोतरी की सिफारिश की। तथापि सरकार ने मई 1998 से जल प्रभारों में संशोधन नहीं किया।

---

[3] राजस्व (दक्षिण) जयपुर, राजस्व (उत्तर) जयपुर, श्रीगंगानगर तथा झालावाड़

[4] राजस्व (दक्षिण) जयपुर, राजस्व(उत्तर) जयपुर, राजस्व अजमेर, जिला अजमेर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, सलुम्बर, राजसमन्द, टोंक, बून्दी, राजस्व कोटा, झालावाड़, राजस्व जोधपुर, बालोतरा, ब्यावर, नागौर, चूरू, श्रीगंगानगर, सूरतगढ़, राजस्व बीकानेर, सोजत सिटी तथा झुन्झुनु।

उक्त टिप्पणी से सहमति प्रकट करते हुए सचिव, ज.स्वा.अ.वि. ने समापन सम्मलेन के दौरान बताया कि उपभोक्ता प्रभारों का निर्धारण एक राजनैतिक निर्णय था।

6.2.8 आन्तरिक नियन्त्रण

6.2.8.1 निगरानी की कमी

लो.नि.वि.एवं ले.नि. भाग I के नियम 760 के अनुसार खण्डीय अधिकारी, खण्ड तथा उपखण्ड में संधारित रजिस्टरों, किताबों एवं लेखों की समीक्षा करेगा तथा समस्त मामलों में ऐसी समीक्षा का अभिलेख निर्धारित प्रारूप में समीक्षा के ज्ञापन में रखा जायेगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि खण्डों में कोई समीक्षा का ज्ञापन संधारित नहीं किया गया था। ऐसी परिस्थितियों में खण्डीय स्तर पर निगरानी की क्षमता का निर्धारण लेखापरीक्षा में न हो सका।

इस ओर ध्यान दिलाये जाने के बाद, समापन सम्मेलन के दौरान सरकार, सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने पर सहमत हुई।

6.2.8.2 आन्तरिक लेखापरीक्षा की कार्यशीलता

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मार्च 2008 के अन्त में 5,084 आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, जिनमें 47,749 अनुच्छेद सम्मिलित थे, बकाया थे, जो विभाग में आन्तरिक लेखापरीक्षा में उठाये गये बिन्दुओं पर कम ध्यान दिया जाना दर्शाता है।

इस ओर ध्यान दिलाये जाने के बाद सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया कि बकाया अनुच्छेदों को निपटाने के लिये जल्दी ही विशेष अभियान चलाया जायेगा।

वर्ष 2003-04 से 2007-08 के दौरान लेखापरीक्षा हेतु बकाया एवं लेखा परीक्षित इकाइयों की स्थिति निम्नानुसार थीः

वर्ष	अग्रेनित बकाया[5] इकाइयां	वर्ष के दौरान बकाया इकाइयां	लेखापरीक्षा हेतु कुल बकाया इकाइयां	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा की गई इकाइयां	लेखापरीक्षित इकाइयों का प्रतिशत
2003-04	2,356	598	2,954	914	31
2004-05	2,040	598	2,638	1,284	49
2005-06	1,354	598	1,952	744	38
2006-07	1,208	640	1,848	726	39
2007-08	1,122	640	1,762	774	44

उपरोक्त सारणी दर्शाती है कि लेखापरीक्षा हेतु बकाया इकाइयों के विरूद्ध लेखापरीक्षा की गई इकाईयों का प्रतिशत 31 तथा 49 के मध्य था। विभाग ने उत्तर दिया (अप्रैल 2009) कि वित्त विभाग से लेखापरीक्षा दलों की संख्या को बढ़ाने के लिये निवेदन किया गया है।

[5] जितने वर्षो की लेखापरीक्षा बकाया थी उनको इकाइयों से गुणा कर बकाया इकाइयों की संख्या इंगित की गई।

सरकार अच्छे वित्तीय प्रबन्धन के लिये आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली को सशक्त करने पर विचार करे।

सरकार को आन्तरिक लेखापरीक्षा का प्रभावी उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिये करना चाहिये कि विभाग के विभिन्न समूह राजस्व वसूली के लिये पूरी क्षमता से कार्य कर रहे हैं।

6.2.9 अनुपालना में कमियां

6.2.9.1 बकाया मांग पर ब्याज का अनारोपण

राज्य सरकार ने विज्ञप्ति दिनांक 13 अक्टूबर 1976 से प्रावधान किया कि बिल में दर्शाई नियत दिनांक से दो माह अथवा अधिक अवधि तक जल आपूर्ति बिल का भुगतान नहीं किया जाता है तो 12 प्रतिशत वार्षिक दर से दण्डनीय ब्याज वसूली योग्य होगा।

पन्द्रह खण्डों[6] के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि रेलवे, नगर निगमों, नगर पालिकाओं आदि पर भारी राशियां बकाया थी परन्तु बकाया राशि पर 55.15 करोड़ रुपये (मार्च 2009 तक) के दण्डनीय ब्याज की मांग कायमी नहीं की गई थी।

इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर सरकार ने आश्वस्त किया कि रेलवे, नगर निगमों, नगर पालिकाओं आदि से बकाया राजस्व पर ब्याज के अनारोपण वाले बिन्दु पर विभाग ध्यान देगा।

6.2.9.2 नगर निगम जोधपुर के विरूद्ध जल प्रभारों का निर्धारण न करना

राजस्व खण्ड, जोधपुर के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि विभाग द्वारा जोधपुर में 538 रुपये प्रति सार्वजनिक नल की दर से 2410 सार्वजनिक नलों पर जल की आपूर्ति की जा रही थी परन्तु खण्ड द्वारा अक्टूबर 2006 से मार्च 2008 तक आपूर्ति किये गये जल पर जल प्रभारों का निर्धारण नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप 2.35 करोड़ रुपये की वसूली नहीं हुई।

खण्ड कार्यालय ने बताया कि नीति निर्धारण समिति द्वारा अक्टूबर 2006 में लिये गये निर्णय के अनुसार बिलों को जारी करने का कार्य अस्थाई रूप से स्थगित कर दिया गया है। तथ्य यह है कि दो वर्षों बाद भी जल प्रभारों की वसूली का मामला निर्णित नहीं हुआ है। सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और अवगत कराया कि विभाग द्वारा मांग कायम कर दी जायेगी।

बकाया की जल्दी वसूली के लिये प्रभावी कार्यवाही करने के लिये सरकार विचार करे।

---

[6] राजस्व अजमेर, प्रतापगढ़ बून्दी, राजस्व कोटा, जयपुर (उत्तर), झालावाड़, राजस्व जोधपुर, बालोतरा, ब्यावर, नागौर (आर.ई.जी.ई.पी.), नागौर, चूरू, श्रीगंगानगर, राजस्व बीकानेर तथा झुन्झुनु।

6.2.9.3 जल के असामान्य रिसाव से हानि

जल एवं प्रबन्ध नियमपुस्तिका के अनुच्छेद 10.10.2(अ) के अनुसार 24 घण्टे जल आपूर्ति के मामले में 10 प्रतिशत एवं पारी से जल आपूर्ति के मामले में 20 प्रतिशत से अधिक की जल की हानि पर उपचारात्मक उपाय आवश्यक हैं।

छः खण्डों[7] के 2003-04 से 2007-08 तक की अवधि के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि उठाये गये जल की मात्रा एवं उपभोक्ताओं द्वारा प्राप्त जल के बीच रिसाव से जल की हानि, हानि की अधिकतम अनुमत्य सीमा से 5 प्रतिशत तथा 52 प्रतिशत (**परिशिष्ठ "एफ"**) के मध्य थी, परिणामस्वरूप उत्पादन लागत के आधार पर गणना करने पर 234.43 करोड़ रुपये की राजस्व की हानि हुई।

इस ओर ध्यान दिलाये जाने के बाद सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि वास्तविक उत्पादन और जल की हानि को नापने के लिये बड़े जल मीटर लगाये जायेगें, पुरानी पाइप लाइनें बदली जायेंगी और चोरी, अवैध जल संयोजनों आदि से जल की हानि कम करने के लिये नीति निर्धारित की जायेगी।

6.2.9.4 अवैध जल संयोजनों पर शास्ति का अनारोपण

ज.स्वा.अ.वि. की विज्ञप्ति दिनांक 29 मई 1998 के अनुसार अवैध जल संयोजन लेने पर 500 रुपये प्रति संयोजन शास्ति वसूली योग्य है।

चार खण्डों[8] के अभिलेखों एवं विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना की नमूना जांच में पाया गया कि मुख्य वितरण लाइन से 3,178 अवैध जल सम्बन्ध लिये गये। इस तथ्य के बावजूद कि विभागीय अधिकारियों द्वारा जांच के दौरान अवैध जल सम्बन्धों का पता लगा लिया गया था, 500 रुपये प्रति अवैध सम्बन्ध की निर्धारित दर से शास्ति आरोपित नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप राशि 15.90 लाख रुपये की शास्ति की वसूली नहीं हुई।

इस ओर ध्यान दिलाये जाने के बाद, सरकार समापन सम्मेलन के दौरान शास्ति की वसूली पर सहमत थी। उन्होनें आगे बताया कि जयपुर वृत में 3,000 अवैध संयोजनों पर 30 लाख रुपये वसूले गये हैं।

6.2.9.5 मुद्रांक कर की कम वसूली

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 की धारा 3 के अन्तर्गत अनुसूची के आर्टिकल 5 के अनुसार साधारण इकरारनामे पर 100 रुपये का मुद्रांक कर वसूलनीय है।

दस खण्डों[9] में पाया गया कि अप्रैल 2003 और मार्च 2008 के मध्य 97,311 इकरारनामे निष्पादित किये गये। इन इकरारनामों की मापक जांच में पाया गया

[7] राजस्व (दक्षिण) जयपुर, राजस्व(उत्तर) जयपुर, राजस्व अजमेर, राजस्व कोटा, राजस्व जोधपुर तथा श्रीगंगानगर।

[8] राजस्व (दक्षिण) जयपुर, राजस्व(उत्तर) जयपुर, राजस्व जोधपुर, राजस्व बीकानेर।

[9] राजस्व (दक्षिण)जयपुर, राजस्व (उत्तर) जयपुर, प्रतापगढ़, सलुम्बर, टोंक, बून्दी, झालावाड़, नागौर, सोजत सिटी तथा झुन्झुनु।

कि उनके निष्पादन के समय या तो मुद्रांक कर नहीं वसूला गया या उसकी वसूली 10 रुपये प्रति इकारारनामे की दर से की गई। इसके परिणामस्वरूप न्यूनतम 87.58 लाख रुपये के मुद्रांक कर की कम वसूली हुई।

6.2.9.6 पर्यवेक्षण प्रभारों की वसूली का अभाव

लो.नि.वि.एवं ले.नि. के नियम 146 के अनुसार जनता को बिक्री किये जाने वाले स्टाक पर पुस्तक मूल्य के अलावा स्टोर पर हुए पर्यवेक्षण प्रभारों की भरपाई के लिये निश्चित प्रभारों (10 प्रतिशत) के रूप में पर्यवेक्षण प्रभार भी वसूले जाते हैं। चार खण्डों[10] की लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग द्वारा 39,577 जल मीटर उपभोक्ताओं को विक्रय किये गये, तथापि राशि 17.33 लाख रुपये के पर्यवेक्षण प्रभारों की वसूली नहीं की गई।

समापन सम्मेलन के दौरान विभाग ने बताया कि प्रकरण में पुनः जांच की जायेगी।

6.2.9.7 शीर्ष 2215 - जलापूर्ति एवं सफाई के अन्तर्गत प्रतिशत प्रभारों का अनियमित हस्तान्तरण

विभागीय खर्चों की पूर्ति के लिये विभागीय प्राप्तियों का उपयोग बजटीय नियन्त्रण के विरूद्ध है तथा राज्य के वैधानिक प्राधिकार का उल्लंघन करता है। इसके अतिरिक्त, इन प्राप्तियों से व्यय लेखे भी प्रभावित होते हैं।

18 खण्डों[11] की लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन खण्डों को संचालन तथा रखरखाव प्रभार यथा त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत आयोजना कार्यों पर प्रतिशत प्रभार, आवंटित किये गये। राशि 43.83 करोड़ रुपये के ये प्रभार राजस्व में जमा कराने के बजाय अनियमित रूप से शीर्ष 2215 जलापूर्ति एवं सफाई में जमा किये गये।

समापन सम्मेलन के दौरान विभाग इन तथ्यों से सहमत था तथा बताया कि यह वित्त विभाग की नीति के तहत किया जाता है।

6.2.9.8 प्रतिशत प्रभारों को राजस्व में जमा नहीं कराना

लो.नि.वि. एवं ले.नि. भाग-II के परिशिष्ठ-V के नियम 7(1)(बी) के अनुसार, अन्य सरकार, स्थानीय निकाय, निजी संस्थाओं आदि के लिये किये गये कार्यों से सम्बन्धित स्थापना प्रभारों की वसूली प्रतिशत आधार पर की जायेगी तथा राजस्व मद में जमा की जायेगी। लो.नि.वि. एवं ले.नि. भाग-I के नियम 615 के अनुसार जैसे-जैसे कार्य पर खर्चा किया जाता है माह दर माह वसूली योग्य यह प्रतिशत समायोजित किया जायेगा।

---

[10] राजस्व (दक्षिण) जयपुर, राजस्व (उत्तर)जयपुर, राजस्व जोधपुर तथा झुन्झुनु।

[11] राजस्व जिला अजमेर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, सलुम्बर, राजसमन्द, टोंक, बून्दी, झालावाड़, जिला-III जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर (उत्तर), व्यावर, नागौर (आर.आई.जी.ई.पी.), नागौर, चूरू, सूरतगढ़ सोजत सिटी तथा झुन्झुनु।

तीन खण्डों[12] के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि अन्य सरकार, स्थानीय निकायों आदि के निक्षेप कार्य लिये गये परन्तु 14 प्रकरणों में 26.58 लाख रुपये के वसूली योग्य प्रतिशत प्रभारों को राजस्व मद में जमा नहीं किया गया।

समापन सम्मेलन के दौरान विभाग ने इस अनियमितता को सुधारने की सहमति दी।

6.2.10 निष्कर्ष

निष्पादन लेखापरीक्षा में पाया गया कि बकाया की वसूली के लिये प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई, परिणामस्वरूप बकाया लगातार बढ़ता गया। जल मीटरों के अकार्यरत रहने के कारण राज्य सरकार की राजस्व प्रभावित हुई। मई 1998 के बाद जल दरों में कोई संशोधन नहीं किया गया। जल की हानि को कम करने के लिए आवश्यक उपचारात्मक कार्यवाही नहीं की गई तथा विभाग में अच्छे वित्तीय प्रबन्धन को सुनिश्चित करने के लिये आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली पर्याप्त नहीं थी।

6.2.11 सिफारशों का सार

सरकार निम्नलिखित हेतु विचार करे:

- **विभाग में बकाया के सही निर्धारण के लिये सामयिक निगरानी प्रक्रिया निर्धारित करने तथा बकाया की त्वरित वसूली सुनिश्चित करने हेतु;**
- **संग्रह कर्ता एजेन्सी द्वारा राजस्व को देरी से जमा पर ब्याज वसूली के लिये प्रावधान निर्धारित करने हेतु;**
- **अकार्यरत जल मीटरों को बदलने के लिये प्रभावी कदम उठाने हेतु; तथा**
- **अच्छे वित्तीय प्रबन्धन के लिये आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली को सशक्त करने हेतु।**

ब. खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभाग

6.3 लेखापरीक्षा टिप्पणियां

खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभाग के अभिलेखों की मापक जांच में अनेक मामलों में अधिनियम के प्रावधानों/नियमों की पालना नहीं करना, शासकीय आदेशों/प्रक्रियाओं की अवहेलना तथा अन्य अनियमितताओं के मामलों का पता चला जिनका इस अध्याय के अनुवर्ती अनुच्छेदों में उल्लेख किया गया है। ये प्रकरण निदर्शी हैं तथा लेखापरीक्षा द्वारा की गई मापक जांच पर आधारित हैं। खनि अभियन्ताओं/सहायक अभियन्ताओं द्वारा की गई ऐसी त्रुटियों को प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाया जाता है। तथापि ये अनियमिततायें न केवल विद्यमान रहती है बल्कि लेखापरीक्षा होने तक भी इनका पता नहीं चलता है। सरकार को अपनी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है।

[12] पी.एण्ड डी. (दक्षिण) जयपुर, जिला अजमेर तथा राजस्व बीकानेर।

6.4 अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों की अवहेलना

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (खा.ख.वि.वि.); खनिज रियायत नियम, 1960 (ख.रि.नि.); खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 1988 (ख.सं.वि.नि.); राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 (रा.अ.ख.रि.नि.) में निम्नानुसार प्रावधान हैं:

(i) निर्धारित दरों पर अधिशुल्क का आरोपण;

(ii) अवैध रूप से उत्खनित/भेजे गए खनिजों की लागत का आरोपण;

(iii) विलम्ब से किये गये भुगतानों पर ब्याज का आरोपण;

(iv) पट्टे जारी करना; एवं

(v) खनिजों का संरक्षण।

खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ताओं द्वारा अनुच्छेद 6.4.1 से 6.4.13 में उल्लेखित प्रकरणों में अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों की पालना नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप 41.03 करोड़ रुपये के अधिशुल्क की कम/अवसूली, खनिज लागत की कम/अवसूली तथा ब्याज का अनारोपण हुआ।

6.4.1 अधिशुल्क की मांग कम कायम करना

खा.ख.वि.वि. अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत खनन पट्टे का धारक स्वयं या उसके एजेन्ट, प्रबन्धक, सेवक, ठेकेदार या उपपट्टेदार द्वारा पट्टे के क्षेत्र से हटाये गये या उपभोग किये गये किसी खनिज के सम्बन्ध में खा.ख.वि.वि. अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में उस खनिज के लिये विनिर्दिष्ट दर से अधिशुल्क का भुगतान करेगा।

अप्रैल 2000 में जारी सरकार के निर्देशों के अनुसार, सक्षम प्राधिकारियों को भेजे गए खनिज के सम्बन्ध में अधिशुल्क की मासिक आधार पर गणना कर, मांग कायमी तथा इसकी वसूली के लिए कार्यवाही प्रारम्भ करना आवश्यक था।

खनि अभियन्ता, उदयपुर के अभिलेखों की मापक जांच से प्रकट हुआ (फरवरी 2009) कि एक खनन पट्टा सीसा, जस्ता और चाँदी खनिजों के लिए एक कम्पनी के पक्ष में प्रभावी था। पट्टेधारी ने सितम्बर 2005 तक भेजे गए सीसा व जस्ता की अयस्क में समाहित धातु की मात्रा पर अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में दर्शायी गई अधिशुल्क की दर से भुगतान किया; जबकि, अक्टूबर 2005 से उत्पादित धातु पर अयस्क में समाहित धातु की मात्रा के बजाय सांद्रित खनिज में समाहित धातु की मात्रा पर अधिशुल्क का भुगतान किया। अक्टूबर 2005 से मार्च 2008 की अवधि के दौरान पट्टेधारक ने जस्ता एवं सीसा खनिज पर 89.68 करोड़ रुपये के अधिशुल्क के भुगतान के विरूद्ध 76.12 करोड़ रुपये के अधिशुल्क का भुगतान किया। विभाग के अधिशुल्क आरोपित करने में विफल होने के परिणामस्वरूप 13.56 करोड़ रुपये की कम वसूली हुई।

इस ओर ध्यान दिलाये जाने के पश्चात् खनि अभियन्ता, उदयपुर ने बताया (फरवरी 2009) कि इस अवधि का निर्धारण विचाराधीन था और निर्धारण के समय मांग कायम कर दी जावेगी। यद्यपि, तथ्य यह रहते हैं कि भेजे गए खनिज पर अधिशुल्क की

गणना मासिक आधार पर की जानी चाहिये थी। आगे, खनिज के अयस्क में समाहित धातु पर अधिशुल्क का आरोपण किया जाना था।

प्रकरण मार्च 2009 में सरकार व विभाग के ध्यान में लाया गया, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2009)।

6.4.2 हैन्डलिंग तथा प्रोसेसिंग हानि की अनियमित छूट

खनि अभियन्ता (ख.अ.), उदयपुर के अभिलेखों की मापक जांच में प्रकट हुआ (फरवरी 2009) कि रॉक फास्फेट खनिज का एक खनन पट्टा एक पट्टेधारी के पक्ष में प्रभावी था। 1997-98 से 2002-03 तक की अवधि के लिए उत्पादन के अन्तिम आंकड़ों के आधार पर अप्रैल 2004 एवं जनवरी 2005 में अधिशुल्क के निर्धारणों को सम्पूरित करते समय तीन प्रतिशत की दर से 1,58,061.26 मैट्रिक टन की हैन्डलिंग एवं प्रोसेसिंग हानि की छूट प्रदान की गई। खा.ख.वि.वि. अधिनियम या ख.रि.नि. में हैन्डलिंग एवं प्रोसेसिंग हानि के लिए कोई प्रावधान नहीं है। इसके परिणामस्वरूप 3.24 करोड़ रुपये के अधिशुल्क की कम वसूली हुई।

इस ओर ध्यान दिलाये जाने के पश्चात् खनि अभियन्ता, उदयपुर ने बताया (फरवरी 2009) कि हानि की छूट नियमानुसार दी गई, तथापि पट्टेधारी के अभिलेखों से तथ्यों का सत्यापन कर कार्यवाही करते हुए लेखापरीक्षा को सूचित कर दिया जावेगा। तथ्य यह रहते है कि अधिनियमों व नियमों में हैन्डलिंग एवं प्रोसेसिंग हानि के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

प्रकरण विभाग और सरकार के ध्यान में लाया गया (मार्च 2009); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2009)।

6.4.3 खनिज जिप्सम पर अधिशुल्क की कम वसूली

खा.ख.वि.वि. अधिनियम की धारा 9 में प्रावधान है कि एक पट्टाधारक पट्टा क्षेत्र से हटाये गये या उपभोग किए गये किसी भी खनिज पर अधिनियम में उस समय विनिर्दिष्ट दर से अधिशुल्क का भुगतान करेगा। आगे, ख.रि.नि. के नियम 64 डी में प्रावधान है कि माह के दौरान उत्पादित किसी खनिज के सम्बन्ध में अधिशुल्क की गणना के लिये, भारतीय खान ब्यूरो (भा.खा.ब्यू.) द्वारा भिन्न-भिन्न खनिजों के लिये, प्रकाशित राज्यवार औसत मूल्य बेंचमार्क होगा। अधिशुल्क की गणना हेतु राज्य सरकार बेंचमार्क मूल्य में 20 प्रतिशत की वृद्धि कर सकेगी। ऐसा मूल्य, अधिशुल्क की गणना के लिये विक्रय मूल्य माना जायेगा। जिप्सम खनिज पर अधिशुल्क की दर उसके विक्रय मूल्य की 20 प्रतिशत थी।

सहायक खनि अभियन्ता, जैसलमेर और श्रीगंगानगर के अभिलेखों की मापक जांच में पाया गया (मार्च 2009) कि भा.खा.ब्यू. प्रकाशन के अनुसार जिप्सम खनिज का विक्रय मूल्य 210 रुपये प्रति मैट्रिक टन था, जिसके अनुसार गणना करने पर विक्रय मूल्य 252 रुपये प्रति मैट्रिक टन बनता था। इस दर पर अधिशुल्क की गणना करने पर 50.40 रुपये प्रति मैट्रिक टन बनता है। यह देखा गया कि पट्टेधारी ने जून 2007 से

मार्च 2008 की अवधि के दौरान भेजे गए खनिज जिप्सम पर 50.40 रुपये प्रति मैट्रिक टन के बजाय 44.40 रुपये प्रति मैट्रिक टन की दर से अधिशुल्क का भुगतान किया, जिसके परिणामस्वरूप 44.92 लाख रुपये के अधिशुल्क की कम वसूली हुई।

इस ओर ध्यान दिलाये जाने के पश्चात् (मार्च 2009) सरकार/विभाग ने बताया (जून 2009) कि जैसलमेर के पट्टाधारी के सम्बन्ध में 39.94 लाख रुपये वसूल कर लिए गए थे। श्रीगंगानगर के सम्बन्ध में जवाब प्राप्त नहीं हुआ (अक्टूबर 2009)।

6.4.4 अधिक अधिशुल्क तथा उस पर ब्याज की अवसूली

खा.ख.वि.वि. अधिनियम की धारा 9 के प्रावधान तथा अप्रैल 2000 में जारी सरकार के निर्देशों के अनुसार माह के दौरान भेजे गए खनिज पर पट्टाधारी अधिक अधिशुल्क की राशि का भुगतान करेगा एवं मासिक आधार पर मांग कायम की जायेगी तथा ख.रि.नि. के नियम 64 (अ) के प्रावधान के अन्तर्गत विलम्बित भुगतान पर देय दिनांक से 60 दिन के पश्चात् विलम्ब की अवधि के लिये 24 प्रतिशत की वार्षिक दर से साधारण ब्याज देय होगा।

खनि अभियन्ता, भरतपुर के अभिलेखों की मापक जांच में पाया गया (अक्टूबर 2008) कि तीन पट्टेधारियों के नवम्बर 2002 से जनवरी 2006 तक की अवधि के अधिशुल्क निर्धारणों (मई 2007 से दिसम्बर 2007) पर अधिक अधिशुल्क की राशि 22.11 लाख रुपये वसूलनीय थी, परन्तु वसूल नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, ब्याज के 15.87 लाख रुपये (सितम्बर 2008 तक) भी आरोपणीय थे।

प्रकरण सरकार और विभाग के ध्यान में लाया गया (नवम्बर 2008); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (अक्टूबर 2009)।

6.4.5 गलत दर लगाने के कारण अधिशुल्क की कम वसूली

खा.ख.वि.वि. अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार लाईम स्टोन (एल.डी. ग्रेड), जिसमें सिलिका की मात्रा 1.5 प्रतिशत है, पर 14 अक्टूबर 2004 से अधिशुल्क की दर 55 रुपये प्रति मैट्रिक टन थी।

सहायक खनि अभियन्ता (स.ख.अ.), जैसलमेर के अभिलेखों की मापक जांच में पाया गया (मार्च 2008 और फरवरी 2009) कि राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (रा.रा.खा.ख.लि.) द्वारा वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान लाईम स्टोन (एल.डी ग्रेड-10-30 मि.मी. गिट्टी) भेजा गया, जिस पर 55 रुपये प्रति मैट्रिक टन के स्थान पर 45 रुपये प्रति मैट्रिक टन की दर से अधिशुल्क का भुगतान किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 29.23 लाख रुपये के अधिशुल्क की कम वसूली हुई।

इस ओर ध्यान दिलाये जाने के पश्चात (मार्च 2009) विभाग/सरकार ने बताया (जून 2009) कि कम्पनी को राशि जमा कराने के लिए कहा गया है। आगामी प्रगति प्राप्त नहीं हुई है (अक्टूबर 2009)।

6.4.6 दोषी पट्टाधारियों से अधिशुल्क की कम वसूली

खा.ख.वि.वि. अधिनियम या उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों में, खान विभाग में अधिशुल्क निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिशुल्क का निर्धारण करने के लिये समय सीमा का कोई प्रावधान नहीं है। पट्टा अनुबंध की किसी शर्त के उल्लंघन पर सक्षम प्राधिकारी खनन पट्टे को समाप्त कर सकता है।

खनि अभियन्ता, सोजत सिटी के अभिलेखों की मापक जांच में पाया गया (अगस्त 2008) कि स्थिर भाटक के भुगतान नहीं करने व विवरणियां आदि प्रस्तुत नहीं करने पर लाईम स्टोन के तीन खनन पट्टे मार्च 2006 में निरस्त कर दिये गये। इन पट्टाधारियों द्वारा 2002-03 से 2006-07 तक की. अवधि के लिए 52.10 लाख रुपये के अधिशुल्क का भुगतान किया जाना था। पट्टाधारियों ने केवल 42.37 लाख रुपये का भुगतान किया जिसके परिणामस्वरूप 9.73 लाख रुपये के अधिशुल्क की कम वसूली हुई।

इस ओर ध्यान दिलाये जाने के पश्चात् (सितम्बर/नवम्बर 2008) विभाग/सरकार ने बताया (जून 2009) कि निर्धारण के पश्चात् वसूली कर ली जायेगी। आगामी प्रगति प्राप्त नहीं हुई है (अक्टूबर 2009)।

6.4.7 अधिशुल्क की अवसूली

खा.ख.वि.वि. अधिनियम की उपधारा 21 (5) में प्रावधान है कि जब कोई व्यक्ति बिना किसी विधिक प्राधिकार के किसी भूमि से कोई खनिज निकालता है तो राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति से, ऐसे निकाले गये खनिज को या जहां ऐसे खनिज का पहिले से ही निस्तारण कर दिया गया हो, तो उसका मूल्य, वसूल कर सकती है। सरकार ऐसे व्यक्ति से खनिज के लिए अधिशुल्क की वसूली भी कर सकती है।

खनि अभियन्ता, भरतपुर के अभिलेखों की मापक जांच में पाया गया (अक्टूबर 2008) कि सर्वेक्षक द्वारा 25 जनवरी 2005 को किये गये निरीक्षण के दौरान सरकारी (राजकीय) भूमि से "सिलिका सैंड " खनिज के अनधिकृत खनन का पता चला। अनधिकृत रूप से ले जाये गये 1,61,700 मैट्रिक टन खनिज (10 अक्टूबर 2008) की कीमत के लिए 2.59 करोड़ रुपये की मांग तो कायम कर दी गई, लेकिन 20 रुपये प्रति मैट्रिक टन की दर से अधिशुल्क की राशि 32.34 लाख रुपये की मांग कायम नहीं की गई।

इसे ध्यान में लाने के पश्चात् (नवम्बर 2008) विभाग ने बताया (अगस्त 2009) कि 32.34 लाख रुपये के अधिशुल्क की मांग कायम कर दी गई है। वसूली की प्रगति प्राप्त नहीं हुई है।

प्रकरण सरकार के ध्यान में लाया गया (नवम्बर 2008); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009)।

6.4.8 अनधिकृत उत्खनित खनिज की कीमत की अवसूली

रा.अ.ख.रि. नियमों के नियम 48 में प्रावधान है कि जब कभी कोई व्यक्ति बिना किसी विधिक प्राधिकार के किसी भूमि से खनिज निकालता है या ऐसे निकाले गये खनिज को

पहले ही भेज देता या उपभोग कर लेता है, तो वह ऐसे उत्खनित खनिज के मूल्य के संदाय के लिए दायी होगा। खनिज के मूल्य की गणना प्रचलित दरों पर संदेय अधिशुल्क की दर की 10 गुणा होगी।

पांच सहायक खनि अभियन्ता/खनि अभियन्ता कार्यालयों के अभिलेखों की जून 2008 एवं अक्टूबर 2008 के मध्य की गई मापक जांच में पाया गया कि आठ मामलों में पट्टेधारियों ने अनधिकृत रूप से खनिज का उत्खनन/प्रेषण किया जिसके परिणामस्वरूप खनिजों की कीमत के 13.48 करोड़ रुपये की अवसूली/कम वसूली हुई, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

क्र. सं.	कार्यालय का नाम (मामलों की संख्या)	खनिज का नाम	खनिज की मात्रा जो अवैधानिक रूप से उत्खनित और प्रेषित की गई (मै.टन में)	खनिज की वसूलनीय कीमत (करोड़ रुपये में)	टिप्पणी की प्रकृति
1.	खनि अभियन्ता, अलवर (1)	मार्बल खण्डे	1,64,425.275	8.22	अगस्त 2007 में आयोजित किये गये सर्वेक्षण/निरीक्षण में यह पाया गया कि पट्टेधारी ने अनधिकृत रूप से 1,64,425.275 मैट्रिक टन मार्बल खण्डों का उत्खनन और प्रेषण स्वीकृत खनन क्षेत्र के बाहर से किया।
इसे ध्यान में लाने के पश्चात् खनि अभियन्ता, अलवर ने बताया (सितम्बर 2008) कि पट्टेधारी को कारण बताओ सूचना जारी की जा चुकी है किन्तु एक वर्ष बीत जाने के पश्चात् (19 अगस्त 2009) भी मांग कायम नहीं की गई है। प्रकरण फरवरी 2009 में सरकार और विभाग के ध्यान में लाया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2009)।					
2.	खनि अभियन्ता, नागौर (2)	लाईम स्टोन	87,763	3.95	दो खनन पट्टाधारकों ने (न. 23/95 और 2/95) 87,763 मैट्रिक टन लाइम स्टोन खनिज का अनधिकृत रूप से उत्खनन और प्रेषण बिना रवन्ना व अधिशुल्क का भुगतान किये बिना किया।
इसे ध्यान में लाने के पश्चात् खनि अभियन्ता, नागौर ने बताया (जून 2008) कि पट्टा निरस्त करने के प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी को भेज दिए गए हैं। तथापि तथ्य यह रहते हैं कि खनिज की कीमत की वसूली के प्रयास नहीं किए गए। प्रकरण जुलाई 2008 में विभाग के ध्यान में लाया गया और नवम्बर 2008 में सरकार को सूचित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (अक्टूबर 2009)।					

क्र. सं.	कार्यालय का नाम (मामलों की संख्या)	खनिज का नाम	खनिज की मात्रा जो अवैधानिक रूप से उत्खनित और प्रेषित की गई (मै.टन में)	खनिज की वसूलनीय कीमत (करोड़ रुपये में)	टिप्पणी की प्रकृति
3.	सहायक खनि अभियन्ता, बाड़मेर (3)	ग्रेनाईट	5,030	0.75	आवेदकों द्वारा पूर्वेक्षण कार्य की भू-वैज्ञानिक एवं तकनीकी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि आवेदकों द्वारा 5,138 मैट्रिक टन ग्रेनाईट पूर्वेक्षण अवधि के दौरान भेजा गया जिसके विरूद्ध विभाग ने (जनवरी-फरवरी 2008) 108 मैट्रिक टन का निर्धारण किया।
इसे ध्यान में लाने के पश्चात् (सितम्बर 2008) सहायक खनि अभियन्ता, बाड़मेर ने दिसम्बर 2008 में बताया कि पट्टेधारियों को (नवम्बर 2008) अभिलेखों को प्रस्तुत करने और प्रकरण की वास्तविक स्थिति बताने को कहा गया। प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया (अक्टूबर 2008) और सरकार (नवम्बर 2008) को सूचित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2009)।					
4.	खनि अभियन्ता, भरतपुर (1)	मैसेनरी स्टोन	35,280	0.46	निर्माण स्थल की निरीक्षण रिपोर्टों से ज्ञात हुआ कि ठेकेदार ने अल्पावधि अनुमति पत्र में अधिकृत क्षेत्र के बाहर से 35,280 मैट्रिक टन मैसेनरी स्टोन का अनधिकृत रूप से उत्खनन कर लिया था।
इसे ध्यान में लाने के पश्चात् खनि अभियन्ता, भरतपुर ने बताया (अक्टूबर 2008) कि अनधिकृत रूप से वास्तविकता में उपयोग की गई मात्रा का पुनः प्रमाणीकरण करने के पश्चात् कीमत की वसूली कर ली जायेगी। प्रकरण सरकार और विभाग के ध्यान में लाया गया (नवम्बर 2008); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2009)।					
5.	सहायक खनि अभियन्ता, जालौर (1)	ग्रेनाईट	1,872	0.10	एक खनन पट्टाधारक ने उसके स्वीकृत पट्टे क्षेत्र के बाहर से 1,872 मैट्रिक टन ग्रेनाईट खनिज का अनधिकृत रूप से उत्खनन कर लिया।
इसे ध्यान में लाने के पश्चात् (अगस्त 2008) सहायक खनि अभियन्ता, जालौर ने बताया (अगस्त 2008) कि नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2009)। प्रकरण सितम्बर 2008 में विभाग के ध्यान में लाया गया तथा नवम्बर 2008 में सरकार को सूचित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2009)।					
योग				**13.48**	

6.4.9 ठेकेदारों द्वारा खनिजों का अनधिकृत उत्खनन

रा.अ.ख.रि. नियमों के नियम 63 के सपठित सरकार का आदेश दिनांक 3 अक्टूबर 2001 में प्रावधान है कि निर्माण ठेकेदारों को उनके निर्माण कार्यों में उपयोग के लिए सम्बन्धित खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता से अग्रिम में अल्पावधि अनुमति पत्र (अ.अ.प.) प्राप्त करना होगा। यदि अनुमति पत्र धारक ने अ.अ.प. में स्वीकृत मात्रा के 25 प्रतिशत से अधिक मात्रा में उत्खनन किया है एवं ले गया है तो अनुमति पत्र में स्वीकृत मात्रा से अधिक उत्खनित एवं हटाये गये खनिज की कीमत का भुगतान करने का दायी होगा जो कि रा.अ.ख.रि. नियमों के नियम 48 के अन्तर्गत निर्धारित प्रचलित दरों पर अधिशुल्क का 10 गुणा होगी।

छः खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता[13] कार्यालयों के अभिलेखों की जुलाई 2008 तथा फरवरी 2009 के मध्य की गई मापक जांच में प्रकट हुआ कि 10 निर्माण ठेकेदारों ने या तो बिना अ.अ.प. के या अ.अ.प. में अनुमत्य मात्रा से 25 प्रतिशत अधिक खनिज का उत्खनन/उपभोग किया। खनिज की कीमत राशि 4.80 करोड़ रुपये, यद्यपि वसूली योग्य थी, जो वसूल नहीं की गई।

यह ध्यान में लाने के पश्चात् (सितम्बर 2008 से मार्च 2009) खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता, अलवर, बालेसर, बाड़मेर और कोटपूतली ने लेखापरीक्षा आक्षेपों को स्वीकार कर लिया। खनि अभियन्ता, बून्दी-II व सिरोही के उत्तर प्राप्त नहीं हुए (अक्टूबर 2009)।

6.4.10 बिना रवन्ना के भेजे गए खनिज की लागत की अवसूली

रा.अ.ख.रि. नियम 18 (9) (ग) के अनुसार पट्टेदार अथवा कोई अन्य व्यक्ति बिना रवन्ना[14] के, जो कि खनन विभाग द्वारा विधिवत मुद्रांकित हो, खदान तथा खान से खनिज को नहीं हटायेगा या उपयोग करेगा। उक्त नियमों के नियम 37 (2) के अन्तर्गत निष्पादित अधिक अधिशुल्क संग्रहण संविदा (अ.अ.सं.सं.) के इकरारनामे के अनुसार, ठेकेदार केवल ऐसे वाहनों से ही अधिशुल्क की राशि संग्रहित करेगा जिनके पास पट्टेदार द्वारा जारी वैध रवन्ना हो। बिना रवन्ना के खनिज ले जाने वाले वाहनों के मामले में, अ.अ.स. ठेकेदार ऐसे वाहनों को उन खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता को सुपुर्द करेगा जिनके पास इसे अनधिकृत निकासी मानते हुए प्रचलित दरों पर देय अधिशुल्क के 10 गुणा वसूली का अधिकार हो।

सहायक खनि अभियन्ता, बाड़मेर के अभिलेखों की मापक जांच से प्रकट हुआ (सितम्बर 2008) कि प्रभावी खनन पट्टों से भेजे गए खनिज बेन्टोनाईट हेतु 1 अप्रैल 2006 से 31 मार्च 2008 की अवधि के लिये एक अ.अ.सं.सं. मार्च 2006 में एक ठेकेदार को प्रदान की गई। ठेकेदार ने अप्रैल 2006 से अक्टूबर 2006 की अवधि के दौरान बिना रवन्ना के भेजे/हटाये गये 24,791.65 मैट्रिक टन खनिज बेन्टोनाईट के वाहनों को खनिज की कीमत की वसूली करने हेतु विभाग को सौपने के बजाय उनसे

[13] अलवर, बालेसर, बाड़मेर, बून्दी-II कोटपूतली एवं सिरोही।

[14] रवन्ना का अर्थ है खानों से खनिज को हटाने या भेजने के लिए एक डिलिवरी चालान।

14.87 लाख रुपये की अधिशुल्क की वसूली की। इसके परिणामस्वरूप 1.49 करोड़ रुपये के राजस्व, जो अधिशुल्क का 10 गुणा बनता है, की वसूली नहीं हुई।

इसे ध्यान में लाये जाने के बाद (सितम्बर 2008) स.ख.अ., बाड़मेर ने बताया (जनवरी 2009) कि प्रकरण, निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान को उनके निर्देशों के लिये भेजा गया था। आगे प्रगति प्राप्त नहीं हुई है (अक्टूबर 2009)।

प्रकरण, अक्टूबर 2008 में विभाग के ध्यान में लाया गया तथा नवम्बर 2008 में सरकार को सूचित किया गया, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (अक्टूबर 2009)।

6.4.11 ब्याज की मांग कायम न करना

6.4.11.1 खा.ख.वि.वि. अधिनियम, की धारा 9(2) में प्रावधान है कि एक खनन पट्टाधारक किसी भी खनिज को निकालने या उपभोग करने पर प्रचलित दर से अधिशुल्क का भुगतान करेगा। आगे ख.रि.नि. के नियम 64 (अ) में प्रावधान है कि पट्टाधारक विलम्बित भुगतान पर देय दिनांक से 60 वें दिन से संगणित विलम्ब की अवधि के लिये 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के भुगतान का दायी होगा।

तीन खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता कार्यालयों के अभिलेखों की मापक जांच में यह देखा गया (सितम्बर 2008 और मार्च 2009 के मध्य) कि पांच प्रकरणों में पट्टाधारियों ने विकास प्रभारों, सरकारी बकाया, अधिक अधिशुल्क की राशि, अधिशुल्क की अन्तर राशि और प्रीमियम प्रभारों की राशि देरी से जमा की, परिणामस्वरूप 1.32 करोड़ रुपये के ब्याज का अनारोपण हुआ, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	ख.अ./स.ख.अ. कार्यालय का नाम	प्रकरणों की संख्या	देरी से जमा राशि की प्रकृति	देय ब्याज की राशि (रुपये लाखों में)	टिप्पणी की प्रकृति
1.	बाड़मेर	1	विकास प्रभार 12/05 तक	61.83	रा.रा.खा.ख.लि. द्वारा जून 1990 से मार्च 2005 तक अवधि के विकास प्रभारों की अन्तर राशि देरी से जमा करायी गई।
2.	बाड़मेर	2	सरकारी बकाया	8.52	दो पट्टेधारियों द्वारा अगस्त 2000 से मार्च 2005 की अवधि से सम्बन्धित सरकारी बकाया को अगस्त 2005 से मार्च 2008 के मध्य देरी से जमा कराया।
3.	भीलवाड़ा	1	अधिक अधिशुल्क की राशि	56.11	एक पट्टेधारी द्वारा मई 2001 से मई 2006 की अवधि से सम्बन्धित अधिक अधिशुल्क की शेष राशि 80.02 लाख रुपये 2007-08 के दौरान देरी से जमा कराई गई।
4.	श्रीगंगानगर	1	अधिशुल्क व प्रीमियम प्रभारों के अन्तर की राशि	5.47	मई 2007 से अप्रैल 2008 तक की अवधि से सम्बन्धित अधिशुल्क व प्रीमियम प्रभारों की अन्तर राशि जुलाई 2008 में देरी से जमा कराई गई।
योग		**5**		**131.93**	

स.ख.अ., बाड़मेर ने उत्तर दिया (जनवरी 2009) कि क्रम संख्या 1 के प्रकरण में राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड एक सरकारी उपक्रम होने से ब्याज नहीं वसूला गया। यद्यपि, नियमों में ऐसी छूट का कोई प्रावधान नहीं है। क्रम सं. 3 के प्रकरण के लिए ख.अ., भीलवाड़ा ने बताया (दिसम्बर 2008) कि अधिशुल्क के निर्धारण के बाद, पट्टाधारी ने अधिक अधिशुल्क की राशि जमा कराई, इसलिए ब्याज की वसूली उचित नहीं थी। यद्यपि, नियमानुसार अधिशुल्क का भुगतान खनिज को हटाते समय ही किया जाता है। क्र.सं. 4 के प्रकरण के सम्बन्ध में स.ख.अ., श्रीगंगानगर ने बताया (जून 2009) कि 5.47 लाख रुपये की मांग कायम की गई है।

प्रकरण अक्टूबर 2008 और अप्रैल 2009 के बीच सरकार/विभाग के ध्यान में लाये गये; उनके उत्तर (भीलवाड़ा और श्रीगंगानगर के अलावा) प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2009)।

6.4.11.2 रा.अ.ख.रि. नियमों के नियम 37 (2) के अन्तर्गत निष्पादित अधिक अधिशुल्क संग्रहण संविदा के इकरारनामों की निबन्धन एवं शर्तों के अनुसार ठेकेदार को ठेका राशि की किश्तों का प्रत्येक माह की 10 वीं तारीख को अग्रिम में भुगतान करना होता है। देरी से जमा पर देरी की अवधि के लिये ब्याज की राशि का भुगतान 15 प्रतिशत वार्षिक दर से करना होता है।

(i) खनि अभियन्ता खण्ड-प्रथम, राजसमंद के अभिलेखों की मापक जांच में पाया गया (जनवरी 2009) कि एक ठेकेदार के पक्ष में अप्रैल 2007 से मार्च 2009 तक की अवधि के लिए वार्षिक ठेका राशि 58.31 करोड़ रुपये पर एक अ.अ.सं.सं. मार्च 2007 में स्वीकृत की गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 6 अगस्त 2007 के आदेशानुसार वार्षिक ठेका राशि 1 अप्रैल 2007 से संशोधित कर 61 करोड़ रुपये कर दी गई। ठेकेदार द्वारा किश्तों की अन्तर राशि 67.63 लाख रुपये 29 मई 2008 को जमा कराई गई, लेकिन सितम्बर 2007 से मई 2008 तक की अवधि के लिए देरी से किए गए भुगतान पर 7.53 लाख रुपये के ब्याज की गणना तो की गई, पर मांग कायम नहीं की गई।

इसे ध्यान में लाने के पश्चात्, खनि अभियन्ता खण्ड-प्रथम, राजसमन्द ने बताया (जनवरी 2009) कि किश्तों के अन्तर राशि की मांग 31 मार्च 2008 को कायम की गई और ठेकेदार द्वारा 29 मई 2008 को राशि जमा कराई गई इसलिए ब्याज की राशि आरोपणीय नहीं है। यद्यपि, तथ्य यह बताते हैं कि खनि अभियन्ता ने ठेकेदार को 1 सितम्बर 2007 को 7 दिवस में अन्तर राशि जमा कराने के लिए कहा था।

प्रकरण (मार्च 2009) में सरकार/विभाग के ध्यान में लाया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2009)।

(ii) खनि अभियन्ता, अलवर के अभिलेखों की मापक जांच में पाया गया (सितम्बर 2008) कि एक ठेकेदार के पक्ष में 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2009 तक की अवधि के लिए मार्बल खनिज हेतु एक अ.अ.सं.सं. स्वीकृत की गई। ठेकेदार देय तिथि पर ठेका राशि की किश्तों को जमा कराने में असफल रहा। देरी से किये गये किश्तों के भुगतान पर ब्याज की राशि के 5.13 लाख रुपये आरोपित नहीं किए गए।

इसे ध्यान में लाये जाने के पश्चात् खनि अभियन्ता, अलवर ने बताया (सितम्बर 2008) कि ब्याज की मांग सितम्बर 2008 में कायम की जा चुकी थी, परन्तु वसूली शेष है। आगामी प्रगति प्राप्त नहीं हुई है (अक्टूबर 2009)।

प्रकरण सरकार और विभाग के ध्यान में लाया गया (फरवरी 2009); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2009)।

6.4.12 पट्टेधारी को अदेय लाभ देना

रा.अ.ख.रि.नि. के नियम 11(2) में प्रावधान है कि किसी खनि अभियन्ता अथवा सहायक खनि अभियन्ता के अधिकार क्षेत्र के भीतर एक व्यक्ति को विशिष्ट खनिज के लिए अथवा सम्बद्ध समूह के खनिज के लिए स्वीकृत किये जाने वाले खनन पट्टों की अधिकतम संख्या दो तक सीमित होगी। खनन पट्टे की स्वीकृति जारी करने से पूर्व जहां किसी आवेदनकर्ता की मृत्यु हो जाती है, ऐसे मामले में उसके विधिक प्रतिनिधि द्वारा खनन पट्टे के लिये किया गया आवेदन माना जायेगा। आगे, कोई भी खनन पट्टा, खदान अनुज्ञप्ति, अल्पावधि अनुमति पत्र अथवा कोई अनुमति पत्र इन नियमों के प्रावधान के अन्यथा स्वीकृत नहीं किया जायेगा और यदि स्वीकृत किया जाता है, तो निष्प्रभावी एवं निरर्थक समझा जावेगा।

खनि अभियन्ता, करौली के अभिलेखों की मापक जांच से ज्ञात हुआ (नवम्बर 2008) कि सैण्ड स्टोन खनिज का एक खनन पट्टा (क्र. 9/04) एक आवेदनकर्ता के पक्ष में 12 जनवरी 2005 को जारी किया गया। चूंकि आवेदनकर्ता की मृत्यु 30 मई 2004 को हो गई थी, खनन पट्टा इकरारनामा उसकी पत्नी द्वारा निष्पादित किया गया, जबकि उसके स्वामित्व में पूर्व में ही ख.अ. करौली के क्षेत्राधिकार में स्थित सैण्ड स्टोन खनिज के दो खनन पट्टे (क्र. 1/99 और 36/01) थे। इस प्रकार, तीसरे खनन पट्टे के इकरारनामे का निष्पादन रा.अ.ख.रि.नि. के नियम 11 व 74 का उल्लंघन था और नियम 72 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रारम्भ से ही निष्प्रभावी एवं निरर्थक हो गया था। आबंटी ने क्षेत्र में कार्य किया एवं 31 मार्च 2008 तक 3,060 मैट्रिक टन सैण्ड स्टोन खनिज भेज दिया। विद्यमान क्षेत्र में खनन गतिविधियां अवैधानिक थी, विभाग ने 13.46 लाख रुपये के भेजे गए सैण्ड स्टोन की कीमत के बराबर उस व्यक्ति को अदेय लाभ दे दिया।

प्रकरण दिसम्बर 2008 में विभाग के और जनवरी 2009 में सरकार के ध्यान में लाया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2009)।

6.4.13 संरक्षण नियमों की पालना नहीं करने के कारण राजस्व की हानि

ख.रि.नि. के नियम 27 (i)(एन) के प्रावधानानुसार पट्टाधारक अनुपयोगी या विक्रय के अयोग्य उपश्रेणी के अयस्कों या खनिजों का भविष्य में उपयोग करने के लिए उनका समुचित रूप से भण्डारण करेगा।

खनि अभियन्ता, नागौर के अभिलेखों की मापक जांच में पाया गया (जून 2008) कि लिग्नाईट खनिज का पट्टा एक कम्पनी के पक्ष में प्रभावी था। लिग्नाईट खनिज की उत्खनन प्रक्रिया के दौरान, उसके साथ-साथ बेन्टोनाईट और फुलर्स अर्थ खनिजों को

प्राप्त किया जिनको अन्य दूसरी बेकार एवं अन्य रद्दी सामग्री के साथ मिश्रित कर दिया। उसी कम्पनी के पास खनि अभियन्ता, बीकानेर के क्षेत्राधिकार में लिग्नाईट खनिज का एक पट्टा भी था, जहां वह फुलर अर्थ खनिज का अलग से भण्डारण कर रही थी। क्षेत्र के निरीक्षण प्रतिवेदन और खनन योजना के आधार पर लेखापरीक्षा द्वारा की गई गणना के अनुसार फुलर अर्थ की मात्रा 2,68,808 मैट्रिक टन थी। फुलर अर्थ खनिज को बेकार एवं रद्दी सामग्री के साथ मिश्रित करने के परिणामस्वरूप 1.34 करोड़ रुपये के अधिशुल्क की हानि हुई क्योंकि खनिज के दुबारा प्राप्त करने की कोई सम्भावना नहीं थी।

इसे ध्यान में लाये जाने के पश्चात् खनि अभियन्ता, नागौर ने बताया (जून 2008) कि खनिज के औद्योगिक उपयोग को सुनिश्चित करने के बाद आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। यद्यपि, तथ्य यह रहते हैं कि नियमों के प्रावधानानुसार फुलर अर्थ एवं अन्य खनिजों का अलग-अलग भण्डारण करना चाहिये था। आगे विभाग के अधीक्षण भू-वैज्ञानिक ने स्वीकार किया (3 अप्रैल 2008) कि यह एक औद्योगिक खनिज है।

यह ध्यान में लाये जाने के पश्चात् (जुलाई 2008), विभाग ने बताया (सितम्बर 2009) कि 1.34 करोड़ रुपये की मांग कायम की जा चुकी है। वसूली की प्रगति प्राप्त नहीं हुई है (अक्टूबर 2009)।

प्रकरण नवम्बर 2008 में सरकार के ध्यान में लाया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009)।

6.5 सरकारी आदेशों की पालना नहीं करना

सरकारी आदेशों में निम्नानुसार प्रावधान है:

(i) राजस्व के प्रतिदायों की उचित संवीक्षा करना;

(ii) जिप्सम खनिज पर प्रीमियम प्रभारों का आरोपण करना;

(iii) एमनेस्टी योजना के तहत पुरानी देयताओं के जमा पर ब्याज का अधित्याग; एवं

(iv) सभी सरकारी देयताओं का निर्धारण, लेखांकन एवं वसूली करना।

खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता द्वारा अनुच्छेद 6.5.1 से 6.5.5 में उल्लेखित प्रकरणों में सरकार के कुछ आदेशों की पालना नहीं करने के परिणामस्वरूप 10.97 करोड़ रुपये के अनियमित ब्याज का अधित्याग तथा अनुज्ञप्ति शुल्क/प्रीमियम प्रभारों की अवसूली हुई।

6.5.1 अनुज्ञप्ति शुल्क की मांग कायम व वसूल न करना

राजस्थान सरकार के खान एवं भू-विज्ञान विभाग की नियमपुस्तिका के प्रावधानों के अनुसार सम्बन्धित खनि अभियन्ता अपने अभिलेखों की आवश्यक संवीक्षा करने के पश्चात् राजस्व प्रतिदाय के प्रकरणों को प्रार्थी पर बकाया राशि को स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान को अग्रेषित करेगा।

निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान के अभिलेखों की मापक जांच में पाया गया (नवम्बर 2007) कि एक कम्पनी के विरूद्ध 1993-94 से 2005-06 की अवधि के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क के 9.85 करोड़ रुपये बकाया थे। कम्पनी के अनुज्ञप्ति शुल्क एवं विकास प्रभारों के 32.50 करोड़ रुपये जमा थे जिसमें से 10.62 करोड़ रुपये अनुज्ञप्ति शुल्क के पेटे 30 मार्च 2007 को लौटा दिये। तथापि, न तो लौटाई गई राशि से अनुज्ञप्ति शुल्क की बकाया राशि का समायोजन किया गया और न ही मांग कायम कर मांग एवं संग्रहण पंजिका में दर्ज की गई।

यह ध्यान में लाये जाने के पश्चात् (नवम्बर 2007), ख.अ., उदयपुर ने लेखापरीक्षा आक्षेप को स्वीकार किया एवं 9.85 करोड़ रुपये की मांग कायम की (7 मई 2008)। विभाग ने आगे सूचित किया (अगस्त 2009) कि 9.42 करोड़ रुपये की राशि की वसूली की जा चुकी है।

प्रकरण सरकार को सूचित किया गया (अप्रैल 2008), उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009)।

6.5.2 प्रीमियम प्रभारों की अवसूली

राज्य सरकार ने अप्रैल 2005 में जिप्सम के उत्खनन एवं संप्रेषण के लिए रा.रा.खा.ख.लि. व भारतीय खाद्य निगम लिमिटेड को अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किया। अभिकर्ताओं के लिए प्रत्येक क्षेत्र से प्रति माह 2,000 मैट्रिक टन की न्यूनतम मात्रा में जिप्सम का उत्पादन एवं प्रेषण किया जाना अपेक्षित था, जिसमें असफल होने पर अभिकर्ता द्वारा प्रत्येक क्षेत्र के लिए प्रतिमाह न्यूनतम प्रीमियम प्रभार 40,000 रुपये सम्बन्धित ख.अ./स.ख.अ. को देय थे।

मार्च 2009 में स.ख.अ., श्रीगंगानगर और जून 2008 में ख.अ., बीकानेर के अभिलेखों की मापक जांच के दौरान प्रकट हुआ कि अभिकर्ता कम्पनियां उनको आवंटित क्षेत्र से प्रत्येक माह अपेक्षित न्यूनतम मात्रा 2,000 टन जिप्सम का उत्पादन एवं प्रेषण करने में असफल रही। न्यूनतम प्रीमियम प्रभार के 69.20 लाख रुपये की मांग देय हुई परन्तु विभाग द्वारा न तो मांग कायम की गई और न ही वसूली की गई।

प्रकरण ध्यान में लाये जाने के पश्चात् विभाग ने बताया (अगस्त 2008 और जुलाई 2009) कि दोनों मामलों में 69.20 लाख रुपये की मांग कायम की गई है। वसूली की प्रगति प्राप्त नहीं हुई है (अक्टूबर 2009)।

प्रकरण अप्रैल 2009 में सरकार के ध्यान में लाया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009)।

6.5.3 एमनेस्टी योजना के अधीन ब्याज का अनियमित अधित्याग

राज्य सरकार के आदेश दिनांक 2 फरवरी 2008 के द्वारा एमनेस्टी योजना 2007-08 प्रारंभ की गई जो कि अधिशुल्क/अधिक अधिशुल्क की समस्त बकाया मांगो तथा 1 अप्रैल 2005 से पूर्व की अन्य विभागीय राजस्व, जिसकी मांग 1 अप्रैल 2005 से पूर्व या बाद में कायम की गई हो, पर लागू थी। यह योजना मांग के उन प्रकरणों में लागू

नहीं थी जो प्रभावी खनन पट्टा तथा अधिशुल्क संग्रहण संविदा/अधिक अधिशुल्क संग्रहण संविदा के सम्बन्ध में बकाया है।

6.5.3.1 खनि अभियन्ता, धौलपुर के अभिलेखों की मापक जांच में पता चला (नवम्बर 2008) कि खनिज सैण्ड स्टोन का एक पट्टा जनवरी 1949 से एक कंपनी के पक्ष में प्रभावी था। 1 मई 1980 से 3 मई 1994 की अवधि का 9.78 लाख रुपये का स्थिर भाटक एवं उस पर ब्याज कंपनी के विरूद्ध बकाया थे। पट्टाधारक ने 9.78 लाख रुपये की मूल बकाया राशि जमा (मार्च 2008) कराई तथा 35.21 लाख रुपये की बकाया ब्याज की राशि के अधित्याग के लिये आवेदन किया जिसको कि ख.अ. धौलपुर द्वारा अनुमत्य किया गया। ब्याज का अधित्याग एमनेस्टी योजना के प्रावधानों के अनुसार नहीं था क्योंकि पट्टा प्रभावी था।

नवम्बर 2008 में यह ध्यान में लाये जाने के पश्चात् ख.अ., धौलपुर ने बताया कि ब्याज की छूट अधीक्षण खनि अभियन्ता, भरतपुर के निर्णय के आधार पर दी गई थी। कार्यवाही अनियमित थी तथा तथ्य ये रहते है कि एमनेस्टी योजना में प्रभावी खनन पट्टे पर ब्याज की छूट का प्रावधान नहीं था।

6.5.3.2 निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान, उदयपुर के अभिलेखों की मापक जांच में पता चला (दिसम्बर 2008) कि पांच ख.अ./स.ख.अ. कार्यालयों[15] में अधिशुल्क संग्रहण संविदा/अधिक अधिशुल्क संग्रहण संविदा पर ब्याज की कुल बकाया राशि 7.48 लाख रुपये की एमनेस्टी योजना के प्रावधानों के विपरीत छूट दे दी गई।

यह ध्यान में लाये जाने के पश्चात् (दिसम्बर 2008), निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान ने बताया (जनवरी 2009) कि सम्बन्धित ख.अ./स.ख.अ. कार्यालयों से सूचना मांगी जा रही थी।

मामला सरकार को सूचित किया गया (अप्रैल 2009); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009)।

6.5.4 मांग व संग्रहण पंजिका में मांग का इंद्राज नहीं करने के कारण राजस्व की अवसूली

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम 278 के अनुसार सभी सरकारी बकाया का निर्धारण, लेखांकन व वसूली की जानी चाहिए।

सहायक खनि अभियन्ता, जालौर के अभिलेखों की मापक जांच में पाया गया (अगस्त 2008) कि 31 प्रकरणों में अधिशुल्क के निर्धारणों को 24 जून 2000 एवं 26 दिसम्बर 2007 के मध्य अन्तिम रूप दिया गया और 8.79 लाख रुपये की राशि वसूली योग्य थी, लेकिन न तो मांग कायम की गई और न ही माँ.सं.पं.[16] में इन्द्राज किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 8.79 लाख रुपये की अवसूली हुई।

[15] बालेसर, भीलवाड़ा, धौलपुर, झालावाड़ एवं कोटा।

[16] मांग एवं संग्रहण पंजिका।

इसे ध्यान में लाने के पश्चात् (सितम्बर/नवम्बर 2008) विभाग/सरकार ने बताया (जून 2009) कि मांग कायम कर माँ.सं.पं. में इन्द्राज कर दिया गया था। वसूली की प्रगति प्राप्त नहीं हुई है (अक्टूबर 2009)।

6.5.5 नियमों में कमियां

रा.अ.ख.रि. नियमों के नियम 63 के सपठित शासकीय आदेश दिनांक 3 अक्टूबर 2001 में प्रावधान है कि निर्माण ठेकेदारों को उनके कार्यों में उपयोग लिए जाने वाले खनिजों के लिये सम्बन्धित ख.अ./स.ख.अ. से अग्रिम में अ.अ.प. प्राप्त करना होगा। यदि एक अनुमति पत्र धारक ने अनुमति पत्र में निर्दिष्ट समय के अन्दर अनुमति पत्र में दी गई मात्रा से 10 प्रतिशत सीमा तक अधिक मात्रा में खनिज उत्खनित किया तथा ले गया है, तो अनुमति पत्र धारक से अधिक उत्खनित खनिज के लिए अधिशुल्क का केवल एकल प्रभार लिया जायेगा। यदि अनुमति पत्र धारक ने अ.अ.प. में स्वीकृत मात्रा से 25 प्रतिशत से अधिक मात्रा में उत्खनन किया एवं ले गया है तो अनुमति पत्र में स्वीकृत मात्रा से अधिक उत्खनित एवं हटायी गई समस्त मात्रा को अनधिकृत उत्खनन माना जावेगा तथा अनुमति पत्र धारक ऐसे अधिक उत्खनित एवं हटाई गई खनिज की कीमत भुगतान करने का दायी होगा, जो कि रा.अ.ख.रि. नियमों के नियम 48 के द्वारा निर्धारित प्रचलित दरों पर रायल्टी का 10 गुणा होगा। तथापि, अनुमति पत्र में स्वीकृत मात्रा से 10 से 25 प्रतिशत अधिक सीमा के मध्य उत्खनित एवं हटाई गई खनिज की लागत की वसूली के बारे में नियम 63 मौन है।

ख.अ., भरतपुर के अभिलेखों की मापक जांच में पाया गया (अक्टूबर 2008) कि एक ठेकेदार को 30 जुलाई 2005 को एक सड़क कार्य आवंटित किया गया। ठेकेदार को अ.अ.प. में मैसेनरी पत्थर की 51,585 मैट्रिक टन मात्रा हेतु अधिकृत किया गया, जिसके विरूद्ध 62,544.71 मैट्रिक टन उपयोग किया गया, इस प्रकार स्वीकृत अ.अ.प. से 10,969.71 मैट्रिक टन (21.26 प्रतिशत) अधिक मैसेनरी स्टोन का उपयोग किया गया। ख.अ., भरतपुर ने वसूली योग्य राशि 18.38 लाख रुपये के विरूद्ध अधिशुल्क की 10.01 लाख रुपये की राशि वसूल की। परिणामस्वरूप नियमों में कमी के कारण 8.37 लाख रुपये के खनिज की कीमत की कम वसूली हुई।

यह ध्यान में लाने के उपरान्त ख.अ., भरतपुर ने बताया (अक्टूबर 2008) कि नियमानुसार अधिशुल्क की एकल प्रभार से वसूली की गई। तथापि, तथ्य यह रहते है कि अ.अ.प. में स्वीकृत मात्रा से 10 प्रतिशत से अधिक मात्रा में मैसेनरी स्टोन खनिज का उपयोग करने पर ऐसे खनिज की कीमत की वसूली की जानी थी।

प्रकरण सरकार और विभाग के ध्यान में लाया गया (नवम्बर 2008); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2009)।

स. नगरीय विकास विभाग

6.6 लेखापरीक्षा टिप्पणियां

यह निर्धारण करने के क्रम में, कि क्या राजस्थान आवासन मण्डल (रा.आ.मं.) एवं नगर सुधार न्यासों (न.सु.न्या.) द्वारा लीज राशि का संग्रहण एवं जमा राजकोष में की गई,

विभिन्न उप आवासन आयुक्तों (उ.आ.आ.) तथा न.सु.न्या. के अभिलेखों की संवीक्षा की गई। अभिलेखों की मापक जांच में प्रकाश में आए राजस्थान आवासन मण्डल लागत के सिद्धान्त (1993-संशोधित), राजस्थान नगर सुधार न्यास (शहरी भूमि का निष्पादन) नियम, 1974 के प्रावधानों तथा शासकीय आदेशों की पालना नहीं करने के अनेक मामलों तथा अन्य मामलों का इस अध्याय के अनुवर्ती अनुच्छेदों में उल्लेख किया गया है। यह प्रकरण निदर्शी हैं तथा लेखापरीक्षा द्वारा की गई मापक जांच पर आधारित हैं। लेखापरीक्षा होने तक ये प्रकाश में नहीं आए थे। सरकार को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है ताकि ऐसे प्रकरणों की पुनरावर्ती को रोका जा सके।

6.7 नियमों के प्रावधानों की अवहेलना

राजस्थान आवासन मण्डल लागत के सिद्धान्त (1993-संशोधित) तथा राजस्थान नगर सुधार न्यास (शहरी भूमि का निष्पादन) नियम, 1974 में निम्नानुसार प्रावधान हैं:

(i) रा.आ.मं. एवं न.सु.न्या. के मामलों में लीज या भूमि का किराया राज्य की समेकित निधि में जमा कराना चाहिये;

(ii) पट्टेधारी से लीज या भूमि किराये का संग्रहण;

(iii) सम्पत्ति का सही मूल्यांकन; तथा

(iv) निर्धारित दरों पर भूमि के किराये का निर्धारण।

उ.आ.आ./न.सु.न्या. ने अनुच्छेद 6.7.1 से 6.7.7 में उल्लेखित प्रकरणों में उक्त प्रावधानों की जांच नहीं की। इसके परिणामस्वरूप 61.74 करोड़ रुपये की लीज राशि या भूमि किराये का हस्तान्तरण/वसूली नहीं/कम वसूली हुई।

6.7.1 लीज राशि सरकारी खाते में जमा नहीं करना/कम जमा करना

6.7.1.1 आठ उ.आ.आ. वृत्तों[17] के अभिलेखों की मापक जांच में पता चला कि 2003-04 से 2007-08 की अवधि के दौरान सरकार के पक्ष में वसूल 43.22 करोड़ रुपये की लीज राशि राज्य के समेकित निधि में जमा/हस्तान्तरित नहीं हुई।

यह ध्यान में लाये जाने के पश्चात् उप आवासन आयुक्तों ने अगस्त 2008 एवं मार्च 2009 के मध्य बताया कि लीज राशि की संग्रहित राशि को वृत्त स्तर पर सरकार को हस्तान्तरित नहीं किया गया परन्तु लीज राशि को आयुक्त, रा.आ.मं., जयपुर के क्षेत्राधिकार में आने वाले नोडल बैंक के खाते में रखा गया है तथा इस सम्बन्ध में कार्यवाही उनके स्तर पर की जावेगी।

मामला जुलाई 2008 में आयुक्त, रा.आ.मं. के ध्यान में लाया गया तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2009)।

[17] अलवर, बीकानेर, जयपुर -I, II, III, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर।

6.7.1.2 न.सु.न्या., अजमेर के अभिलेखों की मापक जांच में पता चला कि 31.3.2003 को लीज राशि की राजकीय हिस्से की 2.20 करोड़ रुपये की राशि राजकोष में हस्तान्तरित नहीं की गई। इसके अतिरिक्त 4 न.सु.न्या.[18] के अभिलेखों की मापक जांच में पता चला कि 2003-04 से 2007-08 के दौरान लीज राशि एवं ब्याज के 63.00 करोड़ रुपये की राशि वसूल की गई। इसमें से 37.80 करोड़ रुपये की राशि, जो कुल संग्रहण का 60 प्रतिशत है, राजकोष में जमा करना आवश्यक था। तथापि, न.सु.न्या. ने मात्र 28.42 करोड़ रुपये हस्तान्तरित किये। इस प्रकार लीज राशि के 11.58 करोड़ रुपये की कुल राशि राजकोष में हस्तान्तरित नहीं हुई।

यह ध्यान में (अगस्त 2008 से मार्च 2009) लाये जाने के पश्चात् सरकार ने बताया (अक्टूबर 2009) कि न.सु.न्या., अजमेर व उदयपुर के सम्बन्ध में लीज राशि की अन्तर राशि 1.78 करोड़ रुपये राजकोष में जमा करवा दी गई है। शेष मामलों के सम्बन्ध में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्टूबर 2009)।

6.7.2 लीज राशि एवं ब्याज की वसूली/मांग कायम न करना

6.7.2.1 परिपत्र दिनांक 1.10.2002 से राज्य सरकार द्वारा निर्देश जारी किये गये थे कि लीज राशि की प्राथमिकता से वसूली की जावे। आगे, रा.आ.मं., जयपुर द्वारा समस्त उ.आ.आ. को परिपत्र दिनांक 27.2.2001 द्वारा तुरन्त प्रभाव से लीज धारकों के व्यक्तिगत खाते रखे जाने के निर्देश जारी किये गये।

सात रा.आ.मं. वृत्तों[19] के अभिलेखों की मापक जांच में पता चला कि 73 प्रकरणों में लीज राशि एवं ब्याज की 5.29 करोड़ रुपये की राशि (**परिशिष्ट "जी"**), जो लेखापरीक्षा द्वारा गणना की गई, कि न तो मांग कायम की गई और न ही वसूली की गई।

अगस्त 2008 एवं मार्च 2009 के मध्य सम्बन्धित उ.आ.आ. के ध्यान में लाये जाने के पश्चात्, समस्त उ.आ.आ. ने बताया (सितम्बर 2009) कि समस्त प्रकरणों में मांग नोटिस जारी कर दिये गये हैं, जिनमें से तीन मामलों में, जो उ.आ.आ. अलवर, जयपुर-I एवं उदयपुर के प्रत्येक के एक प्रकरण हैं, 7.56 लाख रुपये की राशि वसूल कर ली गई है।

6.7.2.2. राज्य सरकार द्वारा परिपत्र दिनांक 1.10.2002 से समस्त न.सु.न्या. एवं रा.आ.मं. को प्राथमिक आधार पर लीज राशि की बकाया राशि को वसूल करने के निर्देश जारी किये।

छः न.सु.न्या.[20] के अभिलेखों की मापक जांच में पता चला कि 86.63 लाख रुपये के 38 मामलों में लीज राशि की न तो मांग कायम की गई और न ही वसूली की गई।

अगस्त 2008 और मार्च 2009 के मध्य यह ध्यान में लाये जाने के पश्चात् सरकार ने बताया (अक्टूबर 2009) कि न.सु.न्या. अजमेर व उदयपुर के 23 मामलों में से, अजमेर

[18] अजमेर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर।
[19] अलवर, जयपुर -I, II, III, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर।
[20] अजमेर, अलवर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर।

के दो मामलों व उदयपुर के तीन मामलों के सम्बन्ध में 31.83 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी है और शेष मामलों में मांग नोटिस जारी कर दिये हैं। वसूली की प्रगति और शेष न.सु.न्या. का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्टूबर 2009)।

6.7.3 सम्पत्ति के अवमूल्यांकन के कारण रा.आ.मं. द्वारा लीज राशि का कम आरोपण

सम्पत्ति निष्पादन के नियम, 1970 के नियम 34 के अधीन सम्पत्ति आवंटन समिति को सम्पत्ति के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्रों के चयन की शक्तियां दी गई हैं। आवंटन अनुमोदित प्रचलित आरक्षित दरों पर किया जा सकता है।

उ.आ.आ. वृत्त-I, जयपुर के अभिलेखों की मापक जांच में पता चला कि सम्पत्ति के अवमूल्यांकन के कारण लीज राशि के वसूलनीय 11.67 लाख रुपये के स्थान पर मात्र 7.50 लाख रुपये वसूल किये। इसके परिणामस्वरूप तीन मामलों में 4.17 लाख रुपये का कम आरोपण हुआ।

मामला मण्डल के ध्यान में लाया गया (अगस्त 2008); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009)।

6.7.4 कम दर लगाने के कारण राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम पर लीज राशि का कम आरोपण

उ.आ.आ. वृत्त- I, जयपुर के अभिलेखों की मापक जांच में पता चला कि प्रतापनगर, जयपुर के सैक्टर- 10 की 15,550 वर्ग मीटर माप की भूमि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (रा.रा.प.प.नि.) को आवंटन आदेश संख्या 6 दिनांक 3.1.1994 (प्रभावी 19.7.1993) से डिपो के निर्माण के लिये आवासीय दर पर 0.31 लाख रुपये वार्षिक लीज राशि पर आवंटित की गई। रा.रा.प.प.नि. एक वाणिज्यिक उपक्रम होने से लीज राशि 7/94 से 6/08 की अवधि के लिये भूमि की लागत के 5 प्रतिशत से वाणिज्यिक दर पर वसूलनीय थी। परन्तु मण्डल द्वारा रा.रा.प.प.नि. से लीज राशि एवं ब्याज की राशि के सम्बन्ध में न तो मांग कायम की और न ही वसूली की। इसके परिणामस्वरूप 19.09 लाख रुपये का कम आरोपण हुआ।

यह ध्यान में लाये जाने के पश्चात् उ.आ.आ. वृत्त-I, जयपुर ने बताया (अगस्त 2008) कि इस मामले की जांच के बाद प्रगति से अवगत करा दिया जावेगा।

6.7.5 रियायती आरक्षित दरों पर लीज राशि की गणना करने के कारण संस्थाओं से लीज राशि का कम आरोपण

कार्यालय आदेश दिनांक 26.9.1992 के अनुसार लीज राशि मूल आरक्षित दर पर गणना की गई भूमि की कुल लागत पर एक बार वसूल करनी होगी, चाहे संस्थाओं को आरक्षित दर के आधे या उससे कम दर पर आवंटन किया गया हो।

उ.आ.आ., जोधपुर के अभिलेखों की मापक जांच में पता चला कि संस्थाओं से लीज राशि मूल आरक्षित दर के स्थान पर रियायती आरक्षित दर से गणना की गई भूमि की कुल लागत पर वसूल की गई। इसके परिणामस्वरूप सात मामलों में 45.30 लाख रुपये की लीज राशि एवं ब्याज का कम आरोपण हुआ।

रा.आ.मं. को मामला सूचित किया गया (नवम्बर 2008); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009)।

6.7.6 न.सु.न्या., अजमेर द्वारा लीज राशि पर वसूले गये ब्याज के राजकीय हिस्से को जमा नहीं कराना

राजस्थान नगर सुधार न्यास (शहरी भूमि का निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 7(5) के अधीन शहरी निर्धारण (भूमि का किराया) के विलम्ब से भुगतान पर निर्धारित दर से ब्याज प्रभारित होगा।

न.सु.न्या., अजमेर के अभिलेखों की मापक जांच में पता चला कि प्रत्येक प्रकार के विलम्ब से भुगतान पर प्राप्त ब्याज को बिना वर्गीकरण के तथा लीज राशि पर प्राप्त ब्याज को अलग किये बिना, एक ही खाते में रखा जाता था। आगे लीज राशि जमा के चालानों से यह पता चला कि न.सु.न्या. द्वारा वर्ष 2007-08 में ब्याज के रूप में 116.37 लाख रुपये प्राप्त किये गए, जिसमें से 16.23 लाख रुपये लीज राशि पर ब्यांज के सम्बन्ध में थे। इसमें से 9.74 लाख रुपये (60 प्रतिशत) राजकोष में जमा कराये जाने चाहिये थे। इसके अतिरिक्त वर्ष 2003-04 से 2006-07 के लिये लीज राशि की गणना उक्त रीति से की जानी चाहिए थी तथा राजकोष में जमा कराना चाहिए था।

यह ध्यान में लाये जाने के पश्चात् न.सु.न्या., अजमेर ने बताया (सितम्बर 2008) कि नियमों के अनुसार राशि जमा करवा दी जावेगी।

6.7.7 रा.आ.मं./न.सु.न्या. द्वारा लीज धारकों के व्यक्तिगत खातों का रख-रखाव नहीं करना

सम्बन्धित संस्थाओं को प्रत्येक लीज धारक का व्यक्तिगत खाता रखना चाहिये ताकि लीज राशि की कुल मांग, संग्रहण एवं बकाया शेष की जानकारी तुरन्त हो सके।

छः न.सु.न्या.[21] एवं रा.आ.मं. के आठ वृत्तों[22] के अभिलेखों की मापक जांच में पता चला कि लीज धारकों के व्यक्तिगत खातों का रख-रखाव नहीं हो रहा था। व्यक्तिगत खातों के अभाव में लीज राशि की मांग की कुल राशि, संग्रहण एवं बकाया शेषों की गणना नहीं हो सकी।

अगस्त 2008 एवं मार्च 2009 के मध्य यह ध्यान में लाये जाने के पश्चात् सम्बन्धित कार्यालयों ने अभिलेखों की रख-रखाव नहीं होने की पुष्टि की। उ.आ.आ. वृत्त जयपुर- II, III एवं कोटा ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए यह भी बताया कि लीज धारकों के व्यक्तिगत खातों के रख-रखाव के लिए नया कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा था।

उक्त टिप्पणियों को सरकार एवं विभाग के ध्यान में लाया गया (मई 2009), उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (अक्टूबर 2009)।

---

[21] अजमेर, अलवर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर।

[22] अलवर, बीकानेर, जयपुर -I, II, III, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर।

द. गृह (पुलिस) विभाग

6.8 मांग कायम न करना

पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 13 के अन्तर्गत, किसी भी व्यक्ति द्वारा आवश्यकता दर्शाते हुए आवेदन करने पर पुलिस कर्मियों का अभिनियोजन किया जा सकता है। ऐसे अभिनियोजन पर आवेदन करने वाले व्यक्तियों से प्रभार वसूला जायेगा।

पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जयपुर शहर (दक्षिण) के अभिलेखों की मापक जांच से प्रकट हुआ कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (रा.क्रि.ए.) के निवेदन पर 11 अक्टूबर 2006 से 2 नवम्बर 2006 तक एस.एम.एस. स्टेडियम में आई.सी.सी. चैम्पियन ट्रॉफी 2006 के क्रिकेट मैचों के दौरान पुलिस बल अभिनियोजित किए गए। तथापि, विभाग द्वारा रा.क्रि.ए. के निवेदन पर अभिनियोजित पुलिस बल के अभिनियोजन की लागत राशि 84.98 लाख रुपये की मांग कायम करने हेतु कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई।

मई 2009 में इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर, सरकार ने सूचित किया (जुलाई 2009) कि रा.क्रि.ए. के विरूद्ध 1.15 करोड़ रुपये की मांग कायम की जा चुकी है। आगे वसूली की प्रगति प्राप्त नहीं हुई (अक्टूबर 2009)।

मीरा स्वरूप

जयपुर
दिनांक
24 February फरवरी 2010

(मीरा स्वरूप)
महालेखाकार
(वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा), राजस्थान

प्रतिहस्ताक्षरित

Vinod Rai

नई दिल्ली
दिनांक
25 February फरवरी 2010

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट-ए
(सन्दर्भ अनुच्छेद 1.12)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शाये गये एवं जन लेखा समिति में चर्चा हेतु 31 अक्टूबर 2009 को बकाया अनुच्छेदों की स्थिति

कर का नाम		2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	योग
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाये गये अनुच्छेद	15	7	6	14	11	5	58
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	-	-	-	14	11	5	30
मोटर वाहनों पर कर	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाये गये अनुच्छेद	7	3	8	6	6	9	39
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	-	-	8	6	6	9	29
भू-राजस्व	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाये गये अनुच्छेद	2	2	4	2	1	4	15
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	-	-	4	2	1	4	11
मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाये गये अनुच्छेद	1	4	3	3	3	4	18
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	-	-	-	3	3	4	10
राज्य आबकारी शुल्क	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाये गये अनुच्छेद	5	3	4	2	5	4	23
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	-	-	-	2	5	4	11
भूमि एवं भवन कर	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाये गये अनुच्छेद	3	5	-	-	-	-	8
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	-	5	-	-	-	-	5
खनन	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाये गये अनुच्छेद	8	5	1	9	9	9	41
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	-	5	1	9	9	9	33
अन्य	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाये गये अनुच्छेद	4	2	1	3	6	4	20
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	1	-	-	3	6	4	14
योग	**लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाये गये अनुच्छेद**	**45**	**31**	**27**	**39**	**41**	**39**	**222**
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	**1**	**10**	**13**	**39**	**41**	**39**	**143**

परिशिष्ट-बी
(सन्दर्भ अनुच्छेद 1.12)

31 अक्टूबर 2009 को विभागों से बकाया क्रियान्विति विषयक टिप्पणियों की स्थिति

क्र. सं.	जन लेखा समिति के प्रतिवेदनों के क्रमांक	विधानसभा में उपस्थापित दिनांक	विभाग का नाम	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	बकाया क्रियान्विति विषयक टिप्पणिय
1.	119 वां प्रतिवेदन 1997-1998	27.7.2000	परिवहन	1994-95 एवं 1995-96	39
2.	210 वां प्रतिवेदन 2003-04	25.8.03	देवस्थान	1997-98	14
3.	216 वां प्रतिवेदन 2003-04	25.8.03	भू-राजस्व	1998-99	14
4.	217वां प्रतिवेदन 2003-04	25.8.03	बिक्री कर	1998-99	13
5.	219वां प्रतिवेदन 2003-04	8.8.2003	सिंचाई	1998-99 से 2000-01	8
6.	88वां प्रतिवेदन 2004-05	2.12.2004	बिक्री कर	2001-02	2
7.	89वां प्रतिवेदन 2004-05	2.12.2004	भू-राजस्व	2000-01	3
8.	98वां प्रतिवेदन 2004-05	31.3.2005	राज्य आबकारी	2001-02	5
9.	116 वां प्रतिवदेन 2005-06	4.3.2006	भूमि भवन कर	2000-01 2001-02	8
10.	119 वां प्रतिवेदन 2005-06	4.3.2006	परिवहन	2000-01	6
11.	138 वां प्रतिवेदन 2005-06	27.3.2006	पंजीयन एवं मुद्रांक	2000-01	4
12.	139वां प्रतिवेदन 2005-06	27.3.2006	पंजीयन एवं मुद्रांक	2001-02	5
13.	168 प्रतिवेदन 2006-07	4.10.2006	राज्य आबकारी	2002-03	15
14.	167वां प्रतिवेदन 2006-07	4.10.2006	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	2003-04 2004-05	1
15.	187 वां प्रतिवेदन 2006-07	29.3.2007	राज्य आबकारी	2003-04 एवं 2004-05	7
16.	189 वां प्रतिवेदन 2006-07	29.3.2007	भूमि भवन कर	1999-2000	6
17.	190 वां प्रतिवेदन 2006-07	29.3.2007	भू-राजस्व	1999-2000	12
18.	191 वां प्रतिवेदन 2006-07	29.3.2007	पंजीयन एवं मुद्रांक	2002-03	17
19.	193 वां प्रतिवेदन 2006-07	29.3.2007	ब्याज प्राप्ति एवं गारन्टी कमीशन	2001-02	12
20.	251 वां प्रतिवेदन 2007-08	17.3.2008	खान	2001-02	8
21.	252 वां प्रतिवेदन 2007-08	17.3.2008	खान	2002-03	10
22.	255 वां प्रतिवेदन 2007-08	17.3.2008	भू-राजस्व	2003-04	2
23.	260 वां प्रतिवेदन 2007-08	17.3.2008	बिक्री कर	2003-04	4
24.	268वां प्रतिवेदन 2008-09	15.7.2008	सामान्य प्रशासन	2002-03	5
25.	269वां प्रतिवेदन 2008-09	15.7.2008	पंजीयन एवं मुद्रांक	2003-04	10
26.	270वां प्रतिवेदन 2008-09	15.7.2008	पंजीयन एवं मुद्रांक	2004-05	4
योग					**234**

परिशिष्ट-सी

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.2.6)

प्रतिदर्श आकार की गणना दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(अ) प्रतिदर्श चयन का प्रथम चरण (प्रा.प. कार्यालयों/जि.प. कार्यालयों का चयन)

राज्य में 37 वाहन पंजीयन जिले हैं, उनमें से समीक्षा के लिए एक तिहाई (12)परिवहन जिलों का चयन, उनके द्वारा प्राप्त राजस्व की मात्रा के आधार पर उनको तीन श्रेणियों - **अ, ब एवं स** में वगीकृत करने के बाद "पुनः स्थापना सहित आकार के अनुरूप सम्भावना" पद्धति से किया गया।

(ब) प्रतिदर्श चयन का द्वितीय चरण (अभिलेखों का चयन)

सर्वोत्तम प्रतिदर्श आकार को चयनित करने का सूत्र निम्नानुसार है:

$$\frac{(Z)^2 P (1-P)}{(E)^2}$$

यहां 'Z' विश्वास के स्तर (प्रतिशतता में) का सूचक है, 'Z' का मान स्थिर है।
'P' औसत लेखापरीक्षा आपत्तियों (प्रतिशतता में) का सूचक है।
'E' अशुद्धियों की सीमा (प्रतिशतता में) का सूचक है।

इन घटकों का मान (श्रेणीवार) निम्नानुसार लिया गया था:

श्रेणी	विश्वास का स्तर (प्रतिशत में) (Z)	'Z' का मान	अशुद्धियों की सीमा (प्रतिशत में) (E)	औसत लेखापरीक्षा आपत्तियां (प्रतिशत में) (P)	जांचे गये अभिलेखों की संख्या
श्रेणी –I	99	2.58	2	1	165
श्रेणी -II	99	2.58	3	5	350
श्रेणी –III	99	2.58	3	5	350
श्रेणी - IV	99	2.58	3	2	150#

प्रयोग में लाये गये उपर्युक्त सूत्र से 145 अभिलेख आते हैं। तथापि, लेखापरीक्षा ने इस श्रेणी के 150 अभिलेखों की जांच की है।

यदि No/N पांच प्रतिशत से अधिक हो तो प्रतिदर्श आकार को उसी अनुपात में कम किया जायेगा।

$$N1 = \frac{No}{1 + \frac{No}{N}}$$

किसी मामले में चयनित अभिलेख का पूर्ण विवरण उपलबध नहीं होने पर प्रतिदर्श आकार को उसी अनुपात में कम किया गया था तथा उसके परिणाम के प्रभाव को राजस्व के अनारोपण/कम आरोपण की कुल अनुमानित राशि की गणना में लिया गया था।

परिशिष्ट-डी

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.2.6)

समीक्षा के लिए प्रतिदर्श द्वारा चयनित 12 इकाइयों को दर्शाने वाला विवरण - पत्र

क्र.सं	इकाई का नाम	श्रेणी	परिशिष्ट	पृ.सं.	रेण्डम संख्या की क्रम संख्या	कॉलम संख्या	रेण्डम संख्या	चयनित प्रतिदर्श	वाहनों की संख्या	अन्तराल	प्रथम क्रमांक	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	प्रा.प. का., जयपुर	I	III	1	00001	2	05	165	504874	3060	आर.जे.-14-40एम-5219	
		II	"	2	00055	4	85	350	26784	76	आर.जे.-14-पी-0085	
		III	"	3	00111	5	94	350	49820	142	आर.जे.-14-जी-0094	
		IV	"	4	00182	2	07	150	13009	87	आर.जे.-14-टी -0007	
2.	जि.प. का., श्रीगंगानगर	I	III	1	00001	3	94	165	49957	302	आर.जे.13-6-एम -4632	
		II	"	2	00055	5	61	350	5519	16	आर.जे.13-पी -0061	
		III	"	3	00111	6	74	350	14031	40	आर.जे.13- जी -0074	
		IV	"	4	00182	3	97	121	627	05	आर.जे.13-टी -0097	कम किया गया
3.	प्रा. प. का., चित्तौड़गढ़	I	III	1	00001	4	96	165	67546	410	आर.जे.-09-5 एम -2118	
		II	"	2	00055	6	73	350	3645	11	आर.जे.-09-पी -0073	
		III	"	3	00111	7	71	350	13192	37	आर.जे.-09- जी -0071	
		IV	"	4	00182	4	74	129	905	07	आर.जे.-09-टी-0074	कम किया गया
4.	प्रा. प. का., कोटा	I	III	1	00001	5	06	165	117691	713	आर.जे.-20-12- एम -0006	
		II	"	2	00055	7	18	350	8964	26	आर.जे.-20-पी -0018	
		III	"	3	00111	8	36	350	14374	41	आर.जे.-20- जी -0036	
		IV	"	4	00182	5	05	150	2099	14	आर.जे.-20-टी -0005	
5	जि. प. का., ब्यावर	I	III	1	00001	6	37	165	23234	141	आर.जे.-36- एम 8454	
		II	"	2	00055	8	58	268	1152	5	आर.जे.-36-पी -0058	कम किया गया
		III	"	3	00111	9	58	290	1676	6	आर.जे.-36- जी -0058	कम किया गया
		IV	"	4	00182	6	32	110	415	4	आर.जे.-36-टी -0032	कम किया गया
6.	जि. प. का., बारां	I	III	1	00001	7	36	165	42802	165	आर.जे.-28-2एम -6241	
		II	"	2	00055	9	23	237	734	3	आर.जे.-28-पी-0023	कम किया गया
		III	"	3	00111	10	65	312	2837	9	आर.जे.-28- जी -0065	कम किया गया
		IV	"	4	00182	7	17	116	516	5	आर.जे.-28-टी-0017	कम किया गया

क्र.सं	इकाई का नाम	श्रेणी	परिशिष्ट	पृ.सं.	रेण्डम संख्या की क्रम संख्या	कॉलम संख्या	रेण्डम संख्या	चयनित प्रतिदर्श	वाहनो की संख्या	अन्तराल	प्रथम क्रमांक	अभ्युक्ति
7.	जि. प. का., जैसलमेर	I	III	1	00001	8	02	165	8450	51	आर.जे.-15- एम -4965	
		II	"	2	00055	10	20	273	1246	5	आर.जे.-15-पी -0020	कम किया गया
		III	"	3	00112	1	60	304	2293	8	आर.जे -15-जी -0060	कम किया गया
		IV	"	4	00182	8	44	120	603	5	आर.जे -15-टी -0044	कम किया गया
8.	प्रा. प. का., अलवर	I	III	1	00001	9	22	165	117121	710	आर.जे. -02-9 एम -2531	
		II	"	2	00056	1	06	350	2954	9	आर.जे.-02-पी -0006	
		III	"	3	00112	2	05	350	13453	38	आर.जे.-02-जी-0005	
		IV	"	4	00182	9	01	150	495	4	आर.जे.-02-टी -0001	कम किया गया
9.	जि. प. का., कोटपूतली	I	III	1	00001	10	65	165	20195	122	आर.जे.-32- एम -6459	
		II	"	2	00056	2	64	275	1286	5	आर.जे.-32-पी -0064	कम किया गया
		III	"	3	00112	3	09	350	7291	21	आर.जे.-32-जी -0009	
		IV	"	4	00182	10	93	120	596	5	आर.जे.-32-टी-0093	कम किया गया
10.	प्रा. प. का., उदयपुर	I	III	1	00002	1	22	165	124904	757	आर.जे.-27-13 एम -0647	
		II	"	2	00056	3	33	350	7599	22	आर.जे.-27-पी -0033	
		III	"	3	00112	4	32	350	21029	60	आर.जे.-27-जी 32	
		IV	"	4	00183	1	29	150	4447	30	आर.जे.-27-जी -0029	
11	जि. प. का., भीलवाड़ा	I	III	1	-	-	-	300	98580	वर्ष वार		
		II	"	2	00054	4	03	350	3882	11	आर.जे.-06-पी 0003	
		III	"	3	00122	7	03	350	12505	36	आर.जे.-06-जी G-0003	
		IV	"	4	00169	4	03	200	928	05	आर.जे.-06-टी -0003	
12	जि. प. का., सिरोही	I	III	1	00001	1	42	300	23188	वर्ष वार	आर.जे.-24-2 एम -3004	
		II	"	2	00060	4	01	350	3143	9	आर.जे.-24-पी -0001	
		III	"	3	00130	5	90	350	3302	9	आर.जे.-24-जी -0090	
		IV	"	8	00175	9	42	200	928	12	आर.जे.-24-टी -0084	

परिशिष्ट-इ

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.2.6)

गुणक का विवरण - पत्र

समीक्षा की अवधि 2003-04 से 2007-08

क्र.सं.	इकाई का नाम	श्रेणी –I	श्रेणी –II	श्रेणी –III	श्रेणी –IV
		जांचे गये प्रतिदर्श	जांचे गये प्रतिदर्श	जांचे गये प्रतिदर्श	जांचे गये प्रतिदर्श
1	जि. प. का., भीलवाड़ा	300	350	350	200
2	जि. प. का., सिरोही	273	334	332	200
3	प्रा. प. का., जयपुर	164	343	347	150
4	जि. प. का., श्रीगंगानगर	161	350	350	116
5	प्रा. प. का., चित्तोड़ढ़	165	350	350	129
6	प्रा. प. का., कोटा	165	335	346	147
7	जि. प. का., ब्यावर	165	264	288	107
8	जि. प. का., बारां	165	205	289	113
9	जि. प. का., जैसलमेर	164	271	295	120
10	प्रा. प. का., अलवर	165	350	350	113
11	जि. प. का., कोटपूतली	162	274	350	118
12	प्रा. प. का., उदयपुर	156	349	349	150
	योग	**2205**	**3775**	**4006**	**1663**

गुणक:- वाहनों की संख्या / चयनित प्रतिदर्श

2257975 / 2205 = 1024.02 | 161504 / 3775 = 42.78 | 297423 / 4006 = 74.24 | 54321 / 1663 = 32.66

"परिवहन विभाग में कर का आरोपण एवं संग्रहण" पर समीक्षा के एक्सट्रापोलेटेड परिणाम को दर्शाने वाला विवरण - पत्र

एक्सट्रापोलेशन का सूत्र :- गुणक X राशि = अनुमानित राशि

विषय	श्रेणी –I		श्रेणी –II		श्रेणी –III		श्रेणी –IV		योग
	राशि	अनुमानित राशि	राशि	अनुमानित राशि	राशि	अनुमानित राशि	राशि	अनुमानित राशि	
अस्थायी पंजीयन फीस का अनारोपण	-	-	1400	59892	4200	311808	-	-	371700
प्रशमन फीस का अनारोपण	13100	13414662	500	21390	-	-	-	-	13436052
अनुज्ञा शुल्क का अनारापेण	-	-	12000	513360	-	-	-	-	513360
कर एवं शास्ति की अवसूली	-	-	52420022	2242528541	23717942	1760820014	14013492	457680649	4461029204
कर एवं शास्ति की कम वसूली	57750	59137155	374725	16030736	2458291	182503524	920625	30067613	287739028
विलम्ब से कर जमा कराने पर शास्ति का अनारोपण	4151	4250707	-	-	64809	4811420	1800	5878	9120915
पुनः पंजीयन के बिना संचालित वाहनों पर शास्ति का अनारोपण	-	-	-	-	55000	4083200	-	-	4083200
							योग		**4776293459**

परिशिष्ट-एफ
(सन्दर्भ अनुच्छेद 6.2.9.3)
2003-04 से 2007-08 की अवधि के दौरान जल के असाधारण रिसाव के कारण हानि

क्र.सं.	खण्ड/कार्यालय का नाम	वर्ष	जल का उत्पादन (के.एल.)	उपभोक्ताओं को जल का वितरण (के.एल.)	जल की कुल हानि (के.एल.)	मानकों के अनुसार स्वीकार्य (10/20 प्रतिशत) हानि (के.एल./ प्रतिशत)	मानकों से अधिक जल की हानि (के.एल./ प्रतिशत)	जल के उत्पादन की लागत (रुपये/के.एल.)	राजस्व हानि (करोड़ रुपयों में)
1.	अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, राजस्व खण्ड (दक्षिण), जयपुर	2003-04	62121500	32980973	29140527(46.90)	12424300	16716227(26.90)	4.10	6.85
		2004-05	64800000	35131888	29668112(45.72)	12960000	16708112(25.78)	4.43	7.40
		2005-06	67002000	37803360	29198640(56.92)	13400400	15798240(36.92)	4.63	7.31
		2006-07	66016000	40658544	25357456(38.41)	13203200	12154256(18.41)	4.95	6.02
		2007-08	73534800	44591529	28943271(38.66)	14706960	14236311(18.66)	4.98	7.09
2.	अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, राजस्व खण्ड (उत्तर), जयपुर	2003-04	53514000	26995949	26518051(49.56)	10702800	15815251(29.55)	5.17	7.93
		2004-05	56664000	28271903	28392097(50.11)	11332800	17059297(30.11)	5.07	8.65
		2005-06	61650000	29810259	31839741(51.65)	12330000	19509741(31.65)	5.70	11.12
		2006-07	68112000	31744406	36367594(53.89)	13622400	22745194(33.39)	5.45	13.39
		2007-08	70743500	33337481	37406019(52.87)	14148700	23257319(32.88)	5.60	13.02
3.	अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, राजस्व खण्ड, अजमेर	2007-08	30842730	21580000	9262730(30.03)	6168546	3094184(10.03)	6.96	2.14
4.	अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, राजस्व खण्ड, कोटा	2003-04	65757800	28988261	36769539(55.91)	6575780	30193759(45.91)	1.93	5.83
		2004-05	68169700	31421099	36748601(53.91)	6816970	29931631(43.91)	1.92	5.75
		2005-06	72014700	32667723	39346977(54.63)	7201470	32145507(44.64)	1.85	5.95
		2006-07	71091400	30838638	40252762(56.62)	7109140	33143622(46.62)	2.32	7.69
		2007-08	86368900	32740629	53628271(62.09)	8636890	44991381(52.09)	1.78	8.01
5.	अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, राजस्व खण्ड, जोधपुर	2003-04	60749712	35261341	25488371(41.96)	12149942	13338429(21.96)	10.08	13.45
		2004-05	69652407	36081763	33570644(48.20)	13930481	19640163(28.20)	9.57	18.80
		2005-06	79113054	34996314	44116740(55.76)	15822610	28294130(35.76)	9.43	26.68
		2006-07	84526401	42243532	42282869(50.52)	16905280	25377589(30.02)	9.27	23.52
		2007-08	87326900	42749980	44576920(50.05)	17465380	27111540(30.05)	9.85	26.70
6.	अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, राजस्व खण्ड, श्रीगंगानगर	2004-05	10950000	7639134	3310866(30.23)	2190000	1120866(10.23)	3.99	0.45
		2005-06	12775000	9581250	3193750(25.00)	2555000	638750(5.00)	3.42	0.22
		2006-07	12775000	9581250	3193750(25.00)	2555000	638750(5.00)	3.58	0.23
		2007-08	13800000	10350000	3450000(25.00)	2760000	690000(5.00)	3.30	0.23
योग			**1470071504**	**748047206**					**234.43**

परिशिष्ट-जी

(सन्दर्भ अनुच्छेद 6.7.2.1)

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा लीज राशि तथा ब्याज की राशि की मांग कायम नहीं करना

(रुपयों में)

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	प्रकरणों की संख्या	लीज राशि	लीज राशि पर ब्याज	योग
1.	उप आवासन आयुक्त, वृत्त अलवर	14	1,86,073	1,65,736	3,51,809
2.	उप आवासन आयुक्त, वृत्त-I, जयपुर	8	93,32,750	50,22,154	1,43,54,904
3.	उप आवासन आयुक्त, वृत्त-II, जयपुर	10	82,05,851	35,63,398	1,17,69,249
4.	उप आवासन आयुक्त, वृत्त-III, जयपुर	10	72,73,795	76,06,509	1,48,80,304
5.	उप आवासन आयुक्त, वृत्त जोधपुर	2	43,64,874	45,58,578	89,23,452
6.	उप आवासन आयुक्त, वृत्त कोटा	19	16,41,093	4,03,541	20,44,634
7.	उप आवासन आयुक्त, वृत्त उदयपुर	10	58,70,10	8,634	5,95,644
योग		**73**	**3,15,91,446**	**2,13,28,550**	**5,29,19,996**